केंद्रीय बजट 2026-27

पत्र सूचना कार्यालय

भारत सरकार

***

युवा शक्ति संचालित बजट गरीब, शोषित व वंचित समुदायों पर विशेष ध्यान के सरकार के संकल्प पर जोर देता है

***

कर्तव्य भवन में तैयार किया गया पहला बजट, जो तीन कर्तव्यों से प्रेरित है

***

पहला कर्तव्य है आर्थिक वृद्धि को तेज करना व बनाए रखना

***

दूसरा कर्तव्य है लोगों की आकांक्षाओं को पूरा करना और उनकी क्षमता का निर्माण करना

***

तीसरा कर्तव्य सबका साथ सबका विकास के विज़न से जुड़ा है

***

नया आयकर अधिनियम, 2025; अप्रैल, 2026 से प्रभावी होगा, सरलीकृत आयकर नियम और फॉर्म जल्द ही अधिसूचित किए जाएगे

***

जुर्माना और अभियोजन को युक्तिसंगत बनाने के लिए प्रक्रियाओं की गुणत्मकता को कम करना जरूरी

***

कुछ प्राथमिक सहकारी समितियों को प्राप्त रियायत को पशु खाद्य और कपास बीच तक विस्तारित किया जाएगा

***

15.5 प्रतिशत साझा सेफ हार्बर मार्जिन के साथ सूचना प्रौद्योगिकी सेवाओं की एकल श्रेणी

***

आईटी सेवाओं के लिए सेफ हार्बर सुविधा हेतु 300 करोड़ रुपये की सीमा को बढ़ाकर 2000 करोड़ रुपये किया गया

***

विदेशी क्लाउड सेवा प्रदात्ता को 2047 तक टैक्स हॉलीडे दिया जाएगा

***

अनुमान आधार पर टैक्स देने वाले सभी अप्रवासियों को न्यूनतम वैकल्पिक टैक्स से छूट

***

कर निर्धारण वर्ष 2027-28 से आईसीडीएस पर आधारित पृथक लेखा जरूरत को समाप्त करने के लिए मंत्रालय इंडएएस को संशोधित करने हेतु संयुक्त समिति का गठन करेगा

***

वायदा सौदों पर एसटीटी को वर्तमान के 0.02 प्रतिशत से बढ़ाकर 0.05 प्रतिशत किया जाएगा

***

बैटरी के लिथियम आयन सेल के निर्माण में उपयोग किए जाने वाले पूंजीगत वस्तुओं को प्राप्त मूल सीमा शुल्क छूट को विस्तार दिया जाएगा

***

महत्वपूर्ण खनिज के प्रसंस्करण के लिए आवश्यक पूंजीगत वस्तु के आयात के सीमा शुल्क पर छूट दी जाएगी

***

व्यक्तिगत उपयोग के लिए आयात की जाने वाली वस्तुओं पर लगने वाले टैरिफ दर को 20 प्रतिशत से घटाकर 10 प्रतिशत किया जाएगा

***

17 औषधियों या दवाओं पर मूल सीमा शुल्क से छूट दी जाएगी

***

बायोफॉर्मा शक्ति, जिसका कुल परिव्यय 10,000 करोड़ रुपये है बायोलॉजिक्स और बायोसिमिलर्स के घरेलू उत्पादन के लिए इको-सिस्टम का निर्माण करेगी

***

भविष्य के चैम्पियन के रूप में एमएसएमई बनाने के लिए 10,000 करोड़ रुपये के एसएमई विकास निधि का प्रस्ताव

***

सार्वजनिक पूंजीगत व्यय को बीई-2025-26 के 11.2 लाख करोड़ रुपये से बढ़ाकर वित्त वर्ष 2026-27 में 12.2 लाख करोड़ रुपये किया गया

***

पर्यावरण की दृष्टि से सतत यात्री प्रणाली को बढ़ावा देने के लिए शहरों के बीच सात उच्च गति रेल गलियारे 'वृद्धि परिवहन सम्पर्क' के रूप में विकसित किए जाएंगे

***

भारतीय रचना प्रौद्योगिकी संस्थान, मुंबई 15,000 उच्च माध्यमिक विद्यालयों तथा 500 कॉलेजों में एवीजीसी कंटेट निर्माण लैब की स्थापना करेगा

***

उच्च शिक्षा और एसटीईएम संस्थानों में छात्राओं की चुनौतियों का समाधान करने के लिए प्रत्येक जिले में लड़कियों के लिए एक छात्रावास का निर्माण किया जाएगा

***

सरकार ने घोषणा करते हुए कहा कि आईआईएम की साझेदारी में, हाईब्रिड मोड में एक मानक, उच्च गुणवत्ता वाले 12-सप्ताह प्रशिक्षण पाठ्यक्रम के माध्यम से 20 पर्यटन स्थलों में 10,000 गाइड के कौशल का उन्नयन किया जाएगा

***

खेलो इंडिया मिशन अगले दशक में खेल क्षेत्र को परिवर्तित कर देगा

***

एक बहु-भाषी एआई उपकरण के रूप में भारत-विस्तार कृषि पोर्टलों और कृषि तौर-तरीकों पर आईसीएआर पैकेज को एआई प्रणालियों के साथ एकीकृत करेगा

***

विदेशी यात्रा पैकेज पर वर्तमान के 5 प्रतिशत और 20 प्रतिशत से घटाकर 2 प्रतिशत किया गया है

***

सीमा शुल्क भंडार गृह रूपरेखा का बदलाव भंडार गृह संचालक केन्द्रित प्रणाली के किया जाएगा, जिसमें स्व-घोषणा, इलेक्ट्रॉनिक निगरानी और जोखिम आधारित लेखा की व्यवस्था होगी

***

वित्त वर्ष के अंत तक विभिन्न सरकारी एजेंसियों से कार्गो निकासी मंजूरियों को एकल और आपस में जुड़े डिजिटल विंडो के जरिए निर्बाध रूप से प्रसंस्कृत किया जाएगा

***

नई दिल्ली...

01 फरवरी, 2026

केंद्रीय वित्त एवं कॉरपोरेट कार्य मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण ने आज संसद में केंद्रीय बजट 2026-27 पेश किया।

भाग-क

वित्त मंत्री ने कहा कि माघ पूर्णिमा के पवित्र अवसर और गुरु रविदास की जन्म जयंती के मौके पर कर्तव्य भवन में तैयार हुआ यह पहला बजट 3 कर्तव्यों से प्रेरित हैः

पहला कर्तव्य है- उत्पादकता और प्रतिस्पर्धा को बढ़ाते हुए तथा उथल-पुथल भरी वैश्विक स्थिति के प्रति सहनीयता का निर्माण करके आर्थिक वृद्धि को तेज करना तथा इसे बनाए रखना ।

दूसरा कर्तव्य है- लोगों की आकांक्षाओं को पूरा करना और उनके क्षमता का निर्माण करना; भारत की समृद्धि के मार्ग में उन्हें मजबूत भागीदार बनाना।

तीसरा कर्तव्य सबका साथ-सबका विकास के विज़न से जुड़ा है। यह सुनिश्चित करेगा कि प्रत्येक परिवार, समुदाय, क्षेत्र के पास संसाधनों, सुविधाओं तथा सार्थक भागीदारी के लिए अवसरों तक पहुंच की सुविधा हो।

युवा शक्ति संचालित बजट, जो गरीब, शोषित और वंचित समुदायों के प्रति सरकार के संकल्प पर जोर देता है, पेश करते हुए वित्त मंत्री ने कहा कि देश विकसित भारत हासिल करने की दिशा में विश्वास से भरे कदम उठाता रहेगा, समावेश के साथ महत्वाकांक्षा का संतुलन करेगा। बढ़ते व्यापार और पूंजी की जरूरतों के साथ एक बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था के रूप में भारत को वैश्विक बाजारों के साथ मजबूती से एकीकृत होना चाहिए, निर्यात में वृद्धि करनी चाहिए तथा लम्बी अवधि के स्थिर निवेश को आकर्षित करना चाहिए।

उन्होंने उल्लेख किया कि देश बाहरी वातावरण का सामना कर रहा है, जिसमें व्यापार और बहु-पक्षवाद को नुकसान हुआ है तथा संसाधनों और आपूर्ति श्रृंखलाओं तक पहुंच में बाधाएं आई है।

नई तकनीकें निर्माण प्रणालियों में बदलाव ला रही है, जबकि जल, ऊर्जा तथा महत्वपूर्ण खनिजों की मांग तेजी से बढ़ रही है।

वित्त मंत्री ने कहा कि 2025 के स्वतंत्रता दिवस पर प्रधानमंत्री की घोषणा के बाद, 350 से ज्यादा सुधारों की शुरूआत की गई है। इनमें जीएसटी सरलीकरण, श्रम संहिताओं की अधिसूचना, अनिवार्य गुणवत्ता नियंत्रण आदेशों का युक्तिकरण शामिल है। उच्च स्तरीय समितियां गठित की गई है और इसके साथ नियम समाप्त करने तथा अनिपालन जरूरतों को कम करने के लिए केन्द्र सरकार राज्यों के साथ मिलकर काम कर रही है।

पहला कर्तव्य आर्थिक वृद्धि को तेज करना व बनाए रखना है। पहले कर्तव्य के तहत छह क्षेत्रों में हस्तक्षेप कार्यक्रमों का प्रस्ताव दिया गया है।

i. 7 रणनीतिक और सीमा क्षेत्रों में विनिर्माण का विस्तार करना
ii. विरासत औद्योगिक क्षेत्रों का पुनर्निर्माण करना
iii. चैम्पियन एमएसएमई बनाना
iv. अवसंरचना पर सशक्त बल देना
v. लम्बी अवधि की ऊर्जा सुरक्षा और स्थिरता को सुनिश्चित करना
vi. नगर आर्थिक क्षेत्र विकसित करना

वैश्विक बायोफॉर्मा निर्माण केन्द्र के रूप में भारत को विकसित करने के लिए बायोफॉर्मा शक्ति, जिसका कुल परिव्यय 10,000 करोड़ रुपये है, बायोलॉजिक्स और बायोसिमिलर्स के घरेलू उत्पादन के लिए अगले पांच वर्षों में इको-सिस्टम का निर्माण करेगी। रणनीति में शामिल है- तीन नए राष्ट्रीय औषधि शिक्षा एवं अनुसंधान संस्थान (एनआईपीईआर) और सात वर्तमान संस्थानों के उन्नयन के साथ बायोफॉर्मा पर केन्द्रित नेटवर्क। यह 1000 मान्यता प्राप्त भारत क्लिनिक जांच स्थलों के एक नेटवर्क का निर्माण करेगा। वैश्विक मानक हासिल करने तथा एक समर्पित वैज्ञानिक समीक्षा कैडर व विशेषज्ञों के माध्यम से समयावधि मंजूर करने के लिए केन्द्रीय औषधि मानक नियंत्रण संगठन को मजबूत किया जाएगा।

श्रम गहन वस्त्र क्षेत्र के लिए, पांच उपभागों के साथ एकीकृत कार्यक्रम का प्रस्ताव किया गया हैः

रेशम, ऊन और जूट जैसे प्राकृतिक फाइबर, मानव निर्मित फाइबर और नए युग के फाइबरों में आत्मनिर्भरता के लिए राष्ट्रीय फाइबर योजना; मशीनरी, प्रौद्योगिकी उन्नयन और सामान्य परीक्षण एवं प्रमाणन केन्द्रों के लिए पूंजीगत सहायता के साथ पारम्परिक क्लस्टरों के आधुनिकीकरण के लिए वस्त्र विस्तार एवं रोजगार योजना; मौजूदा योजनाओं को एकीकृत एवं सुदृढ़ करने और बुनकरों एवं कारीगरों के लिए लक्षित सहायता सुनिश्चित करने के लिए राष्ट्रीय हथकरघा एवं हस्तशिल्प कार्यक्रम; वैश्विक रूप से प्रतिस्पर्धी और टिकाऊ वस्त्र और परिधानों को बढ़ावा देने के लिए टेक्स-इको पहल; उद्योग जगत और शैक्षणिक संस्थानों के सहयोग से वस्त्र कौशल इको-सिस्टम के आधुनिकीकरण और उन्नयन के लिए समर्थ 2.0 ।

विकास के प्रमुख इंजन के रूप में एमएसएमई को मान्यता देते हुए, 10,000 करोड़ रुपये के एसएमई विकास निधि का प्रस्ताव दिया गया है ताकि भविष्य के चैम्पियनों का निर्माण किया जा सके और निर्धारित विशेषताओं के आधार पर उद्योगों को प्रोत्साहन दिया जा सके।

वित्त मंत्री ने कहा कि सार्वजनिक पूंजीगत व्यय में गुणात्मक वृद्धि हुई है जो वित्त वर्ष 2014-15 के 2 लाख करोड़ रुपये से बढ़कर बीई 2025-26 में 11.2 लाख करोड़ रुपये हो गई है। उन्होंने प्रस्ताव दिया कि इस गति को बनाए रखने के लिए वित्त वर्ष 2026-27 में इसे बढ़ाकर 12.2 लाख करोड़ रुपये किया जाएगा।

कार्गो के पर्यावरण रूप से टिकाऊ आवाजाही को बढ़ावा देने के लिए वित्त मंत्री ने नए समर्पित फ्रेट कॉरिडोर का प्रस्ताव दिया, जो पूर्व में दानकुनी को पश्चिम के सूरत से जोड़ेगा; अगले पांच वर्षों में 20 नए राष्ट्रीय जलमार्गों (एनडब्ल्यू) का संचालन प्रारंभ होगा। इसकी शुरूआत ओड़िशा में एनडब्ल्यू 5 से की जाएगी, जो खनिज की प्रचुरता वाले क्षेत्र तालचर और अंगुल व कलिंग नगर जैसै औद्योगिक केन्द्र को पारादीप और घामरा पत्तनों से जोड़ेगा। आवश्यक कार्यबल के विकास के लिए क्षेत्रीय उत्कृष्टता केंद्रों के रुप में प्रशिक्षण संस्थानों की स्थापना की जाएगी।

इस बजट का लक्ष्य शहरी आर्थिक क्षेत्रों के विशिष्ट विकास कारकों के आधार पर, शहरी आर्थिक क्षेत्रों (सीईआर) का मानचित्रण करके समूहों की आर्थिक स्थिति का उपयोग करने के लिए शहरों की क्षमता को और अधिक बढ़ाना है। सुधार-सह-परिणाम आधारित वित्तपोषण तंत्र से चुनौती

मोड के माध्यम से उनकी योजनाओं को लागू करने में प्रति सीईआर 5 हजार करोड़ रुपये का आवंटन का प्रस्ताव दिया गया है।

पर्यावरणीय रूप से सतत् यात्री प्रणालियों को बढ़ावा देने के लिए, हम शहरों के बीच विकास संयोजक के रूप में सात उच्च-गति रेल कॉरीडोर विकसित किए जाएंगे-

i. मुंबई-पुणे
ii. पुणे-हैदराबाद
iii. हैदराबाद-बेंगलुरु
iv. हैदराबाद-चेन्नई
v. चेन्नई-बेंगलुरु
vi. दिल्ली-वाराणसी
vii. वाराणसी-सिलीगुड़ी।

वित्त मंत्री ने कहा कि दूसरा कर्तव्य आकांक्षाओं को पूरा करना और क्षमता निर्माण करना है। सरकार के सतत् और सुधार उन्मुख प्रयासों के जरिए 25 करोड़ व्यक्ति गरीबी की रेखा से ऊपर उठ गए है।

चिकित्सा पर्यटन सेवाओं के लिए भारत को एक वैश्वक केन्द्र के रूप में बढ़ावा देने के लिए वित्त मंत्री ने राज्यों को सहायता देने के लिए एक योजना का प्रस्ताव दिया, जिसके तहत राज्य निजी क्षेत्र के सहयोग से पांच क्षेत्रीय चिकित्सा केन्द्र स्थापित कर सकते है। यह केन्द्र एकीकृत स्वास्थ्य देखभाल भवन के रूप में कार्य करेंगे, जिनमें चिकित्सा, शिक्षा और शोध करने की सुविधाएं मौजूद होगी। इन केन्द्रों में आयुष केन्द्र, चिकित्सा केन्द्र, पर्यटन केन्द्र एवं स्वास्थ्य जांच, बाद के देखभाल और पुनर्वास की अवसंरचना होंगी। यह केन्द्र डॉक्टर और एएचपी के साथ-साथ स्वास्थ्य पेशेवरों के लिए विभिन्न नौकरियों का विकल्प प्रस्तुत करेगे।

पशु चिकित्सा पेशेवरों की संख्या 20,000 तक करने के लिए ऋण से जुड़े पूंजीगत सब्सिडी का प्रस्ताव दिया गया है ताकि निजी क्षेत्र में पशु चिकित्सा और पारावेट कॉलेज, वेटेनरी, पशु चिकित्सालय, जांच प्रयोगशाला, प्रजनन सुविधा की स्थापना के लिए समर्थन दिया जा सके।

भारत का एनीमेशन, विजुअल इफेक्ट, गेमिंग और कॉमिक्स (एवीजीसी) क्षेत्र एक बढ़ता हुआ उद्योग है। अनुमान है कि 2030 तक इस क्षेत्र में 20 लाख पेशेवरों की जरूरत होगी। वित्त मंत्री ने भारतीय रचना प्रौद्योगिकी संस्थान, मुंबई को समर्थन देने का प्रस्ताव दिया, ताकि संस्थान 15,000 उच्च माध्यमिक विद्यालयों तथा 500 कॉलेजों में एवीजीसी कंटेट निर्माण लैब की स्थापना कर सके।

उच्च शिक्षा एसटीईएम संस्थानों में अध्ययन और प्रयोगशाला कार्य की लम्बी अवधि छात्राओं के लिए चुनौती पैदा करती है। वीजीएफ/पूंजीगत समर्थन के जरिए प्रत्येक जिले में लड़कियों के लिए एक छात्रावास की स्थापना की जाएगी।

वित्त मंत्री ने वर्तमान के राष्ट्रीय होटल प्रबंधन और केटररिंग प्रौद्योगिकी परिषद का उन्नयन करके राष्ट्रिय आतिथ्य संस्थान की स्थापना करने का प्रस्ताव रखा। यह शिक्षा जगत, उद्योग जगत और सरकार के बीच एक सेतु के रूप में कार्य करेगा। उन्होंने आगे 20 पर्यटनों स्थलों में 10,000 गाइडों के कौशल का उन्नयन करने के लिए एक पायलट योजना का प्रस्ताव रखा। इसके लिए भारतीय प्रबंधन संस्थान के साथ साझेदारी में हाईब्रिड मोड में 12 सप्ताह के एक मानक उच्च गुणवत्ता वाला प्रशिक्षण पाठ्यक्रम के जरिए गाइडों को प्रशिक्षित किया जाएगा।

खेलो इंडिया कार्यक्रम के जरिए खेल प्रतिभाओं को मार्गदर्शन व सहायता प्रदान करने के कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए वित्त मंत्री ने अगले दशक में खेल क्षेत्र को परिवर्तित करने के लिए खेलो इंडिया मिशन के शुभारंभ का प्रस्ताव रखा।। यह मिशन निम्न सुविधाएं प्रदान करेगा। क.) प्रशिक्षण केन्द्रों के समर्थन से प्रतिभा विकास के लिए एकीकृत तरीका ख.) कोच और सहायककर्मियों का प्रणालीगत विकास ग.) खेल विज्ञान और प्रौद्योगिकी का एकीकरण घ.) खेल संस्कृति को बढ़ावा देने तथा मंच प्रदान करने के लिए प्रतियोगिताएं और लीग ड.) प्रशिक्षण और प्रतियोगिता के लिए खेल अवसंरचना का विकास।

वित्त मंत्री ने कहा कि बजट का तीसरा कर्तव्य जो सबका साथ, सबका विकास के दृष्टिकोण के अनुरूप है, यह सुनिश्चित करता है कि किसानों की आय में वृद्धि हो, दिव्यांगजन सशक्त बनें, मानसिक स्वास्थ्य और ट्रॉमा केयर तक पहुंच सुनिश्चित करने के लिए कमजोर समूहों का

सशक्तिकरण हो, विकास और रोजगार के अवसरों में तेजी लाकर पूर्वोदय राज्यों और पूर्वोत्तर क्षेत्र की ओर ध्यान केंद्रित हो।

वित्त मंत्री ने एक भाषीय टूल - भारत विस्तार (कृषि संसाधनों तक पहुंच के लिए वर्चुअल एकीकृत प्रणाली(– का प्रस्ताव किया जो एक बहुभाषीय एआई टूल है और जिसे एआई प्रणाली सहित कृषि संबंधी प्रणालियों के लिए आईसीएआर पैकेज सहित एग्रीस्टैक पोर्टल के रूप में एकीकृत किया गया है। इससे कृषि उत्पादकता में वृद्धि होगी, किसानों को उचित निर्णय लेने में सक्षम बनाएगा और अनुकूल परामर्श सहायता प्रदान करते हुए जोखिम को कम करेगा।

लखपति दीदी कार्यक्रम की सफलता को आगे बढ़ाते हुए, संवर्धित और नवाचार वित्तपोषण के माध्यम से क्लस्टर स्तरीय संगठनों के भीतर सामुदायिक स्वामित्व वाले खुदरा आउटलेट के रूप में स्व-सहायता उद्यम (शी) मार्ट स्थापित किए जाएंगे।

वित्त मंत्री ने मानसिक स्वास्थ्य और ट्रॉमा केयर पर सरकार की प्रतिबद्धता दोहराते हुए निमहांस-2 की स्थापना की घोषणा की और रांची तथा तेजपुर में राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य संस्थानों को शीर्ष क्षेत्रीय संस्थानों के रूप में अपग्रेड करने की बात कही।

वित्त मंत्री ने दुर्गापुर में बेहतर संपर्क नोड के साथ एकीकृत पूर्वी तट औद्योगिक कॉरीडोर के विकास, 5 पूर्वोदय राज्यों में 5 पर्यटन स्थलों के निर्माण और 4000 ई-बसों के प्रावधान का प्रस्ताव रखा। उन्होंने अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम, असम, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा में बौद्ध सर्किट के विकास हेतु एक योजना का प्रस्ताव रखा। इस योजना में मंदिरों और मठों का संरक्षण, तीर्थस्थल भाषांतरण केंद्र, संपर्क एवं तीर्थ यात्रियों की सुविधाएं शामिल होंगी।

राजकोषीय समेकन

ऋण से जीडीपी अनुपात संशोधित अनुमान 2025-26 में जीडीपी के 56.1 प्रतिशत की तुलना में, बजट अनुमान 2026-27 में जीडीपी के 55.6 प्रतिशत रहने का अनुमान है। गिरता हुआ ऋण और जीडीपी अनुपात धीरे-धीरे ब्याज भुगतान पर व्यय को कम करके प्राथमिक क्षेत्र के व्यय के लिए संसाधनों को मुक्त करेगा। संशोधित अनुमान 2025-26 में, राजकोषीय घाटे का अनुमान जीडीपी के 4.4 प्रतिशत रहने का अनुमान है जो 2025-26 के बजट अनुमान के बराबर है। ऋण

समेकन की नई राजकोषीय दूरदर्शिता के अनुरूप, बजट अनुमान 2026-27 में राजकोषीय घाटा जीडीपी का 4.3 प्रतिशत रहने का अनुमान है।

संशोधत अनुमान 2025-26

गैर-ऋण प्राप्तियों का संशोधित अनुमान 34 लाख करोड़ रुपये है। जिनमें से केंद्र की निवल कर प्राप्तियां 26.7 लाख करोड़ रुपये है। कुल व्यय का संशोधित अनुमान 49.6 लाख करोड़ रुपये है जिनमें से पूंजीगत व्यय लगभग 11 लाख करोड़ रुपये है।

बजट अनुमान 2026-27

वर्ष 2026-27 में गैर-ऋण प्राप्तियां और कुल व्यय का अनुमान क्रमश: 36.5 लाख करोड़ रुपये और 53.5 लाख करोड़ रुपये है। केंद्र की निवल कर प्राप्तियों का अनुमान 28.7 लाख करोड़ रुपये है। राजकोषीय घाटे के वित्तपोषण हेतु, दिनांकित प्रतिभूतियों से निवल बाजार उधारी का अनुमान 11.7 लाख करोड़ रुपये है। शेष वित्तपोषण छोटी बचतों और अन्य स्रोतों से आने की संभावना है। सकल बाजार उधारी का अनुमान 17.2 लाख करोड़ रुपये है।

भाग-ख

प्रत्यक्ष कर

प्रत्यक्ष करों में आम बजट 2026-2027 में कई नए सुधार प्रस्तावित हैं। नया आयकर अधिनियम 2025 अप्रैल, 2026 से प्रभावी होगा। इसके अतिरिक्त, सरलीकृत आयकर नियमावली और प्रपत्रों को शीघ्र ही अधिसूचित कर दिया जाएगा। प्रपत्रों को इस प्रकार पुनः डिजाइन किया गया है कि आम नागरिक इसे बिना किसी कठिनाई के इसका अनुपालन कर सके।

टीसीएस दरों में कटौती भी प्रस्तावित है। विदेश यात्रा कार्यक्रम पैकेज की बिक्री पर बिना किसी राशि निर्धारण के मौजूदा 5 प्रतिशत और 20 प्रतिशत से कम करते हुए 2 प्रतिशत करने का प्रस्ताव रखा गया है। इसके अतिरिक्त, शिक्षा प्राप्त करने और चिकित्सा उद्देश्यों के के लिए उदारीकृत धनप्रेषण

योजना (एलआरएस) के अतंर्गत टीसीएस दर को 5 प्रतिशत से कम करके 2 प्रतिशत करने का प्रस्ताव रखा गया है।

कार्यबल सेवाओं की आपूर्ति को टीडीएस के प्रयोजनार्थ विशिष्ट रूप से संविदाकारों को भुगतान के दायरे में लाने का प्रस्ताव है। इन सेवाओं पर टीडीएस की दर 1 प्रतिशत अथवा 2 प्रतिशत मात्र होगी। छोटे करदाताओं के लिए एक योजना का प्रस्ताव है जिसमें नियम आधारित स्वचालित प्रक्रिया से, कर निर्धारण अधिकारी के समक्ष आवेदन दाखिल करने के स्थान पर कम अथवा शून्य कटौती प्रमाण-पत्र प्राप्त करना संभव हो सकेगा। इसके अतिरिक्त, एक सांकेतिक शुल्क के भुगतान पर विवरणियों को संशोधित करने के लिए उपलब्ध समय को 31 दिसम्बर से 31 मार्च तक बढ़ाने का प्रस्ताव किया गया है। इसके अतिरिक्त, कर विवरणियों को दाखिल करने के लिए अगल-अलग समय-सीमा रखने का भी प्रस्ताव है।

छात्रों, युवाओं पेशेवरों, तकनीकी कर्मचारियों, अन्यत्र चले गए अनिवासी भारतीयों और ऐसे अन्य छोटे करदाताओं की व्यावहारिक समस्याओं को दूर करने के लिए, इन करदाताओं के लिए एक निश्चित आकार के नीचे आय अथवा परिसंपत्ति को प्रकट करने के लिए 6 माह की विदेशी परिसंपत्ति प्रकटीकरण योजना शुरू करने का प्रस्ताव है।

दंड और अभयोजन को युक्तिसंगत बनाना

दंड और अभियोजन को युक्तिसंगत बनाने के लिए आम बजट 2026-27 में कार्यवाहियों की विविधता कम करने का प्रस्ताव रखा गया है। कर निर्धारण एवं दंड कार्यवाहियों को एक सामान्य आदेश के माध्यम से एकीकृत किया जाएगा। इसके अतिरिक्त, पूर्व-भुगतान की मात्रा 20 प्रतिशत से कम करके 10 प्रतिशत की जाएगी और इसकी गणना केवल मुख्य क्रमांक पर होती रहेगी। मुक्दमेबाजी को कम करने के लिए एक अतिरिक्त उपाय के रूप में करदाता को संगत वर्ष के लिए लागू दर के अतिरिक्त 10

प्रतिशत कर दर के साथ विवरणी को पुनर्निर्धारण कार्यवाहियों के पश्चात भी अद्यतन करने की अनुमति दी जाएगी।

बजट में कम कर की सूचना एवं गलत सूचना देने के मामलों में, दंड और अभियोजन से उन्मुक्ति प्रावधान को विस्तारित करने का प्रस्ताव है। ऐसे मामलों में करदाता को देय कर और ब्याज के अलावा अतिरिक्त आयकर के रुप में कर राशि के 100 प्रतिशत का भुगतान करना अपेक्षित होगा। इसके अतिरिक्त आयकर अधिनियम के अतंर्गत अभियोजन ढ़ांचे को युक्तिसंगत बनाने का प्रस्ताव रखा गया है। लेखा बहियों और दस्तावेजों को प्रस्तुत न करना तथा वस्तु रुप में भुगतान के मामले में टीडीएस का भुगतान करने की आवश्यकता अपराध नहीं होगी। 20 लाख रुपये से कम के सकल मूल्य वाली अचल विदेशी परिसम्पत्ति का गैर-प्रकटीकरण करने पर फिलहाल कोई दंड नहीं है। दिनांक 01.10.2024 की पुरानी तिथि से प्रभावी उनको अभियोजन से उन्मुक्ति का प्रस्ताव रखा गया है।

सहकारिता

श्रीमती निर्मला सीतारमण ने आज संसद में अपने बजट भाषण में कहा कि, अपने सदस्यों द्वारा जुटाए या उत्पादित दुग्ध, तिलहन, फल अथवा सब्जियों की आपूर्ति में संलग्न प्राथमिक सहकारी समितियों के लिए कटौती की पहले से ही अनुमति है, अब उनके सदस्यों के लिए उत्पादित पशु चारा और कपास के लिए बीज की आपूर्ति को इस कटौती में शामिल करने का प्रस्ताव रखा गया है। नई कर व्यवस्था के अंतर्गत अंतर-सहकारी समिति लाभांश आय को इसके सदस्यों में आगे संवितरण की सीमा तक कटौती के रूप में अनुमति दिए जाने का प्रस्ताव है। किसी अधिसूचित राष्ट्रीय सहकारी संघ द्वारा दिनांक 31.01.2026 तक कंपनियों में किए गए उनके निवेश पर प्राप्त लाभांश आय पर 3 वर्ष की अवधि के लिए छूट देने का भी प्रस्ताव है। यह छूट केवल तभी प्रदान की जाएगी जब उक्त लाभांश को इसके सदस्य सहकारी समितियों में आगे वितरण किया जाएगा।

भारत के वकास इंजन के रूप में आईटी क्षेत्र को सहायता

भारत की विकास यात्रा में आईटी सेक्टर के महत्व को रेखांकित करते हुए बजट में सॉफ्टवेयर विकास सेवाओं, आईटी समर्पित सेवाओं, ज्ञान प्रक्रिया आउटसोर्सिंग सेवाओं और सॉफ्टवेयर विकास से संबंधित संविदागत अनुसंधान और विकास सेवाओं को उन पर लागू 15.5 प्रतिशत के एक समान सेफ हार्बर मार्जिन के साथ सूचना प्रौद्योगिकी सेवाओं की एकल श्रेणी के अंतर्गत सम्मिलित किए जाने का प्रस्ताव है। इसके अतिरिक्त, आईटी सेवाओं के लिए सेफ हार्बर प्राप्त करने की सीमा को 300 करोड़ रुपये से पर्याप्त रुप से बढ़ाकर 2000 करोड़ रुपये किए जाने का प्रस्ताव है। आईटी सेवाओं के लिए सेफ हार्बर का अनुमोदन एक स्वचालित नियम आधारित प्रक्रिया द्वारा किया जाएगा और एक बार किसी आईटी कम्पनी द्वारा इसके लिए आवेदन करने पर कंपनी की इच्छानुसार इसी सेफ हार्बर को 5 वर्षों की अवधि के लिए जारी रखा जा सकता है।

अग्रिम मूल्य निर्धारण करार (एपीए) करने की इच्छुक आईटी सेवा कंपनियों के लिए आईटी सेवाओं हेतु एकपक्षीय एपीए प्रक्रिया को तेज करने का प्रस्ताव किया गया है, जिसे दो वर्ष की अवधि के भीतर पूरा करने का प्रयास किया जाएगा। करदाताओं के अनुरोध पर 2 वर्ष की अवधि को आगे 6 महीने के लिए बढ़ाया जा सकता है। एपीए में शामिल होने वाली कंपनी को उपलब्ध संशोधित विवरणी की सुविधा उसकी संबद्ध संस्थाओं को भी प्रदान किए जाने का प्रस्ताव है।

वैश्विक व्यापार और निवेश आकर्षत करना

संसद में आम बजट 2026-27 प्रस्तुत करते हुए वित्त मंत्री ने कहा कि ऐसी विदेशी कंपनी के लिए वर्ष 2047 तक कर रियायत प्रदान करने का प्रस्ताव है जो भारत से डाटा केन्द्र सेवाओं का उपयोग करके वैश्विक स्तर पर क्लाउड सेवाएं प्रदान करती है। उन्होंने कहा कि यदि डाटा सेंटर सेवाएं प्रदान करने वाली कंपनी एक संबंधित कंपनी है तो, उस लागत पर 15 प्रतिशत का सेफ हार्बर प्रदान का भी प्रस्ताव रखा गया है। इसके अतिरिक्त, इलेक्ट्रॉनिक विनिर्माण के लिए इनवॉयस बैल्यू के 2 प्रतिशत के प्रॉफिट मार्जिन पर किसी बांडेड वेयरहाउस में कंपोनेंट वेयरहाउस के लिए अनिवासियों को सेफ हार्बर प्रदान करने

का प्रस्ताव है। लगभग 0.7 प्रतिशत का परिणामी कर प्रतिस्पर्धी क्षेत्राधिकार के मुकाबले काफी कम होगा।

भारत में टोल विनिर्माण को बढ़ावा देने के लिए ऐसे किसी अनिवासी को आयकर से 5 वर्षों के लिए छूट प्रदान करने का प्रस्ताव रखा गया है जो बॉन्डेड क्षेत्र में किसी टोल विनिर्माता को पूंजीगत वस्तुएं, उपकरण अथवा टूलिंग उपलब्ध कराता है। वैश्विक प्रतिभा के विशाल पूल को भारत में लम्बी अवधि के लिए काम करने हेतु प्रोत्साहित करने के लिए अधिसूचित योजनाओं के अतंर्गत 5 वर्षों की प्रवास अवधि के लिए अनिवासी विशेषज्ञ की वैश्विक (गैर-भारत स्रोत) आय के लिए छूट प्रदान करने का प्रस्ताव है। इसके अतिरिक्त उन सभी अनिवासियों को न्यूनतम वैकल्पिक कर (एमएटी) से छूट प्रदान की जाएगी, जो अनुमानित आधार पर कर का भुगतान करते हैं।

कर प्रशासन

स वल और रक्षा वमानन क्षेत्र में स व लयन, प्र शक्षण और अन्य एयरक्राफ्ट के वनिर्माण के लए अपे क्षत घटकों और पुर्जों पर मूल सीमा शुल्क में छूट दी जाएगी और रक्षा क्षेत्र इकाइयों द्वारा अनुरक्षण, मरम्मत अथवा ओवरहॉल जरूरतों में प्रयोग कए जाने वाले वमानों के पुर्जों के वनिर्माण के लए आयातित कच्चे माल पर मूल सीमा शुल्क में छूट प्रदान की जाएगी।

इसके अलावा वशेष एक बारगी उपाय के रूप में वशेष आ र्थक क्षेत्र में पात्र वनिर्माण इकाइयों द्वारा रियायती शुल्क दरों पर घरेलू प्रशुल्क क्षेत्र (डीटीए) को बिक्री की सु वधा प्रदान करने की पेशकश की गई है।

जीवन जीने की सुगमता बढ़ाने के लए वत्त मंत्री ने कहा क निजी उपयोग के लए सभी शुल्क योग्य आयातित वस्तुओं पर प्रशुल्क दर को 20 प्रतिशत से कम करते हुए 10 प्रतिशत कया जाएगा। 17 औष धयों अथवा दवाओं पर मूल सीमा शुल्क में छूट दी जाएगी। उपचार में प्रयुक्त औष धयों, दवाओं और वशेष च कत्सा प्रयोजन खाद्य (एफएसएमपी) के निजी आयातों पर शुल्क से छूट के प्रायोजनार्थ 7 अतिरिक्त असाधारण रोगों को जोड़ा जाएगा।

सीमा शुल्क प्रक्रया

वस्तुओं के सुगम और त्वरित संचलन के लए सीमा शुल्क प्र क्रयाओं में कम से कम हस्तक्षेप होगा। इसके अलावा टियर 2 और टियर 3 प्रा धकृत प्रचालकों जिन्हें एईओ कहा जाता है, के लए शुल्क स्थगन अव ध को 15 दिन से बढ़ाकर 30 दिन कया जाएगा। पात्र वनिर्माताओं – आयातकों को भी यही सु वधा प्रदान की जाएगी। सीमा शुल्कों पर बाध्यकारी अ ग्रम नियम की वैधता अव ध को वर्तमान 3 वर्ष से बढ़ाकर 5 वर्ष कये जाने का प्रस्ताव है। सरकारी एजें सयों को उनके कार्गो के समाशोधन में अ धमान्य व्यवहार हेतु एईओ प्रत्यायन का लाभ लेने के लए प्रोत्साहित कया जाएगा।

बजट में सीमा शुल्क भंडारण फ्रेमवर्क को स्व-प्रकटन, इलेक्ट्रॉनिक ट्रे कंग और जो खम आधारित लेखा परीक्षा के साथ भंडार संचालक – केंद्रित प्रणाली में बदला जाएगा।

व्यापार करने की सुगमता

व्यापार करने की सुगमता के लए व वध प्रकार के कदम उठाए गए हैं। उदाहरण के लए व भन्न सरकारी एजें सयों से कार्गों समाशोधन के लए अपे क्षत अनुमोदनों की प्र क्रया को इस वत्त वर्ष के अंत तक एकल और परस्पर जुड़े हुए डजिटल वंडो के माध्यम से निर्बाध बनाया जाएगा। जिन वस्तुओं के लए कसी अनुपालन की अपेक्षा नहीं है, उन वस्तुओं को आयातक द्वारा ऑनलाइन पंजीकरण पूरा करने के तत्काल बाद सीमा शुल्क

द्वारा समाशो धत कया जाएगा। सभी सीमा शुल्क प्र क्रयाओं के लए एकल, एकीकृत और मापनीय प्लेटफॉर्म के रूप में **सीमा शुल्क एकीकृत प्रणाली (सीआईएस) 2 वर्षों में शुरू की जाएगी। इसके अलावा गैर सन्निवष्ट स्कैनिंग और उन्नत इमेजिंग तथा जोखम आकलन हेतु एआई प्रौद्योगकी का उपयोग सभी प्रमुख पत्तनों में प्रत्येक कंटेनर को स्केन करने के उद्देश्य से चरणबद्ध तरीके से कया जाएगा।**

केंद्रीय बजट 2026-27 वशेष आर्थक क्षेत्र (ईईजेड) में अथवा बीच समुद्र में मछली पकड़ने वाली भारतीय नौकाओं द्वारा पकड़ी गई मछली को शुल्क मुक्त बनाता है। वदेशी पत्तन पर ऐसी मछली की उतराई को निर्यात की वस्तु के रूप में माना जाएगा। बजट भारत के छोटे व्यवसायों, कारीगरों और स्टार्ट-अप की अकांक्षाओं में सहायता प्रदान करने के लए कुरियर निर्यातों पर प्रति खेप 10 लाख रुपए की वर्तमान मूल्य सीमा को पूरी तरह हटाने की भी पेशकश करता है।

अंतर्राष्ट्रीय यात्रा के दौरान सामान की निकासी को शासत करने वाले प्रावधानों में संशोधन कया जाएगा। संशोधत नियमों से वर्तमान समय की यात्रा संबंधी वास्तवकताओं के अनुरूप शुल्क मुक्त भत्ते में वृद्ध होगी। इसके अलावा सभी बकायों का भुगतान करके ववादों का निपटान करने के इच्छुक ईमानदार करदाता दंड के बदले अतिरिक्त राश का भुगतान करके अपने मामलों को बंद करने में सक्षम होंगे।

***

एनबी/एमजी/केसी/हिन्दी इकाई-

केंद्रीय बजट 2026-27

पत्र सूचना कार्यालय

भारत सरकार

***

वर्ष 2026-2027 के केंद्रीय बजट की मुख्य बातें

***

नई दिल्ली...

01 फरवरी, 2026

भाग - 1

केंद्रीय वत्त और कॉर्पोरेट कार्य मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारामन ने आज संसद में वर्ष 2026-27 के लए केंद्रीय बजट प्रस्तुत कया। बजट की मुख्य बातें इस प्रकार हैं:-

कर्तव्य भवन में तैयार कया गया पहला बजट तीन कर्तव्यों से प्रेरित है:-

i. **पहला कर्तव्य** - उत्पादकता और प्रतिस्पर्धा बढ़ाने तथा वैश्विक उथल-पुथल के परिश्य में लचीलापन लाकर आर्थक वकास को तेज करना और उसकी गति बनाए रखना

ii. **दूसरा कर्तव्य**- भारत की समृद्ध के पथ में सशक्त साझेदार बनाने के लए लोगों की आकांक्षाएं पूरी करना और उनकी क्षमता बढ़ाना।

iii. **तीसरा कर्तव्य** - सरकार की सबका साथ, सबका वकास के ष्टिकोण के अनुकूल- यह सुनिश्चित करना क सार्थक भागीदारी के लए प्रत्येक परिवार, समुदाय और क्षेत्र की संसाधनों, सुवधाओं और अवसरों तक पहुंच उपलब्ध हो।

iv. बजट अनुमान

v. गैर ऋण प्राप्तियां और कुल व्यय क्रमश: 36.5 लाख करोड और 53.5 लाख करोड रुपए रहने का अनुमान है। केंद्र की शुद्ध कर प्राप्तियां 28.7 लाख करोड रुपए रहने का अनुमान है।

vi. सकल बाजार उधारी 17.2 लाख करोड रुपए और दिनांकत प्रतिभूतियों से शुद्ध बाजार उधारी 11.7 लाख करोड रुपए रहने का अनुमान है।

- गैर ऋण प्राप्तियों का संशोधत अनुमान 34 लाख करोड रुपए है जिसमें से केंद्र की शुद्ध कर प्राप्तियाँ 26.7 लाख करोड रुपए हैं।
- कुल व्यय का संशोधत अनुमान 49.6 लाख करोड रुपए है जिसका पूंजी व्यय करीब 26.1 लाख करोड रुपए है।

vii. बजट अनुमान 2026-27 में राजकोषीय घाटा जीडीपी का 4.3 प्रतिशत रहने का अनुमान है।

viii. वर्ष 2025-26 के बजट में संशोधत राजकोषीय घाटा 2025-26 के बजट अनुमान जीडीपी के 4.4 प्रतिशत के समान है।

ix. ऋण से जीडीपी अनुपात संशोधत अनुमान 2025-26 में जीडीपी के 56.1 प्रतिशत की तुलना में बजट अनुमान 2026-27 में जीडीपी का 55.6 प्रतिशत रहने का अनुमान है।

x. <u>पहला कर्तव्य- आ र्थक वकास को तेज करना और बनाए रखना तथा छह हस्तक्षेपों का प्रस्ताव है</u>

- **सात रणनीतिक और फ्रंटि यर क्षेत्रों में वनिर्माण**

xi. **बायोफार्मा शक्ति (ज्ञान, प्रौद्यो गकी और नवाचार के जरिए स्वास्थ्य देखभाल को बेहतर करने की रणनीति) की घोषणा।** भारत को वैश्विक बायोफार्मा वनिर्माण केन्द्र के रूप में वकसत करने के उद्देश्य से अगले पांच वर्ष के लए दस हजार करोड़ रुपये के आवंटन के साथ बायोफार्मा शक्ति का प्रस्ताव।

- तीन नए राष्ट्रीय फार्मास्युटिकल शक्षा और अनुसंधान संस्थानों (एन.आई.पी.ई.आर.) के निर्माण तथा सात मौजूदा संस्थानों के उन्नयन के लए बायोफार्मा केन्द्रित नेटवर्क।
- एक हजार से अधक मान्यता प्राप्त इंडया क्लिनिकल ट्रायल्स स्थलों का नेटवर्क बनाया जाएगा।

xii. उपकरण और सामग्री बनाने, फुलस्टेक इंडया आई.पी. डजाइन करने और आपूर्ति श्रृंखला को मजबूत बनाने के लए इंडया सेमीकंडक्टर मशन 2.0 शुरू कया जाएगा।

xiii. अप्रैल 2025 में आरंभ इलेक्ट्रॉनिक्स कलपुर्जे वनिर्माण योजना को गति देने के लए बजट बढ़ाकर चालीस हजार करोड़ रुपये करने का प्रस्ताव।

xiv. खनन, प्रसंस्करण, अनुसंधान और वनिर्माण को प्रोत्साहन देने के लए समर्पत दुर्लभ धातु गलयारों की स्थापना के उद्देश्य से खनिज समृद्ध ओडशा, केरल, आंध्र प्रदेश और तमलनाडु को सहायता देने का प्रस्ताव।

xv. घरेलू रसायन उत्पादन बढ़ाने और आयात पर निर्भरता घटाने के लए कलस्टर आधारित बनाओ और चलाओ मॉडल के आधार पर तीन समर्पत कैमकल पार्क स्थापत करने की योजना लाई जाएगी।

xvi. पूंजी सामान क्षमता मजबूत करना

xvii.

- डिजिटल रूप से सक्षम ऑटोमेटेड सर्वस ब्यूरो के रूप में दो स्थानों सी.पी.एस.ई. द्वारा हाईटेक टूल रूप स्थापत कए जाएंगे, जो उच्च गुणवत्ता के कलपुर्जों का बड़े पैमाने पर और कम लागत से स्थानीय स्तर पर डजाइन, परीक्षण और वनिर्माण करेंगे।
- उच्च मूल्य और प्रौद्योगकी के लहाज से उन्नत सी.आई.ई. के घरेलू वनिर्माण को मजबूत करने के लए निर्माण संवर्धन और अवसंरचना उपकरण योजना(सी.आई.ई.) शुरू की जाएगी।
- पांच वर्ष की अवध में दस हजार करोड़ रुपये के बजट आवंटन के साथ कंटेनर वनिर्माण योजना लाने प्रस्ताव।

xviii. **वस्त्र क्षेत्र के लए एकीकृत कार्यक्रम की घोषणा**

I. रेशम, ऊन और जूट जैसे प्राकृतिक फाइबर, मानवनिर्मत फाइबर और नए जमाने के फाइबर में आत्मनिर्भरता के लए राष्ट्रीय फाइबर योजना।

II. मशीनरी, प्रौद्योगकी उन्नयन और साझा परीक्षण तथा प्रमाणन केन्द्रों के लए पूंजी सहायता के साथ आधुनिक पारंपरिक क्लस्टरों के लए वस्त्र वस्तार और रोजगार योजना।

xix. चैलेंज मोड में मेगा टेक्सटाइल पार्क स्था पत करने का प्रस्ताव

xx. खादी, हथकरघा और हस्तशल्प की मजबूती के लए महात्मा गांधी ग्राम स्वराज पहल शुरू करने का प्रस्ताव। इससे देश के बुनकरों, ग्राम उद्योगों, एक जिला-एक उत्पाद पहल और ग्रामीण युवाओं को लाभ होगा।

xxi. इससे वैश्विक बाजार संपर्क, ब्रांडंग करने में मदद मलेगी और प्रशक्षण, कौशल, गुणवत्ता और उत्पादन को समर्थन मलेगा।

xxii.लीगेसी औद्यो गक समूहों के पुनरुद्धार की योजना

- अवसंरचना और प्रौद्योगकी उन्नयन के जरिए लागत स्पर्धा और दक्षता में सुधार के लए दो सौ लीगेसी औद्योगक समूहों के पुनरुद्धार की योजना लाने का प्रस्ताव।

xxiii.चैं पयन एस.एम.ई. बनाना और सूक्ष्म उद्य मयों को समर्थन

- एम.एस.एम.ई. को चैंपयनों के रूप में वकास करने में सहायता के लए त्रिस्तरीय ष्टिकोण- दस हजार करोड़ रुपये के आवंटन के साथ एस.एम.ई. ग्रोथ फंड शुरू करने का प्रस्ताव।
- दो हजार करोड़ रुपये के आवंटन के साथ वर्ष 2021 में बनाए गए आत्मनिर्भर भारत फंड को समर्थन जारी रहेगा।
- वशेष रूप से टीयर टू और टीयर थ्री शहरों में कॉर्पोरेट मत्र कार्डर वकसत करने के लए आई.सी.ए.आई., आई.सी.एस.आई, आई.सी.एम.ए.आई. जैसे व्यवसायिक शक्षा संस्थानों को सुवधा उपलब्ध कराई जाएगी।

xxiv.अवसंरचना को ठोस प्रोत्साहन

- वत्त वर्ष 2026-27 में सार्वजनिक पूंजी व्यय बढ़ाकर 12.2 लाख करोड़ रुपये कया जाएगा।
- ऋणदाताओं को आंशक ऋण गारंटी उपलब्ध कराने के लए अवसंरचना जोखम गारंटी फंड स्थापत करने का प्रस्ताव।
- समर्पत आर.ई.आई.टी. स्थापत करने के जरिए सी.पी.एस.ई. की महत्वपूर्ण रियल एस्टेट परिसंपत्तयों के पुनर्चक्रण की प्रक्रया तेज करने का प्रस्ताव।
- पूर्वी भारत में डानकूनी से पश्चिमी भारत के सूरत को जोड़ने के लए नए समर्पत माल गलयारे बनाए जाएंगे।
- जलचर और अंगुल जैसे खनिज समृद्ध और कलंग नगर जैसे औद्योगक केंद्रों को जोडने के लए ओडशा में एनडब्ल्यू-5 से शुरुआत के साथ अगले पांच वर्ष में 20 नए राष्ट्रीय जलमार्ग चालू कए जाएंगे।
- अपेक्षत श्रम शक्ति के वकास के लए क्षेत्रीय उत्कृष्टता केंद्रों के रूप में प्रशक्षण संस्थान स्थापत कए जाएंगे।

xxv.इनलैंड जलमार्गों और तटीय पोत परिहवन की हिस्सेदारी 6 प्रतिशत से बढाकर वर्ष 2047 तक 12 प्रतिशत करने के लए तटीय कार्गो प्रोमोशन स्कीम आरंभ की जाएगी।

- सी-प्लेन के स्वदेशी निर्माण के लए प्रोत्साहन दिया जाएगा और लास्ट माइल तथा दूरदराज क्षेत्रों तक संपर्क बढ़ाया जाएगा और पर्यटन को प्रोत्साहन दिया जाएगा।
- संचालन को समर्थन उपलब्ध कराने के लए सी-प्लेन वी.जी.एफ. स्कीम शुरू की जाएगी।

xxvi.

xxvii.दीर्घाव ध ऊर्जा सुरक्षा और स्थिरता सुनिश्चत करना।

- कार्बन टैक्चर उपयोग और भंडारण (सी.सी.यू.एस.) प्रौद्योगकयों के लए अगले पांच वर्ष की अवध के लए 20 हजार करोड़ रुपये आवंटित करने की घोषणा।

xxviii.शहर आ र्थक क्षेत्रों का वकास

- शहर आर्थक क्षेत्र (सी.ई.आर.) के लए पांच वर्षों की अवध के लए पांच हजार करोड़ रुपये के आवंटन की घोषणा।
- पर्यावरण अनुकूल टिकाठ यात्री प्रणाली को प्रोत्साहन देने के लए मुम्बई-पुणे, पुणे-हैदराबाद, हैदराबाद-बैंगलुरू, हैदराबाद-चेन्नई, चेन्नई-बैंगलुरू, दिल्ली-वाराणसी, वाराणसी-सलगुड़ी के बीच सात हाई स्पीड रेल कॉरिडोर वकसत कए जाएंगे।
- वत्तीय स्थ रता, समावेश और उपभोक्ता सुरक्षा के उपाय करते हुए भारत की आर्थक वृद्ध के अगले चरण के साथ कदम-ताल मलाते हुए बैंकंग क्षेत्र की व्यापक समीक्षा के उद्देश्य से ''वकसत भारत के लए बैंकंग'' पर उच्च-स्तरीय समति गठित करने का प्रस्ताव।
- पॉवर फाइनेंस कॉर्पोरेशन और ग्रामीण वद्युतीकरण निगम के पुनर्गठन का प्रस्ताव।
- भारत की उभरती आर्थक प्राथमकताओं के अनुसार वदेशी निवेश के लए अधक समकालीन और उपयोक्ता अनुकूल रूपरेखा के लए वदेश मुद्रा प्रबंधन (गैर-ऋण लखत) नियमावली की व्यापक समीक्षा का प्रस्ताव।
- बड़े शहरों द्वारा उच्च मूल्य के म्यूनिसपल बॉण्ड जारी करने को प्रोत्साहन करने के लए एक हजार करोड़ रुपये से अधक का संगल बॉण्ड जारी करने पर सौ करोड़ रुपये का प्रोत्साहन देने का प्रस्ताव।

xxix.

xxx.दूसरा कर्तव्य- लोगों की आकांक्षाएं पूरी करना और क्षमता बढ़ाना

- वकसत भारत के मुख्य संचालक के रूप में सेवा क्षेत्र पर ध्यान केन्द्रित करने के लए उपायों की सफारिश करने हेतु उच्चाधकार प्राप्त 'शक्षा से रोजगार एवं उद्यम' स्थायी समति के गठन का प्रस्ताव। यह फैसला भारत को वर्ष 2047 तक दस प्रतिशत की वैश्विक हिस्सेदारी के साथ अग्रणी बनाएगा।

xxxi. वक सत भारत के लए पेशेवर लोग तैयार करने

- संबद्ध स्वास्थ्य सेवा पेशवरों (ए.एच.पी.) के लए मौजूदा संस्थानों का उन्नयन कया जाएगा और निजी तथा सरकारी क्षेत्रों में नए ए.एच.पी. संस्थानों की स्थापना की जाएगी।
- अगले पांच वर्ष में एक लाख ए.एच.पी. जोड़े जाएंगे।
- वृद्धों की चकत्सा और संबद्ध देखभाल सेवाओं को शामल करते हुए मजबूत देखभाल सेवा परिवेश बनाया जाएगा। अगले कुछ वर्षों में डेढ़ लाख देखभाल सेवा प्रदाताओं को प्रशक्षत कया जाएगा।

xxxii.आयुष

xxxiii.तीन नए अ खल भारतीय आयुर्वेद संस्थान स्था पत कए जाएंगे

- प्रमाणन परिवेश के उच्च मानकों के लए आयुष फार्मेसी और औषध परीक्षण प्रयोगशालाओं का उन्नयन करने तथा अधक कुशल कार्मक उपलब्ध कराने और पारंपरिक दवाओं के लए साक्ष्य आधारित अनुसंधान,

प्रशक्षण और जागरुकता को बढ़ावा देने के लए जामनगर में डब्ल्यू.एच.ओ. वैश्विक पारंपरिक चकत्सा केन्द्र के उन्नयन का प्रस्ताव।

xxxiv.पशुपालन

- सरकार 20 हजार से अधक पशु डॉक्टरों की उपलब्धता करेगी।
- नि जी क्षेत्र में पशु रोग वशेषज्ञ और पैरा पशु शल्य महावद्यालय, पशु अस्पताल, नैदानिक प्रयोगशालाओं और प्रजनन सुवधाओं के लए ऋण संबद्ध पूंजी सब्सिडी सहायता योजना शुरू करने का प्रस्ताव।

xxxv.ऑरेंज इकोनॉमी

- इंडयन इंस्टीट्यूट ऑफ क्रएटिव टेक्नोलॉजी, मुम्बई को 15 हजार माध्यमक वद्यालयों और पांच सौ महावद्यालयों में ए.वी.जी.सी. कंटेंट क्रएटर लैब (सी.सी.एल.) स्थापत करने में सहायता प्रदान करने का प्रस्ताव।

xxxvi. शक्षा

- सरकार बड़े औद्योगक और लॉजिस्टिक कॉरीडोर के आसपास चुनौती मार्ग के माध्यम से पांच वश्ववद्यालय टाउनशप का निर्माण करने में राज्यों की सहायता करेगी।
- वी.जी.एफ. /पूंजीगत सहायता के माध्यम से प्रत्येक जिले में एक महिला छात्रावास की स्थापना की जाएगी।

xxxvii.पर्यटन

- मौजूदा राष्ट्रीय होटल प्रबंधन और केटरिंग प्रौद्योगकी परिषद का उन्नयन करते हुए राष्ट्रीय आतिथ्य संस्थान की स्थापना का प्रस्ताव।
- आई.आई.एम. के सहयोग से हाईब्रिड मोड में मानकीकृत, उच्च गुणवत्ता वाले 12 सप्ताह के प्रशक्षण पाठ्यक्रम के जरिए 20 पर्यटन स्थलों में 10 हजार गाइडों के कौशल उन्नयन के लए प्रायोगक योजना शुरू की जाएगी।
- सांस्कृतिक, आध्यात्मिक और वरासत महत्व वाले सभी स्थानों के डजिटल दस्तावेज तैयार करने के लए नेशनल डेस्टिनेशन डजिटल नॉलेज ग्रड की स्थापना की जाएगी।

xxxviii.

xxxix.

xl.

xli. वरासत और संस्कृति पर्यटन

- लोथल, धौलावीरा, राखीगढ़ी, अदिचनाल्लूर, सारनाथ, हस्तिनापुर और लेह पैलेस जैसे 15 पुरातात्विक स्थलों को जीवंत और अनुभवजन्य सांस्कृतिक गंतव्य के रूप में वकसत करने का प्रस्ताव।

xlii.खेल

- अगले दशक में खेल-कूद के क्षेत्र में बदलाव लाने के लए खेलो इंडया मशन शुरू करने का प्रस्ताव।

xliii.तीसरा कर्तव्य- सबका साथ- सबका वकास के ष्टिकोण के अनुरूप है और इसके लए निम्न ल खत चार क्षेत्रों में ल क्षत प्रयास करने की आवश्यकता है:-

xliv. कसानों की आय बढ़ाना

- कसानों की आय बढ़ाने के लए मत्स्य पालन, पांच सौ जलाशयों और अमृत सरोवरों के एकीकृत वकास, पशुपालन, उच्च मूल्य वाली कृष को प्रोत्साहन दिया जाएगा।

xlv.उच्च मूल्य कृ ष

xlvi.सरकार उच्च मूल्य वाली फसलों की खेती समर्थन देगी जैसे:-

- तटवर्ती इलाकों में नारियल, चंदन, कोको, काजू जैसे उच्च मूल्य वाली फसलों को सहायता प्रदान की जाएगी।
- नारियल उत्पादन में प्रतिस्पर्धा बढ़ाने के लए नारियल संवर्धन योजना का प्रस्ताव।
- पूर्वोत्तर में अगर के पेड़ों और पर्वतीय क्षेत्रो में बादाम, अखरोट और खुमानी जैसे गरीदार फलों को प्रोत्साहन दिया जाएगा।
- वर्ष 2030 तक भारतीय काजू और कोको को प्रीमयम वैश्विक ब्रांड के रूप में बदलने के लए, भारतीय काजू और कोको के लए समर्पत कार्यक्रम का प्रस्ताव।

xlvii.भारत- वस्तार

- केन्द्रीय बजट में भारत-वस्तार का प्रस्ताव, जो बहुभाषीय ए.आई. टूल है और जिसे ए.आई. प्रणाली सहित कृष संबंधी प्रणालयों के लए, आई.सी.ए.आर. पैकेज सहित एग्रीस्टैक पोर्टल के रूप में एकीकृत कया गया है।

xlviii.मान सक स्वास्थ्य और ट्रॉमा केयर के लए प्रतिबद्धता

- उत्तर भारत में मानसक स्वास्थ्य के लए निमहंस-टू की स्थापना की जाएगी।
- रांची और तेजपुर में राष्ट्रीय मानसक स्वास्थ्य संस्थानों का क्षेत्रीय शीर्ष संस्थानों के रूप में उन्नयन कया जाएगा।

xlix.पूर्वोदय राज्यों और उत्तर-पूर्व क्षेत्र पर ध्यान

- दुर्गापुर में बेहतर संपर्क नोड के साथ एकीकृत पूर्वी तट औद्योगक गलयारे के वकास, 5 पूर्वोत्तर राज्यों में 5 पर्यटन स्थलों के निर्माण और 4000 ई-बसों के प्रावधान का प्रस्ताव।
- अरुणाचल प्रदेश, सक्किम, असम, मणपुर, मजोरम और त्रिपुरा में बौद्ध सर्कट के वकास के लए नई योजना।

l.16वां वत्त आयोग

- सरकार ने 16वें वत्त आयोग की सफारिश के अनुसार वत्त आयोग अनुदान के रूप में वत्त वर्ष 2026-27 के लए राज्यों को 1.4 लाख करोड़ रुपये उपलब्ध कराए।

li.

liii.भाग-2

liii.प्रत्यक्ष कर

liv.नया आय कर अ धनियम

- नया आय कर अधनियम, 2025, दिनांक 01 अप्रैल, 2026 से प्रभावी हो जाएगा।
- सरलीकृत आय कर नियमावली और प्रपत्रों को शीघ्र ही अधसूचत कर दिया जाएगा। नए फॉर्म को इस तरह से डजाइन कया गया है ताक, आम नागरिक आसानी से उसका अनुपालन कर सके।

lv.जीवन जीने की सुगमता

- कसी साधारण व्यक्ति को मोटर दुर्घटना दावा अधकरण द्वारा अधनिर्णीत ब्याज को आय कर से छूट दी जाएगी और इस मद में स्रोत पर काटा गया कर देय नहीं होगा।

lvi.टी.सी.एस. को ता र्कक बनाना

- वदेश यात्रा कार्यक्रम पैकेज की बिक्री पर टी.सी.एस. दर को बिना कसी राश निर्धारण के मौजूदा 5 प्रतिशत और 20 प्रतिशत से कम करते हुए दो प्रतिशत करने का प्रस्ताव।
- मानव श्रम आपूर्ति के लए सरलीकृत टी.डी.एस. प्रावधानों से श्रम गहन कारोबारियों को लाभ होगा।
- छोटे करदाताओं के लए नई योजना का प्रस्ताव, जिसमें नियम आधारित स्वचालत प्रक्रया से, कर-निर्धारण अधकारी के समक्ष आवेदन दाखल करने के स्थान पर कम अथवा शून्य कटौती प्रमाण-पत्र करना संभव हो सकेगा।
- करदाताओं की सुवधा के लए डवडेंट, निवेश से प्रपत्र 15जी अथवा प्रपत्र 15एच स्वीकार करने के लए संगल वंडो।
- संशोधत रिटर्न के लए समयसीमा मामूली शुल्क के भुगतान के साथ 31 दिसम्बर से बढ़ाकर 31 मार्च की गई।
- कर रिटर्न फाइल करने के लए अलग-अलग समय सीमा का प्रस्ताव।
- कसी अनिवासी द्वारा अचल संपत्त की बिक्री पर टी.डी.एस. की कटौती की जाने और टैन की आवश्यकता के बजाए निवासी क्रेता के पैन आधारित चालान के माध्यम से जमा कराए जा सकते हैं।
- छोटे करदाताओं को अपनी वदेशी आय या संपत्त की घोषणा के लए एकमुश्त छह महीने की छूट की योजना।
- जुर्माने और मुकद्दमेबाजी को तार्कक रूप देना।
- आई.टी. आकलन और जुर्माने की कार्यवाही को सामान्य रूप से एकीकृत करने का प्रस्ताव है।
- करदाताओं को अपनी पुन: आकलन कार्यवाही के बाद रिटर्न अपडेट कराने की अनुमति होगी।
- आय का गलत ववरण देने पर अतिरिक्त आय कर के भुगतान के साथ छूट दी जा सकेगी।
- आय कर अधनियम के तहत मुकद्दमेबाजी की रूपरेखा को तार्कक बनाया गया है।

lvii.सहकारिता

- दूध, तिलहन, फल या सब्जियों की आपूर्ति में लगी प्राथमक सहकारी संस्थाओं को पहले से उपलब्ध कटौती का वस्तार अब पशुचारे और बिनौले की आपूर्ति करने वालों तक भी कया गया है।
- कसी अधसूचत राष्ट्रीय सहकारी संघ द्वारा दिनांक 31 जनवरी 2026 तक कंपनियों में दिए गए उनके निवेश पर प्राप्त लाभांश आय पर तीन वर्ष की अवध के लए छूट देने का प्रस्ताव।

lviii.भारत के वकास इंजन के रूप में आई.टी. क्षेत्र को सहायता

- सॉफ्टवेयर वकास सेवाओं, आई.टी. समर्पत सेवाओं, ज्ञान प्रक्रया आउटसोर्सिंग सेवाओं और सॉफ्टवेयर वकास से संबंधत सेवाएं 15.5 प्रतिशत के एक समान सेफ हार्बर मार्जिन के तहत आएंगी।
- आई.टी. सेवाओं के लए सेफ हार्बर प्राप्त करने की सीमा को तीन सौ करोड़ रुपये बढ़ाकर दो हजार करोड़ रुपये कया जा रहा है।
- ए.पी.ए. में शामल होने वाली कम्पनी को उपलब्ध संशोधत ववरणी की सुवधा उसकी संबद्ध संस्थाओं को भी प्रदान की जाएगी।

lix.वैश्विक व्यापार और निवेश आक र्षत करना

- कसी ऐसी वदेशी कंपनी के लए 2047 तक कर मे रियायत दी जाएगी, जो भारत से डाटा केन्द्र सेवाओं का उपयोग करके वैश्विक तौर पर क्लाउड सेवाएं प्रदान करती है।
- यदि, डाटा सेंटर सेवाएं प्रदान करने वाली कंपनी संबंधत कंपनी है तो उसे लागत पर 15 प्रतिशत का सेफ हार्बर भी प्रदान कया जाएगा।

lx.कर प्रशासन

- भारतीय लेखांकन मानक में ही आय परिकलन और प्रकटन मानकों के लए अपेक्षाएं शामल करने के हेतू कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय और केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड की संयुक्त समति गठित की जाएगी। वर्ष 2027-28 से आय परिकलन और प्रकटन मानकों पर आधारित प्रथक लेखांकन अपेक्षाओं को समाप्त कर दिया जाएगा।

lxi.

lxii.अन्य कर प्रस्ताव

- बायबैक के कराधान में परिवर्तन को इसलए लाया गया क प्रवर्तकों द्वारा बायबैक रूट का अनुचत उपयोग रोका जा सके। कॉरपोरेट प्रवर्तकों के लए प्रभावी कराधान 22 प्रतिशत और गैर-कॉरपोरेट के लए 30 प्रतिशत होगा।
- एल्कोहल युक्त लकर, स्क्रैप और खनिजों के वक्रेताओं के लए टीसीएस दरों को तर्कसंगत बनाते हुए 2 प्रतिशत कया जाएगा और तेंदु पत्ते पर 5 प्रतिशत की दर को घटाकर दो प्रतिशत कया जाएगा।
- वायदा सौदों पर ऑप्शन प्रीमयम और ऑप्शन कार्यकलाप दोनों पर एसटीटी की मौजूदा 0.1 प्रतिशत और 0.125 प्रतिशत से बढ़ाकर 0.15 प्रतिशत कर लगेगा।

- मैट को अंतिम कर बनाए जाने का प्रस्ताव है, इसलए 01 अप्रैल, 2026 से कोई और क्रेडट संचय नहीं होगा। इस परिवर्तन के अनुरूप 15 प्रतिशत की मौजूदा मैट दर को कम करके 14 प्रतिशत कया जा रहा है।

lxiii.**अप्रत्यक्ष कर** :

lxiv.शुल्क सरलीकरण

lxv.समुद्री चमड़ा और ,वस्त्र उत्पाद

- निर्यात हेतु सी-फूड उत्पादों के प्रसंस्करण हेतु इस्तेमाल कए गए वशेष घटकों के कर मुक्त निर्यात की सीमा को एफओबी वैल्यू के मौजूदा 1 प्रतिशत से बढ़ाकर 3 प्रतिशत कया जाएगा।
- चमड़ा अथवा संथेटिक फूटवयर के निर्यात के लए उपलब्ध कर मुक्त निर्यात, उसके वशेष उत्पादों के लए भी अनुमत होगा।

ऊर्जा संक्रमण एवं सुरक्षा :

- बैटरियों के लए लीथयम-आयन सेलों के निर्माण हेतु इस्तेमाल में आने वाली पूंजीगत सामग्रयों के लए मूलभूत सीमाशुल्क की छूट का वस्तार।
- सोलर ग्लास के निर्माण में इस्तेमाल हेतु सोडयम एंटीमोनेट के आयात पर मूलभूत सीमाशूल्क से छूट मलेगी।

न्यूक्लियर पावर:

- न्यूक्लियर पावर परियोजनाओं के लए आवश्यक सामग्रयों के आयात पर मौजूदा मूल-भूत सीमा शुल्क का वर्ष 2035 तक वस्तार कया जाएगा।

महत्वपूर्ण खनिज:

- महत्वपूर्ण खनिजों के प्रसंस्करण के लए आवश्यक पूंजीगत सामग्रयों के आयात के लए मूल-भूत सीमा शुल्क में छूट दी जाएगी।

बायोगैस म श्रत सीएनजी:

- बायोगैस मश्रत सीएनजी पर केंद्रीय उत्पाद शुल्क के भुगतान की गणना के समय बायोगैस के पूरे मूल्य पर छूट दी जाएगी।

असैनिक एवं रक्षा वमानन:

- असैनिक, प्रशक्षण एवं अन्य वमानों के निर्माण के लए आवश्यक कलपुर्जों पर मूलभूत सीमाशुल्क में छूट दी जाएगी।
- रक्षा क्षेत्र की ईकाइयों द्वारा रख-रखाव, मरम्मत अथवा अन्य आवश्यकताओं में इस्तेमाल कए जाने वाले वमान के पुर्जों के निर्माण हेतु आयात कए जाने वाले कच्चे माल पर मूलभूत सीमाशुल्क में छूट दी जाएगी।

इलैक्ट्रॉनिक्स:

- माइक्रोवेब ओवन के निर्माण में इस्तेमाल कए जाने वाले वशेष पुर्जों पर मूलभूत सीमाशुल्क में छूट दी जाएगी।

वशेष आ र्थक क्षेत्र:

- वशेष आर्थक क्षेत्रों से लेकर घरेलू टैरिफ क्षेत्र में पात्र वनिर्माण संयंत्रों द्वारा वक्रय की सुवधा हेतु एक वशेष एकबारगी उपाए का प्रस्ताव कया गया है, जिसके लए रियायती दरों का प्रस्ताव कया गया है। ऐसे वक्रय की मात्रा उनके निर्यात के निर्धारित अनुपात तक सीमत होगी।

जीवन की सुगमता:

- व्यक्तिगत इस्तेमाल के लए आयात की जाने वाली सभी कर योग्य सामग्रयों पर टैरिफ दर को 20 प्रतिशत के घटाकर 10 प्रतिशत कया जाएगा।
- 17 दवाओं/औषधयों पर मूलभूत सीमाशूल्क में छूट दी जाएगी।

lxvi.अतिरिक्त असाध्य रोगों के लए दवाओं 7/औष धयों के व्यक्तिगत निर्यात को कर मुक्त कया जाएगा।

lxvii.

lxviii.

lxix.

lxx.

सीमा-शुल्क सरलीकरण प्र क्रया

वस्तुओं के सुगम और त्वरित संचालन में कम से कम हस्तक्षेप

वश्वास आधारित प्रणा लयां

- एईओ के रूप में परिचत टियर 2 और टियर 3 प्राधकृत आर्थक प्रचालकों के लए शुल्क स्थगन अवध को 15 दिन से बढ़ाकर 30 दिन कया गया है। पात्र वनिर्माणकर्ता और आयातकों के लए भी समान शुल्क स्थगन सुवधा का प्रस्ताव।
- सीमा शुल्कों पर बाध्यकारी अग्रम नियम की वैधता अवध को 3 वर्ष से बढ़ाकर 5 वर्ष कया गया।
- कार्गों के समाशोधन के लए अधमान्य व्यवहार हेतु एईओ प्रमाणन का लाभ लेने के लए सरकारी एजेंसयों को प्रोत्साहित कया जाएगा।
- जिन वस्तुओं के आयात के लए कसी अनुपालन की आवश्यकता नहीं है, वश्वस्त आयातक द्वारा प्रवेश बिल दायर करने और वस्तुओं के आगमन पर सीमा-शुल्क को उनके समाशोधन औपचारिकताएं पूरी करने के लए अपने आप सूचना मल जाएगी।
- सीमा-शुल्क भंडारण,ऱ स्व-प्रकटन, इलेक्ट्रॉनिक ट्रैकंग और जोखम आधारित लेखा-परीक्षा के साथ एक भंडार संचालक केंद्रित प्रणाली में बदला जाएगा।

व्यापर सुगमता

- वभन्न सरकारी एजेंसयों से कार्गों समाशोधन के लए अनुमोदन प्रक्रया को इस वत्त वर्ष के अंत तक एकल और परस्पर जुड़े डजिटल वंडो के माध्यम से निर्बाध बनाया जाएगा।
- खाद्य, औषध, पौध, पशु और अन्य वन्य जीव उत्पादों, जो निषद्ध कार्गों का 70 प्रतिशत होता है, के समाशोधन शामल प्रक्रयाओं को अप्रैल 2026 तक संचालन रूप दिया जाएगा।
- जिन वस्तुओं के लए कोई अनुपालन आवश्यकता नहीं है, उन वस्तुओं को आयातक द्वारा ऑनलाइन पंजीकरण पूरा करने के तत्काल बाद समाशोधत कया जाएगा।
- सभी सीमा-शुल्क प्रक्रयाओं के लए एकल, एकीकृत और मापनीय प्लेटफॉर्म के रूप में सीमा-शुल्क एकीकृत प्रणाली 2 वर्षों में शुरु की जाएगी।
- गैर-सन्निवष्ट स्कैनिंग और उन्नत इमेजिंग तथा जोखम आकलन हेतु एआई प्रौद्योगकी उपयोग सभी प्रमुख पत्तनों में कंटेनर को स्कैन करने के उद्देश्य से चरणबद्ध तरीके से कया जाएगा।

निर्यात के नए अवसर

- वशेष आर्थक क्षेत्र अथवा बीच समुद्र में मछ्ली पकड़ने वाले भारतीय नौकाओं द्वारा पकड़ी गई मछली को शुल्क मुक्त कया जाएगा। वदेशी पत्तन पर ऐसी मछली के उतराई को निर्यात वस्तु के रूप में माना जाएगा।
- ई-कॉमर्स के माध्यम से वैश्विक बाजार में पहुंच के लए भारत के छोटे व्यवसाय, कारीगरों और स्टार्टअप की आकांक्षाओं को सहायता प्रदान करने के लए कुरियर निर्यात प्रति खेप 10 लाक रुपए की वर्तमान मूल्य सीमा को पूरी तरफ से हटाया जाएगा।
- अंतरराष्ट्रीय यात्रा के दौरान सामान निकासी से जुड़े प्रावधानों के संशोधन का प्रस्ताव कया गया है। संशोधत नियमों से वर्तमान समय की यात्रा संबंधी वास्तवकताओं के अनुरूप शुल्क मुक्त भत्ते में वृद्ध होगी।

lxxi.सभी बकायों का भुगतान करके ववादों का समाधान चाहने वाले ईमानदार करदाता अतिरिक्त राश का भुगतान करके अपने मामले बंद कर सकेंगे।

***

एनबी/एमजी/केसी/हिन्दी इकाई -

केन्द्रीय बजट 2026-27

पत्र सूचना कार्यालय
भारत सरकार

***

अनुमानित आधार पर कर का भुगतान करने वाले सभी अप्रवासयों को न्यूनतम वैकल्पिक कर से छूट

***

वर्ष 2047 तक वैसी कसी भी वदेशी कंपनी को कर रियायत है जो भारत से डाटा केन्द्र सेवाओं का उपयोग करके वैश्विक स्तर पर उपभोक्ताओं को क्लाउड सेवाएं प्रदान करती हैं

***

यदि भारत से डाटा केन्द्र सेवाएं प्रदान करने वाली कंपनी एक संबंधत कंपनी है तो उसे लागत पर 15 प्रतिशत का सेफ हार्बर

***

नई दिल्ली
01 फरवरी, 2026

डाटा केन्द्रों में महत्वपूर्ण अवसंरचना को सक्षम बनाने और निवेश बढ़ाने की आवश्यकता पर वचार करते हुए केन्द्रीय वत्त एवं कॉरपोरेट कार्य मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण ने आज संसद में बजट 2026-27 पेश करने के दौरान भारत से डाटा केन्द्र सेवाओं का उपयोग करके वैश्विक स्तर पर ग्राहकों को क्लाउड सेवाएं प्रदान करने वाली कसी भी वदेशी कंपनी को वर्ष 2047 तक कर रियायत प्रदान करने का प्रस्ताव कया है। इसके लए, उस कंपनी को भारतीय पुनर्बिक्री संस्था के माध्यम से भारतीय ग्राहकों को सेवा प्रदान करने की जरूरत होगी।

केन्द्रीय बजट में भारत से डाटा केन्द्र सेवाएं प्रदान करने वाली कंपनी को लागत पर 15 प्रतिशत का सेफ हार्बर प्रदान करने का प्रस्ताव कया गया है, यदि वह संबंधत कंपनी है।

केन्द्रीय वत्त मंत्री ने इलेक्ट्रॉनिक वनिर्माण के लए जस्ट-इन-टाइम कार्य कुशलता का उपयोग करने के लए बजट में बीजक मूल्य के 2 प्रतिशत के लाभांतर पर कसी बॉन्डेड वेयरहाउस में घटक वेयरहाउस के लए अप्रवासी को सेफ हार्बर प्रदान करने का प्रस्ताव कया है। लगभग 0.7 प्रतिशत का परिणामी कर प्रतिस्पर्धी क्षेत्राधकार के मुकाबले काफी कम होगा।

केन्द्रीय वत्त मंत्री ने देश में टोल निर्माण को बढ़ावा देने के लए बजट 2026-27 में ऐसे कसी अप्रवासी को आयकर से पांच वर्षों के लए छूट प्रदान करने का प्रस्ताव कया है जो

बॉन्डेड क्षेत्र में कसी टोल वनिर्माता को पूंजीगत वस्तुएं, उपकरण अथवा टूलंग उपलब्ध कराता है।

बजट प्रस्तावों में अधसूचत योजनाओं के अंतर्गत पांच वर्षों की प्रवास अवध के लए कसी अप्रवासी वशेषज्ञ की वैश्विक (गैर भारत स्रोत) आय के लए छूट प्रदान कया गया है। इसका उद्देश्य वैश्विक प्रतिभाओं को भारत में लंबी अवध के लए काम करने हेतु प्रोत्साहित करना है।

केन्द्रीय बजट में अनुमानित आधार पर कर का भुगतान करने वाले सभी अप्रवासयोंp को न्यूनतम वैकल्पिक कर से छूट देने का भी प्रस्ताव है।

***

एनबी /एमजी /केसी /हिन्दी इकाई -28

केंद्रीय बजट 2026-27

पत्र सूचना कार्यालय

भारत सरकार

***

निजी उपयोग के लए आयातित सभी शुल्क योग्य वस्तुओं पर प्रशुल्क दर को 20 प्रतिशत से 10 प्रतिशत कया गया

***

वशेष तौर पर कैंसर पीड़त रोगयों के लए 17 औषधयों अथवा दवाओं पर मूल सीमा शुल्क में छूट दी जाएगी

***

7 अतिरिक्त असाधारण रोगों के लए औषधयों और एफएसएमपी के निजी आयातों पर आयात शुल्क से छूट का प्रावधान

***

टियर 2 और टियर 3 प्राधकृत आर्थक प्रचालकों के लए शुल्क स्थगन अवध को 15 दिन से बढ़ाकर 30 दिन करने का प्रस्ताव

***

इलेक्ट्रॉनिक सीलंग का उपयोग करने वाले निर्यात कार्गो को फैक्ट्री परिसर से पोत तक पूर्ण समाशोधन उपलब्ध कराने का प्रावधान

***

नई दिल्ली...

01 फरवरी, 2026

केंद्रीय वत्त एवं कॉरपोरेट कार्य मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण ने आज संसद में केंद्रीय बजट 2026-27 पेश करते हुए कहा क सीमा और केंद्रीय शुल्क के लए कए गए प्रस्तावों का उद्देश्य शुल्क संरचना में सरलता, घरेलू वनिर्माण को सहायता, निर्यात प्रतिस्पर्धात्मकता को प्रोत्साहन प्रदान करने के साथ-साथ शुल्क को व्यवस्थित करना है।

जीवन जीने की सुगमता

केंद्रीय बजट में सीमा शुल्क ढांचे को युक्तिसंगत बनाते हुए निजी उपयोग के लए आयातित सभी शुल्क योग्य वस्तुओं पर प्रशुल्क दर को 20 प्रतिशत से 10 प्रतिशत करने का प्रस्ताव कया गया है। रोगयों, वशेष रूप से कैंसर से प्रभावत रोगयों को राहत प्रदान करने की दिशा में बजट में 17 औषधयों अथवा दवाओं पर मूल सीमा शुल्क में छूट दी जाएगी। इसके अलावा बजट में 7 अतिरिक्त असाधारण रोगों के लए कैंसर रोगयों के इलाज में उपयोग की जाने वाली औषधयों और एफएसएमपी के निजी आयातों पर आयात शुल्क से छूट का प्रावधान कया गया है।

केंद्रीय बजट में यात्रियों की वास्तवक चंताओं का समाधान करने के लए अंतर्राष्ट्रीय यात्रा के दौरान समान निकासी को शासत करने वाले प्रावधानों के संशोधन का प्रस्ताव कया गया है। संशोधत नियमों से वर्तमान समय की यात्रा संबंधी वास्तवकताओं के अनुरूप, शुल्क-मुक्त भत्ते में वृद्ध होगी और अंदर लाई गई अथवा बाहर ले जाई गई वस्तुओं की अस्थायी ढुलाई में स्पष्टता आएगी।

सीमा शुक्ल प्रक्रया

बजट में वस्तुओं के सुगम और त्वरित संचालन तथा व्यापार में अधक निश्चितता के लए कम से कम हस्तक्षेप करने के लए कई उपायो का प्रस्ताव कया गया है।

वश्वास आधारित प्रणालयां

बजट में टियर 2 और टियर 3 प्राधकृत आर्थक प्रचालकों के लए शुल्क स्थगन अवध को 15 दिन से बढ़ाकर 30 दिन करने का प्रस्ताव कया गया है। बजट में पात्र वनिर्माताओं आयातकों को समान शुल्क स्थगन सुवधा उपलब्ध कराने का प्रस्ताव कया गया है। इससे उन्हें नियत समय पर पूर्ण टियर 3-एईओ के रूप में अपना प्रतयायन प्राप्त करने के लए प्रोत्साहन मलेगा।

***

एनबी /एमजी /केसी /हिन्दी इकाई-27

केंद्रीय बजट 2026-27

पत्र सूचना कार्यालय

भारत सरकार

***

भारत वर्ष 2030-31 तक 50(+1)/ 50(-1) प्रतिशत के ऋण -से- जीडीपी अनुपात तक पहुंचने के लक्ष्य के मार्ग पर

***

संशोधत अनुमान 2025-26 के अनुसार राजकोषीय घाटा डीजीपी का 4.4 प्रतिशत रहेगा

***

बजट अनुमान 2026-27 के मुताबिक राजकोषीय घाटा डीजीपी का 4.3 प्रतिशत रहेगा

***

संशोधत अनुमान 2025-26 के मुताबिक कुल व्यय 49.6 लाख करोड़ रुपये है, जिसमें से पूंजीगत व्यय 11 लाख करोड़ रुपये है

***

केंद्र की निवल कर प्राप्तियां 26.7 लाख करोड़ रुपये तक हो जाएंगी

***

नई दिल्ली ...

01 फरवरी, 2026

ऋण -से- जीडीपी अनुपात

केंद्रीय वत्त एवं कॉरपोरेट कार्य मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण ने आज संसद में केंद्रीय बजट 2026-27 पेश करते हुए कहा, "सरकार निरंतर सामाजिक जरूरतों पर समझौता कए बगैर अपनी राजकोषीय वचनबद्धता को पूरा करती रही है।" इसके अनुरूप, ऋण -से- जीडीपी अनुपात बजट अनुमान 2026-27 में जीडीपी के 55.6 प्रतिशत रहने का अनुमान है, जो संशो धत अनुमान 2025-26 में जीडीपी का 56.1 प्रतिशत था। गरता हुआ ऋण -से- जीडीपी अनुपात धीरे-धीरे ब्याज भुगतान पर व्यय को कम करके प्राथ मक क्षेत्र के व्यय के लए संसाधनों को मुक्त करेगा।

राजकोषीय घाटा

ऋण लक्ष्य के लए एक मुख्य प्रचालानात्मक उपकरण राजकोषीय घाटे के बारे में श्रीमती निर्मला सीतारमण ने कहा, " मैं इस गरिमामयी सदन को हर्ष के साथ यह सू चत करती हूं क मैंने 2025-26 तक जीडीपी के 4.5 प्रतिशत से नीचे राजकोषीय घाटे को कम करने के लए वत्त वर्ष 2021-22 में की गई अपनी वचनबद्धता को पूरा कया। संशो धत अनुमान 2025-26 में राजकोषीय घाटे का अनुमान जीडीपी के 4.4 प्रतिशत रहने का अनुमान है जो 2025-26 के बजट अनुमान के बराबर है। ऋण समेकन की नई राजकोषीय दूरद र्शता के अनुरूप बजट अनुमान 2026-27 में राजकोषीय घाटा जीडीपी का 4.3 प्रतिशत होने का अनुमान है।

ग्राफ

संशोधत अनुमान 2025-26

वत्त मंत्री ने संसद को सू चत कया क गैर-ऋण प्राप्तियों का संशो धत अनुमान 34 लाख करोड़ रुपये है जिसमें केंद्र की निवल कर प्राप्तियां 26.7 लाख करोड़ रुपये है। कुल व्यय का संशो धत अनुमान 49.6 लाख करोड़ रुपये है जिसमें पूंजीगत व्यय लगभग 11 लाख करोड़ रुपये है।

बजट अनुमान 2026-27

वत्त मंत्री ने कहा क गैर-ऋण प्राप्तियां और कुल व्यय का अनुमान क्रमश: 36.5 लाख करोड़ रुपये और 53. 5 लाख करोड़ रुपये है। केंद्र की निवल कर प्राप्तियों का अनुमान 28. 7 लाख करोड़ रुपये है।

सकल बाजार उधारियां

श्रीमती निर्मला सीतारमण ने कहा क राजकोषीय घाटे के वत्त पोषण के लए दिनां कत प्रतिभूतियों से निवल बाजार उधारी का अनुमान 11.7 लाख करोड़ रुपये है। शेष वत्त पोषण छोटी बचतों और अन्य स्रोतों से आने की संभावना है। सकल बाजार उधारी का अनुमान 17.2 लाख करोड़ रुपये है।

***

एनबी /एमजी /केसी / हिंदी इकाई -26

केंद्रीय बजट 2026-27

पत्र सूचना कार्यालय

भारत सरकार

***

भारत 2030-31 तक 50±1 प्रतिशत के ऋणसे-ज-ीडीपी अनुपात तक पहुंचने के लक्ष्य की राह पर

***

संशोधित अनुमान 2025-26 में राजकोषीय घाटा जीडीपी का 4.4 प्रतिशत रहने का अनुमान

***

बजट अनुमान 2026-27 में राजकोषीय घाटा जीडीपी का 4.3 प्रतिशत रहने का अनुमान

***

संशोधित अनुमान 2025-26 के अनुसार कुल व्यय 49.6 लाख करोड़ रुपये है, जिसमें से पूंजीगत व्यय 11 लाख करोड़ रुपये है

***

केंद्र की निवल कर प्राप्तियां 26.7 लाख करोड़ रुपये हुईं

***

नई दिल्ली

01 फरवरी, 2026

आज संसद में केंद्रीय बजट पेश करते हुए केंद्रीय वत्त एवं कॉरपोरेट कार्य मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण ने कहा क "सरकार सामाजिक जरूरतों से समझौता कये बिना लगातार राजकोषीय वचनबद्धताओं को पूरा करती रही है।" इसी के अनुरूप, ऋण-से-जीडीपी अनुपात संशोधत अनुमान 2025-26 में जीडीपी के 56.1 प्रतिशत की तुलना में बजट अनुमान 2026-27 में जीडीपी के 55.6 प्रतिशत रहने का अनुमान है। गरता हुआ ऋण-से-जीडीपी अनुपात धीरे-धीरे ब्याज भुगतान पर व्यय को कम करके प्राथमक क्षेत्र के व्यय के लए संसाधनों को मुक्त करेगा।

राजकोषीय घाटा

राजकोषीय घाटा, जोक ऋण लक्ष्य के लए एक मुख्य प्रचालनात्मक लखत है, के बारे में बात करते हुए श्रीमती सीतारमण ने संसद को सूचत कया क वत्त वर्ष 2021-2022 में राजकोषीय घाटे को जीडीपी के 4.5 प्रतिशत से नीचे कम करने के लए की गई वचनबद्धता को पूरा कया गया है। संशोधत अनुमान 2025-26 में राजकोषीय घाटा का अनुमान जीडीपी के 4.4 प्रतिशत रहने का अनुमान है। ऋण समेकन की नई राजकोषीय दूरदर्शता के अनुरूप, बजट अनुमान 2026-27 राजकोषीय घाटा जीडीपी का 4.3 प्रतिशत रहने का अनुमान है।

संशोधत अनुमान (आरई) 2025-26

वत्त मंत्री ने सूचत कया क "गैर-ऋण प्राप्तियों का संशोधत अनुमान 34 लाख करोड़ रुपये है, जिसमें से केंद्रर की निवल कर प्राप्तियां 26.7 लाख करोड़ रुपये है। कुल व्यय का संशोधत अनुमान 49.6 लाख करोड़ रुपये है, जिसमें से पूंजीगत व्यय 11 लाख करोड़ रुपये है। "

बजट अनुमान (बीई) 2026-27

केंद्रीय वत्त मंत्री ने कहा क "गैर-ऋण प्राप्तियां और कुल व्यय का अनुमान क्रमशः 36.5 लाख करोड़ रुपये और 53.5 लाख करोड़ रुपये है। केंद्र की निवल कर प्राप्तियों का अनुमान 28.7 लाख करोड़ रुपये है।"

निवल बाजार उधारी

केंद्रीय वत्त मंत्री ने कहा क "राजकोषीय घाटे के वत्तपोषण हेतु, दिनांकत प्रतिभूतियों से निवल बाजार उधारी का अनुमान 11.7 लाख करोड़ रुपये है। शेष वत्तपोषण छोटी बचतों और अन्य स्रोतों के आने की संभावना है। सकल बाजार उधारी का अनुमान 17.2 लाख करोड़ रुपये है। "

***

एनबी /एमजी /केसी /हिन्दी इकाई-25

केंद्रीय बजट 2026-27

पत्र सूचना कार्यालय

भारत सरकार

***

केंद्रीय बजट 2026-27 ने वनिर्माण, अनुसंधान और नवाचार को बढ़ावा देने के लए खेलों से संबंधत एक समर्पत पहल का प्रस्ताव कया

***

यह पहल उच्च गुणवत्तापूर्ण, कफायती खेल सामान के लए भारत के वैश्विक केंद्र के रूप में उभरकर आने की क्षमता को और आगे ले जाएगी

***

अगले एक दशक में खेल क्षेत्र के कायाकल्प के लए खेलो इंडया मशन की घोषणा की गई

***

खेलो इंडया कार्यक्रम के द्धारा खेलों से जुड़ी प्रतिभाओं के व्यवस्थित बढ़ावा देने को खेलो इंडया मशन और आगे बढ़ाएगा

***

नई दिल्ली ...

01 फरवरी, 2026

केंद्रीय वत्त एवं कॉरपोरेट कार्य मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण ने आज संसद में केंद्रीय बजट 2026-27 पेश करते हुए कहा क उच्च गुणवत्तापूर्ण, कफायती खेल सामान के लए भारत के वैश्विक केंद्र के रूप में उभरकर सामने आने की क्षमता का लाभ उठाने के लए एक खेलों के सामान से संबंधत पहल का देश में शुभारंभ कया जाएगा।

खेलों से संबंधत सामान पर की गई घोषणा तीन कर्तव्यों के पहले कर्तव्य पर केंद्रित है, जो इस वर्ष के बजट के स्तंभों का निर्माण करती हैं, अर्थात आर्थक वृद्ध को गति देना और उसको बनाए रखना, उत्पादकता और प्रतिस्पर्धात्मकता को बेहतर करना और उथल-पुथल वाले वैश्विक डायनेमक्स के प्रति लचीलेपन का निर्माण करना। खेलों के सामान से संबंधत इस पहल का उद्देश्य उपकरण डजाइन और सामग्री वज्ञान दोनों में वनिर्माण, अनुसंधान और नवाचार को बढ़ावा देना है।

केंद्रीय बजट ने एक और महत्वपूर्ण प्रस्ताव कया है, जो देश के खेलों से संबंधत इकोसस्टम को मजबूत करेगा। अपने बजट भाषण में श्रीमती निर्मला सीतारमण ने कहा, “खेल

क्षेत्र रोजगार के बहुत सारे साधन, कौशल और नौकरियों के अवसर प्रदान करता है। खेलो इंडया कार्यक्रम के द्धारा खेलों से जुड़ी प्रतिभाओं के व्यवस्थित बढ़ावा देने को और आगे ले जाने के लए मैं खेलो इंडया मशन के शुभारंभ का प्रस्ताव करती हूं, जो अगले एक दशक में खेल क्षेत्र का कायाकल्प कर देगा।" यह कदम बजट में रेखांकत कए गए दूसरे कर्तव्य के अनुरूप है, अर्थात देश के लोगों की आकांक्षाओं को पूरा करना और उनकी क्षमताओं को वकसत करना, ताक वे भारत की समृद्ध के मार्ग में मजबूत भागीदार बन सकें।

जैसा क केंद्रीय वत्त मंत्री ने कहा, खेलो इंडया मशन निम्नलखत को सुगम बनाएगा:

- एक एकीकृत प्रतिभा वकास मार्ग, जो बुनियादी, इंटरमीडयट और एलीट स्तर पर प्रशक्षण केंद्रों द्वारा समर्थत होगा
- प्रशक्षकों और सहायक स्टाफ का व्यवस्थित वकास कया जाएगा
- खेल वज्ञान और प्रौद्योगकी का एकीकरण
- खेलों की संस्कृति को बढ़ावा देने के लए व इसके लए मंच प्रदान करते हुए प्रतिस्पर्धाएं और लीग आयोजित कराना
- प्रशक्षण और प्रतियोगताओं के लए खेलों से संबंधत बुनियादी ढांचे का वकास करना

***

एनबी /एमजी /केसी /हिंदी इकाई -24

केंद्रीय बजट 2026-27

पत्र सूचना कार्यालय

भारत सरकार

***

आयकर अधनियम-2025, 1 अप्रैल, 2026 से प्रभावी होगा

***

स्क्रैप और खनिजों के लए टीसीएस दरों को तर्क-संगत रूप देकर 2 प्रतिशत कया जाएगा

***

उदारीकृत रेमटेंस योजना के तहत शक्षा व इलाज हेतु रेमटेंस के लए टीसीएस को 5 प्रतिशत से घटाकर 2 प्रतिशत कया गया

***

सभी शेयरधारकों के लए बायबैक पर पूंजीगत लाभ के रूप में कर लगाया जाएगा

***

नई दिल्ली...
01 फरवरी, 2026

केंद्रीय वत्त एवं कॉरपोरेट कार्य मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण द्वारा आज संसद में पेश कए गए केंद्रीय बजट 2026-27 में ढांचागत सुधारों को निरंतरता दिए जाने के 'कर्तव्य' जोर दिया गया है। वत्त मंत्री ने कर व्यवस्था के सरलीकरण और नागरिकों द्वारा बेहतर तरीके से इसके अनुपालन के लए प्रत्यक्ष कर में सुधारों के लए कई उपायों का प्रस्ताव रखा है।

नया आयकर अधनियम

आयकर अधनियम 2025, 1 अप्रैल, 2026 से प्रभावी होगा। सरलीकृत आयकर नियम व फॉर्म उचत समय पर अधसूचत कर दिए जाएंगे ताक करदाताओं को इनसे परिचत होने के लए

पर्याप्त समय मल सके। फॉर्म को नए रूप में डजाइन कया गया है, जिससे आम लोग आसानी से समझ कर इसका अनुपालन कर सकें।

कर प्रशासन

श्रीमती निर्मला सीतारमण ने भारतीय लेखांकन मानक (इंडएएस) में आय परिकलन और प्रकटन मानकों के लए अपेक्षाएं शामल करने हेतु कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय और केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड की एक संयुक्त समति के गठन का प्रस्ताव कया है। कर वर्ष 2027 से 2028 से आईसीडीएस पर आधारित पृथक लेखांकन अपेक्षाओं को समाप्त कर दिया जाएगा।

प्रधानमंत्री के स्वदेशी लेखांकन एवं परामर्शी प्रतिष्ठानों के वैश्विक अग्रणी बनने के ष्टिकोण का साकार करने के लए बजट में सेफ हार्वर नियमावली के प्रयोजनार्थ लेखाकार की परिभाषा को तर्कसंगत बनाने का प्रस्ताव कया गया है।

अन्य कर प्रस्ताव

- प्रमोटरों द्वारा बायबैक के अनुचत प्रयोग पर रोक लगाने के लए बजट में सभी प्रकार के शेयरधारकों के लए बायबैक पर पूंजीगत लाभ के रूप में कर लगाने का प्रस्ताव कया गया है। हालांक कर ववाचन के दुरुपयोग को हतोत्साहित करने के लए प्रमोटर्स अतिरिक्त बायबैक कर का भुगतान करेंगे। इससे कॉर्पोरेट प्रवर्तकों के लए प्रभावी कराधान 22 प्रतिशत होगा। गैर-कॉर्पोरेट प्रवर्तकों के लए यह कर 30 प्रतिशत होगा।
- एल्कोहॉल युक्त लीकर, स्क्रैप और खनिजों के वक्रेताओं के लए टीसीएस दरों को तर्कसंगत बनाते हुए 2 प्रतिशत कया जाएगा। तेंदु पत्तों पर इन दरों को 5 प्रतिशत से घटाकर 2 प्रतिशत कया जाएगा। उदारीकृत रेमटेंस योजना के तहत 10 लाख रुपए से ज्यादा रकम के रेमटेंस के लए टीसीएस दर- (क) शक्षा व इलाज हेतु रेमटेंस के लए 2 प्रतिशत (ख) शक्षा अथवा इलाज के अलावा अन्य उद्देश्यों के लए 20 प्रतिशत।
- वायदा सौदों पर प्रतिभूति लेनदेन कर (एसटीटी) 0.02 प्रतिशत से बढ़ाकर 0.05 प्रतिशत करने का प्रस्ताव है। ऑप्शन प्रीमयम और ऑप्शन कार्यकलाप पर एसटीटी को वर्तमान दर क्रमशः 0.1 प्रतिशत और 0.125 प्रतिशत से बढ़ाकर 0.15 प्रतिशत कए जाने का प्रस्ताव है।

- कंपनियों को नई व्यवस्था में स्थानांतरित करने के लए प्रोत्साहित करने हेतु, कंपनियों को मैट-क्रेडट को समयोजित करने की अनुमति केवल नई व्यवस्था में दिए जाने का प्रस्ताव है। नई व्यवस्था में उपलब्ध मैट-क्रेडट का उपयोग करके समायोजन कर देयताओं के ¼ की सीमा तक की अनुमति दिए जाने का प्रस्ताव है।
- 1 अप्रैल, 2026 से कोई और क्रेडट संचय नहीं होगा और मैट को अंतिम कर बनाया जाएगा। इस परिवर्तन के अनुरूप 15 प्रतिशत की वर्तमान मैट दर को कम करके 14 प्रतिशत कया जाएगा। 31 मार्च 2026 तक संचत करदाताओं के आगे ले जाई गई मैट क्रेडट, ऊपर दिए गए हिसाब से समयोजन के लए उपलब्ध रहेंगे।

***

एनबी/एमजी/केसी/हिन्दी इकाई-20

केन्द्रीय बजट 2026-27

पत्र सूचना कार्यालय

भारत सरकार

****

केन्द्रीय बजट 2026-27 में भारत के अगले चरण की वकास जरूरतों के अनुरूप इस क्षेत्र की व्यापक समीक्षा करने के लए वकसत भारत के बैंकंग पर उच्च स्तरीय समति गठित करने का प्रस्ताव है

****

सार्वजनिक क्षेत्र के एनबीएफसी में उच्च स्तर प्राप्त करने और दक्षता में सुधार के उद्देश्य से प्रथम कदम के रूप में वद्युत वत्त निगम और ग्रामीण वद्युतीकरण निगम के पुनर्गठन का प्रस्ताव कया गया है

***

केन्द्रीय बजट में एक ऐसे बाजार निर्माण की संरचना का प्रस्ताव है, जहां कॉरपोरेट बॉण्ड क्षेत्र में निधयों और व्युत्पन्नों के लए पर्याप्त अवसर हों, इसमें कॉरपोरेट बॉण्डों पर पूर्ण रिटर्न स्वैप शुरू करने का भी प्रस्ताव है

***

यह बजट बड़े शहरों द्वारा अधक मूल्य के म्युनिसपल बॉण्ड्स जारी करने को बढ़ावा देने के लए एक हजार करोड़ रुपये से अधक का एकल बॉण्ड जारी करने के लए एक सौ करोड़ रूपये के प्रोत्साहन का प्रस्ताव करता है

***

भारत के बाहर के निवासी वशेष व्यक्ति (पीआरओआई) को पोर्टफोलयो निवेश योजना के माध्यम से सूचीबद्ध भारतीय कंपनियों की इक्विटी लखतों में निवेश करने की अनुमति होगी

***

नई दिल्ली.....
01 फरवरी, 2026

केंद्रीय वत्त एवं कॉरपोरेट कार्य मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण ने आज संसद में केंद्रीय बजट 2026-27 पेश करते हुए कहा क यह केंद्रीय बजट वत्तीय स्थायित्व, समावेशन और उपभोक्ता संरक्षण को सुनिश्चित करते हुए भारत के अगले चरण की वकास जरूरतों के अनुरूप,

इस क्षेत्र की व्यापक समीक्षा करने के लए वकसत भारत के लए बैंकंग पर उच्च स्तरीय समति गठित करने का प्रस्ताव पारित करता है। आज भारतीय बैंकंग के पास अपना एक मजबूत बेलेंस शीट है, लाभप्रदत्ता में ऐतिहासक उच्च स्तर, परिसम्पत्तयों की बेहतर गुणवत्ता और देश के 98 प्रतिशत से अधक गांवों में कवरेज, आज भारतीय बैंकंग क्षेत्र की प्रमुख वशेषताएं है।

ऋण संवतरण और प्रौद्योगकी अपनाने के लए स्पष्ट लक्ष्यों के साथ वकसत भारत के लए एनबीएफसी हेतु वजन तैयार कया गया है। सार्वजनिक क्षेत्र के एनबीएफसी में उच्च स्तर प्राप्त करने और दक्षता में सुधार के उद्देश्य से प्रथम कदम के रूप में, वद्युत वत्त निगम और ग्रामीण वद्युतीकरण निगम के पुनर्गठन का प्रस्ताव पारित कया गया।

भारत की वकासोन्मुख आर्थक प्राथमकताओं के अनुरूप वदेशी निवेश के लए अधक समकालीन, उपयोगकर्ता अनुकूल ढांचा तैयार करने के लए वदेशी मुद्रा प्रबंधन नियमावली की व्यापक समीक्षा का भी इस केन्द्रीय बजट में प्रस्ताव है।

केन्द्रीय बजट 2026-27 में एक ऐसे बाजार निर्माण की संरचना का प्रस्ताव है, जहां कॉरपोरेट बॉण्ड क्षेत्र में निधयों और व्युत्पन्नों के लए पर्याप्त अवसर हों। इसमें कॉरपोरेट बॉण्डों पर पूर्ण रिटर्न स्वैप शुरू करने का भी प्रस्ताव है।

यह बजट बड़े शहरों द्वारा अधक मूल्य के म्युनिसपल बॉण्ड जारी करने को बढ़ावा देने के लए 1,000 करोड़ रुपये से अधक का एकल बॉण्ड जारी करने के लए 100 करोड़ रूपये के प्रोत्साहन का प्रस्ताव पारित करता है। अमृत योजना के अंतर्गत वर्तमान योजना, जो 200 करोड़ रुपये तक के बॉण्ड जारी करने पर प्रोत्साहन प्रदान करती है, वह भी छोटे और मध्यम कस्बों को सहायता प्रदान करने के लए जारी रहेगी।

भारत के बाहर के निवासी वशेष व्यक्ति (पीआरओआई) को पोर्टफोलयो निवेश योजना के माध्यम से सूचीबद्ध भारतीय कंपनियों की इक्विटी लखतों में निवेश करने की अनुमति होगी। इस योजना के अंतर्गत सभी व्यक्तिगत पीआरओआई के लए समग्र निवेश सीमा को वर्तमान के 10 प्रतिशत से 24 प्रतिशत करने के साथ कसी व्यक्तिगत पीआरओआई निवेश सीमा को 5 प्रतिशत से बढ़ाकर 10 प्रतिशत करने का भी प्रस्ताव है।

***

एनबी /एमजी /केसी /हिन्दी इकाई-19

केंद्रीय बजट 2026-27

पत्र सूचना कार्यालय

भारत सरकार

***

केन्द्रीय बजट 2026-27 ने सेवा क्षेत्र पर ध्यान केंद्रित करने के उपायों की सफारिश हेतु एक उच्चाधकार प्राप्त रोजगार और उद्यम एवं स्थायी समति के गठन का प्रस्ताव कया

***

भारत के पूर्वी क्षेत्र में नए राष्ट्रीय डजाइन संस्थान की स्थापना की जाएगी

***

प्रमुख औद्योगक और रसद गलयारों में 5 वश्ववद्यालय टाउनशप का निर्माण

***

वीजीएफ /पूंजीगत सहायता के माध्यम से प्रत्येक जिले में एक महिला छात्रावास की स्थापना की जाएगी

***

खगोल-भौतिकी और खगोल वज्ञान को प्रोत्साहन देने के लए 4 टेलीस्कोप बुनियादी सुवधा केंद्रों की स्थापना अथवा उन्नयन कया जाएगा

***

नई दिल्ली...

01 फरवरी, 2026

केंद्रीय वत्त एवं कॉरपोरेट कार्य मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण ने आज संसद में केंद्रीय बजट 2026-27 पेश करते हुए कहा क वकसत भारत के एक प्रमुख संचालक के तौर पर सेवा क्षेत्र पर ध्यान केंद्रित करने के उपायों की सफारिश हेतु एक उच्चाधकार प्राप्त रोजगार एवं उद्यम एवं स्थायी समति के गठन का प्रस्ताव कया। यह 2047 तक वैश्विक भागीदारी में 10 प्रतिशत की हिस्सेदारी के साथ सेवा क्षेत्र में भारत को अंतरराष्ट्रीय स्तर पर अग्रणी बनाएगा। यह समति वृद्ध, रोजगार और निर्यात को समग्र रूप से बढ़ाने के लए प्राथमकता वाले क्षेत्रों पर काम करेगी। यह समति एआई सहत रोजगारों और कौशल आवश्यकताओं के अलावा प्रस्तावत उपायों के माध्यम से उभरती हुई तकनीकयों के प्रभाव का आकलन भी करेगी।

भारतीय डजाइन उद्योग का तेजी से वस्तार होने के बावजूद अभी भी भारतीय डजाइनरों की कमी है। केंद्रीय बजट भारत के पूर्वी क्षेत्र में डजाइन शक्षा और इसके वकास को प्रोत्साहन देने के लए एक नए राष्ट्रीय डजाइन संस्थान की स्थापना का प्रस्ताव करता है।

सरकार प्रमुख औद्योगक और रसद गलयारों के आसपास के क्षेत्रों में पांच वश्ववद्यालय टाउनशप के निर्माण में चुनौतीपूर्ण साधनों के माध्यम से राज्यों को सहायता प्रदान करेगी। इन योजनाबद्ध शैक्षणक क्षेत्रों में वभन्न वश्वव़द्यालयों, महावद्यालयों, अनुसंधान संस्थानों, कौशल केंद्रों और आवासीय परिसरों का निर्माण कया जाएगा।

छात्राएं उच्चतर शक्षा एसटीईएम संस्थानों की प्रयोगशाला में लंबे समय तक कए जाने वाले अध्ययन से जुड़ी चुनौतियों का सामना करती हैं। केंद्रीय बजट ने वीजीएफ/पूंजीगत सहायता के माध्यम से प्रत्येक जिले में 1 महिला छात्रावास की स्थापना का प्रस्ताव कया।

गहन अध्ययन के माध्यम से खगोल-भौतिकी और खगोल वज्ञान को बढ़ावा देने के लए 4 टेलस्कोप अवस्थापना सुवधाओं- नेशनल लार्ज सोलर टेलस्कोप, नेशनल लार्ज ऑप्टिकल इन्फ्रारेड टेलस्कॉप, हिमालयन चंद्र टेलस्कॉप और द कॉसमॉस-2 प्लेनेटोरियम की स्थापना की जाएगी।

***

एनबी /एमजी /केसी /हिन्दी इकाई-18

केंद्रीय बजट 2026-27

पत्र सूचना कार्यालय

भारत सरकार

****

केंद्रीय बजट 2026-27 में प्रत्यक्ष कर प्रस्तावों में दंड और अभयोजन को युक्तिसंगत बनाने की घोषणा

****

कर-निर्धारण और दंड कार्यवाहियों को एकीकृत करने का प्रस्ताव जिससे प्रक्रयाओं के दोहराव से बचा जा सके और व्यवसाय में सुगमता को बढ़ावा दिया जा सके

****

पुराने प्रभाव के साथ 01.10.2024 से 20 लाख रुपये से कम के सकल मूल्य वाली अचल वदेशी परिसंपत्त को घोषत न कए जाने पर फलहाल कोई दंड नहीं, ऐसे मामलों में अभयोजन से सुरक्षा देते हुए इसे लागू कए जाने का प्रस्ताव रखा गया

****

नई दिल्ली...

01 फरवरी, 2026

केंद्रीय वत्त एवं कॉरपोरेट कार्य मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण ने आज संसद में केंद्रीय बजट 2026-27 प्रस्तुत कया। इन बजट प्रस्तावों का उद्देश्य प्रत्यक्ष करों में दंड और अभयोजन को युक्तिसंगत बनाना है।

वत्त मंत्री ने एक सामान्य आदेश के माध्यम से कर-निर्धारण और दंड कार्यवाहियों को एकीकृत करने का प्रस्ताव रखा जिससे प्रक्रयाओं के दोहराव से बचा जा सके। अपील की प्रक्रया के निष्कर्ष पर ध्यान दिए बिना प्रथम अपीलीय प्राधकरण के समक्ष अपील की अवध के लए दंड राश के संबंध में करदाता पर कोई ब्याज देयता नहीं होगी। इसके अतिरिक्त पूर्व भुगतान 20 प्रतिशत से कम करके 10 प्रतिशत की जा रही है और इसकी गणना मुख्य कर मांग पर होगी।

वत्त मंत्री ने मुकदमेबाजी को कम करने के लए एक अतिरिक्त उपाय के रूप में करदाता को संगत वर्ष के लए लागू दर के अतिरिक्त 10 प्रतिशत कर दर के साथ ववरणी को पुनर्निधारण कार्यवाहियों के पश्चात भी अपडेट करने की अनुमति देने का प्रस्ताव रखा है। कर-निर्धारण अधकारी उसके बाद अपनी कार्यवाहियों में केवल इस अपडेट ववरणी का उपयोग करेंगे।

कम कर की सूचना देने के मामलों में दंड और अभयोजन से सुरक्षा हेतु एक फ्रेमवर्क पहले से मौजूद है। वत्त मंत्री ने सुरक्षा के इन फ्रेमवर्क को गलत सूचना देने के संबंध में लागू करने का प्रस्ताव रखा है। हालांक ऐसे मामलों में करदाता को देय कर और ब्याज के अलावा अतिरिक्त आयकर के रूप में कर राश के 100 प्रतिशत का भुगतान करना अपेक्षत होगा।

खातों के लेखापरीक्षा न कराने के मामलों में, अंतरण मूल्य निर्धारण लेखापरीक्षा रिपोर्ट प्रस्तुत न करने तथा वत्तीय लेन-देन के मामलों में ववरण प्रस्तुत करने में चूक जैसी तकनीकी गलतियों के लए दंडों को शुल्क में परिवर्तित करने का प्रस्ताव है।

वत्त मंत्री ने कुछ गंभीर अपराधों के रोकने के संबंध में सावधानीपूर्वक संतुलन बनाते हुए आयकर अधनियम के अंतर्गत अभयोजन ढांचे को युक्तिसंगत बनाने का प्रस्ताव रखा है।

लेखा बही खातों और दस्तावेजों को प्रस्तुत न करने तथा वस्तु रूप में भुगतान के मामले में टीडीएस का भुगतान न करना अब अपराध की श्रेणी से बाहर होगा। इसके अतिरिक्त छोटे अपराधों के लए अब केवल जुर्माना लगाया जाएगा। अन्य अभयोजनों को अपराध के अनुसार अनुपात में श्रेणीबद्ध कया जाएगा। इसका परिणाम अधकतम कारावास को कम करके दो वर्ष

करते हुए केवल साधारण कारावास होगा जिसमें न्यायालयों को इन्हें जुर्माने में परिवर्तित करने की शक्तियां होंगी।

पुराने प्रभाव के साथ 01.10.2024 से 20 लाख रुपये से कम के सकल मूल्य वाली अचल क्देशी परिसंपत्त को घोषत न कए जाने पर फलहाल कोई दंड नहीं है। ऐसे मामलों में अभयोजन से सुरक्षा देते हुए इसे लागू कए जाने का प्रस्ताव रखा गया है।

***

एनबी/एमजी/केसी/हिन्दी इकाई-17

केंद्रीय बजट 2026-27

पत्र सूचना कार्यालय

भारत सरकार

***

वत्त वर्ष 2026-27 में 12.2 लाख करोड़ रुपये के सार्वजनिक कैपेक्स प्रस्तावत

***

7 हाई-स्पीड रेल कॉरिडोर, एक समर्पत मालवाहक गलयारा और 20 नए राष्ट्रीय जलमार्ग प्रस्तावत

***

इन्फ्रास्ट्रक्चर रिस्क गारंटी फंड से निजी डेवलेपरों के वश्वास को बढ़ावा मलेगा

***

सीप्लेन के स्वदेशी वनिर्माण को प्रोत्साहित करने के लए सीप्लेन वीजीएफ स्कीम लागू होगी

***

नई दिल्ली...

01 फरवरी, 2026

केंद्रीय वत्त एवं कॉरपोरेट कार्य मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण ने आज संसद में केंद्रीय बजट 2026-27 पेश करते हुए कहा क "हमारा पहला कर्तव्य उत्पादकता और प्रतिस्पर्धात्मकता को बढ़ाने तथा अस्थिर वैश्विक स्थिति में गतिशीलता का निर्माण करने के जरिए आर्थक वकास में तेजी लाना और उसे बनाए रखना है।"

वत्त मंत्री ने अपने बजट भाषण में कहा क सार्वजनिक कैपेक्स वत्त वर्ष 2014-15 के 2 लाख करोड़ रुपये से कई गुना बढ़कर बजट अनुमान 2025-26 में 11.2 लाख करोड़ रुपये के आवंटन तक पहुंच गया और इसकी गति बनाए रखने के लए वत्त वर्ष 2026-27 में इसे 12.2 लाख करोड़ रुपये तक बढ़ाने का प्रस्ताव रखा गया है। उन्होंने संसद को बताया क पछले दशक के दौरान सरकार ने इन्फ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट (आईएनवीआईटी) और रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट (आरईआईटी) जैसे नये वत्त पोषण इंस्ट्रूमेंट्स और एनआईआईएफ तथा एनएवीएफआईडी जैसे संस्थानों सहित व्यापक स्तर पर सार्वजनिक बुनियादी ढ़ांचे में वृद्ध के लए कई पहल की हैं। पछले कुछ वर्षों में आरईआईटी एसेट मॉनेटाइजेशन के लए एक सफल इंस्ट्रूमेंट के रूप में उभरा है। बजट 2026-27 में डेडकेटेड आरईआईटी की स्थापना के माध्यम से सीपीएससी के महत्वपूर्ण रियल एस्टेट एसेट्स की रिसाइक्लिंग में तेजी लाने का प्रस्ताव रखा गया है।

इन्फ्रास्ट्रक्चर रिस्क गारंटी फंड

बुनियादी ढ़ांचा वकास तथा निर्माण चरण के दौरान जोखमों को लेकर निजी डेवलेपरों के वश्वास को मजबूत करने के लए ऋणदाताओं को ववेकपूर्ण संयोजित आंशक क्रेडट गारंटी उपलब्ध कराने के लए इन्फ्रास्ट्रक्चर रिस्क गारंटी फंड का प्रस्ताव रखा गया है।

कार्गो की पर्यावरणीय रूप से सतत आवाजाही

इस उद्देशय को बढ़ावा देने के लए बजट में पूरब में डानकुनी तथा पश्चिम में सूरत से कनेक्ट करने के लए नए डेडकेटिड फ्रेट कॉरिडोर की स्थापना करने का प्रस्ताव रखा गया है। साथ ही यह बजट अगले 5 वर्षों में 20 नए राष्ट्रीय जल मार्गों (एनडब्ल्यू) को प्रचालत करने का भी प्रस्ताव रखा है। ऐसी परिकल्पना की गई है क यह ओडशा में एनडब्ल्यू-5 से आरंभ कर तलचर और अंगूल के खनिज अवयव समृद्ध क्षेत्रों तथा कलंग नगर जैसे औद्योगक केन्द्रों से पारादीप और धमरा के बंदरगाहों को जोड़ेगा। अंतर्देशीय जलमार्गों और तटीय शपंग के हिस्से को 2047 तक 6 प्रतिशत से 12 प्रतिशत तक बढ़ाने के लए वत्त मंत्री ने रेल और सड़क से एक मॉडल शफ्ट को प्रोत्साहित करने के लए एक तटीय कार्गो संवर्धन स्कीम लॉन्च करने का प्रस्ताव रखा।

श्रीमती निर्मला सीतारमण ने कहा क आवश्यक श्रमबल के वकास के लए उत्कृष्टता के क्षेत्रीय केन्द्रों के रूप में प्रशक्षण संस्थानों की भी स्थापना की जाएगी जो प्रशक्षत करने तथा कौशल हासल करने के जरिए जलमार्ग के पूरे क्षेत्र में युवाओं को लाभान्वित करेगा। इसके अतिरिक्त अंतर्देशीय जलमार्गों की आवश्यकता की पूर्ति के लए वाराणसी एवं पटना में एक जहाज मरम्मत इकोसस्टम की भी स्थापना करने का प्रस्ताव है।

***7* हाई-स्पीड रेल कॉरिडोर**

पर्यावरणीय रूप से सतत यात्री प्रणालयों को बढ़ावा देने के लए वत्त मंत्री ने अपने बजट भाषण में I) मुम्बई-पुणे, II) पुणे-हैदराबाद, III) हैदराबाद-बेंगलूरु, IV) हैदराबाद-चेन्नई, V)

चेन्नई-बेंगलूरु, VI) दिल्ली-वाराणसी, VII) वाराणसी-सलीगुड़ी हैं, जैसे शहरों जिन्हें "ग्रोथ कनेक्टर्स" भी कहा जाता है, के बीच 7 हाई-स्पीड रेल कॉरिडोर वकसत करने का प्रस्ताव रखा।

सीप्लेन वीजीएफ स्कीम

समग्र और दूरस्थ कनेक्टवटी तथा पर्यटन को बढ़ावा देने के लए श्रीमती निर्मला सीतारमण ने सीप्लेन के वनिर्माण के स्वदेशीकरण को प्रोत्साहन देने का प्रस्ताव रखा और कहा क प्रचालनों को सहायता देने के लए सीप्लेन वीजीएफ स्कीम की जाएगी।

कार्बन कैप्चर उपयोग एवं भंडारण (सीसीयूएस)

वत्त मंत्री ने कहा क दिसम्बर, 2025 में आरंभ की गई रुपरेखा के साथ संयोजित, व्यापक स्तर पर सीसीयूएस प्रौद्योगकयां बिजली, स्टील, सीमेंट, रिफाइनरी और रसायन समेत 5 औद्योगक सेक्टरों में अंतिम-उपयोग अनुप्रयोगों में उच्चतर तैयारी स्तर अर्जित करेंगी। बजट में इसके लए अगले 5 वर्षों में 20 हजार करोड़ रुपये के परिव्यय का प्रस्ताव रखा गया।

शहर आर्थक क्षेत्र

वत्त मंत्री ने कहा क भारत के शहर इसके वकास, नवोन्मेषण एवं अवसरों के वाहक हैं। बजट में अब टियर-II और टियर-III तथा यहां तक क मंदिर-शहरों, जिन्हें आधुनिक अवसंरचना एवं मूलभूत सुवधाओं की आवश्यकता है, पर भी ध्यान केन्द्रित करने का प्रस्ताव रखा गया है। बजट का लक्ष्य उनके वशष्ट वकास कारकों के आधार पर, शहरी आर्थक क्षेत्रों (सीईआर) का मानचत्रण करके समूहों की आर्थक शक्ति उपयोग करने के लए शहरों की क्षमता को और अधक बढ़ाना है। वत्त मंत्री ने इसके कार्यान्वयन के लए अगले 5 वर्षों में प्रति सीईआर 5,000 करोड़ रुपये के आवंटन का प्रस्ताव रखा है।

***

एनबी /एमजी /केसी /हिन्दी इकाई-16

केंद्रीय बजट 2026-27

पत्र सूचना कार्यालय

भारत सरकार

***

भारत का सकल घरेलू उत्पाद 8 प्रतिशत वृद्ध के साथ वत्त वर्ष-2025-26 में 7.4 प्रतिशत बढ़ने का अनुमान

***

बजट में वत्त वर्ष 2025-26 के लए प्रथम अ ग्रम अनुमान में सकल घरेलू उत्पाद में 10 प्रतिशत वृद्ध का अनुमान

***

सेवा क्षेत्र वकास का प्रमुख चालक रहा, 9.1 प्रतिशत का वस्तार

***

बजट में वत्त आयोग के माध्यम से राज्यों में कुल संसाधनों के बटवारे का अनुमान 16.56 लाख करोड़ रुपये का कर वकेन्द्रीयकरण; जिसमें 15.26 लाख करोड़ रुपये का कर और 1.4 लाख करोड़ रुपये की वत्त आयोग का अनुदान

***

वत्त वर्ष 2026-27 में केन्द्र सरकार का प्रभावी पूंजीगत व्यय 17.15 लाख करोड़ रुपये रहने का अनुमान जो सकल घरेलू उत्पाद का 4.4 प्रतिशत

***

केन्द्र सरकार का राज्यों को पूंजीगत परिसंप त्त जुटाने के लए केन्द्र सरकार का पूंजीगत व्यय में (12.22 लाख करोड़ रुपये) और राज्यों को अनुदान (4.93 लाख करोड़ रुपये) शा मल

***

सरकार का वत्त वर्ष 2026-27 में वत्त वर्ष 2025-26 के 56.1 प्रतिशत मुकाबले सकल घरेलू उत्पाद में 55.6 प्रतिशत के ऋण का अनुमान

***

सकल घरेलू उत्पाद के 61.5 प्रतिशत के हिस्सेदारी के साथ निजी अंतिम उपभोग व्यय (पीएफसीई) में 7 प्रतिशत बढ़ोत्तरी का अनुमान- पछले 12 वत्त वर्षों में अब तक सर्वा धक

***

(ग्रौस फक्ड कै पटल फॉर मशन जीएफसीएस) वत्त वर्ष 2026 में 7.8 प्रतिशत का उछाल

***

वत्त वर्ष 2026-27 में वत्तीय घाटे का 4.3 प्रतिशत रहने का अनुमान जब क वत्त वर्ष 2025-26 में वत्तीय घाटा 4.4 प्रतिशत

***

वत्त वर्ष 2026-27 में राजस्व घाटे का अनुमान 1.5 प्रतिशत; वत्त वर्ष 2026-27 में प्रभावी राजस्व घाटा 0.3 प्रतिशत रहने का अनुमान

***

वत्त वर्ष 2026-27 में कुल कर राजस्व के सकल घरेलू उत्पाद के 11.2 प्रतिशत रहने का अनुमान

***

वत्त वर्ष 2025 की पहली छमाही के 1.3 प्रतिशत के मुकाबले वत्त वर्ष 2026 की पहली छमाही में चालू खाता घाटा 0.8 प्रतिशत कम हुआ

***

वैश्विक शुल्क परि श्य के बावजूद भारत का कुल निर्यात वत्त वर्ष 2025 में 825.3 अमरीकी डॉलर तक पहुंचा

***

वत्त वर्ष 2025 में कुल प्रत्यक्ष वदेशी निवेश (एफडीआई) 81.0 बि लयन अमरीकी डॉलर रहा

नई दिल्ली...

01 फरवरी, 2026

केंद्रीय वत्त एवं कॉरपोरेट कार्य मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण ने आज संसद में केंद्रीय बजट 2026-27 पेश करते हुए कहा क भारत का आ थक परि श्य सशक्त घरेलू मांग, ढांचागत सुधार और स्थित आ थक पर्यावरण के कारण सकारात्मक रहा। देश में इस साल के दौरान 3 प्रमुख रेटिंग हा सल की। वत्तीय और कॉर्पोरेट केन्द्रीय मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण ने संसद में वत्त वर्ष 2026-27 का बजट पेश करते हुए बताया क वृहद आ थक ढांचागत रिपोर्ट और मध्यम अवधीय वत्तीय नीति तथा वत्तीय नीति रणनीति रिपोर्ट के अनुसार मुद्रा स्फीति तटस्थ रही है। बजट में बताया गया है क निजी निवेश, गैर नियामक, श्रम बाजार सुधार, लोगों द्वारा पूंजी निवेश कर सुधारों डजिटल परिवर्तन और अर्थव्यवस्था को नया रूप देना अर्थव्यवस्था के उच्च स्तर पर पहुंचने के कारक हैं। निजी क्षेत्रों द्वारा निवेश बढ़ने से वत्तीय और कॉर्पोरेट क्षेत्र का वत्तीय रूप से सशक्त होना भी वकास के मुख्य कारक हैं।

वृहद आ थक ढांचागत स्टेटमेंट

आ थक वकास

राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय द्वारा दिए गए पहले अ ग्रम अनुमानों के अनुसार भारत का वास्त वक सकल घरेलू उत्पाद 8 प्रतिशत के मामूली सकल घरेलू उत्पाद के वकास के साथ वत्त वर्ष 2025-26 में 7.4 प्रतिशत तक बढ़ने का अनुमान है। सेवा क्षेत्र 9.1 प्रतिशत के वस्तार के साथ वकास के मुख्य चालक हैं। वनिर्माण और निर्माण में 7 प्रतिशत की वृद् ध हुई है। कृ ष में 3.1 प्रतिशत की बढोत्तरी का अनुमान है। वत्त वर्ष 2026-27 के बजट में वत्त वर्ष 2025-26 के अ ग्रम अनुमानों से ऊपर सकल घरेलू उत्पाद में 10 प्रतिशत का वकास अनुमानित है।

उपभोग और निवेश

घरेलू मांग वकास का मुख्य कारक रही है। सकल घरेलू उत्पाद के 61.5 प्रतिशत के हिस्सेदारी के साथ प्राइवेट फाइनल कजंप्पशन एक्सपैन डचर (पीएफसीई) में 7 प्रतिशत बढ़ोत्तरी का अनुमान है जो पछले 12 वत्त वर्षों में अब तक सर्वा धक है। सरकार का कुल उपभोग व्यय साल दर साल मजबूत होता हुआ वत्त वर्ष 2025 के 2.3

प्रतिशत के मुकाबले वत्त वर्ष 2026 में 5.2 प्रतिशत की वृद् ध का भी अनुमान है। यूपीआई लेनदेन, हवाई और रेल यातायात ई-वे भुगतान इत्यादि, शहरी और ग्रामीण उपभोग दोनों के सतत गति को दर्शाते हैं। वत्त वर्ष 2026 में कुल स्थाई पूंजीगत संरचना (जीएफसीएफ) 7.8 प्रतिशत बढ़ने के साथ निवेश गति व ध मजबूत हुई है जो पछले वर्ष से ज्यादा है। बजट में आगे बताया गया है क जीएफसीएफ के हिस्से ने पछले 10 वर्षों में 30 प्रतिशत स्थिरता बनाई रखी है।

बाहरी क्षेत्र

भारत का कुल निर्यात (वस्त्र एवं सेवा) वत्त वर्ष 2025 में 825.3 व लयन अमरीकी डॉलर तक पहुंच गया जिसने वत्त वर्ष 2026 में लगातार गति बनाई रखी। अमरीका द्वारा कई तरह के शुल्क लगाने के बावजूद अप्रैल से दिसंबर 2025 के बीच कपड़ा निर्यात 2.4 प्रतिशत बढ़ा जब क सेवा निर्यात में 6.5 प्रतिशत की वृद् ध हुई। कपड़ों के आयात में अप्रैल से दिसंबर 2025 के बीच 5.9 प्रतिशत की वृद् ध हुई। कुल प्रत्यक्ष वदेशी निवेश वत्त वर्ष 2025 में 81.0 म लयन अमरीकी डॉलर दर्ज कया गया और ये गति वत्त वर्ष 2026 में और मजबूत हुई, जो कसी भी वत्त वर्ष में पहले 7 महीनों में सबसे अ धक है। चालू खाता घाटा वत्त वर्ष 2025 की पहली छमाही के 1.3 प्रतिशत के मुकाबले वत्त वर्ष 2026 की पहली छमाही में सकल घरेलू उत्पाद का 0.8 प्रतिशत घटा है।

मध्यम अव ध वत्तीय नीति एवं रणनीति

वत्तीय सूचक

केन्द्रीय बजट 2026-27 में वत्त वर्ष 2024-25 के बजट में अं कत ऋण को भी दर्शाया गया है और यह वत्त वर्ष 2021-22 में घो षत वत्तीय समयकन के परिपेक्ष में भी बताता है, जो वत्तीय अनिश्चिताओं से समझौता कए बगैर उपलब्ध संसाधनों के साथ मजबूत नीव प्रदान करता है। बजट 2021-22 में घो षत सरकार ने अपनी सोच को दर्शाते हुए वत्त वर्ष 2025-26 के घरेलू उत्पाद में राजकोषीय घाटे को 4.5 प्रतिशत रखा। इससे आगे सरकार ने अपनी वत्तीय स्थिति को अपनाया जिसने केन्द्र सरकार के ऋण को कम कया। सरकार के वत्त वर्ष 2025-26 के संशो धत अनुमानों और वत्त वर्ष 2026-27 के बजट अनुमानों को सकल घरेलू उत्पाद प्रतिशत के ववरण नीचे दिया गया है।

प्राप्ति

वत्त वर्ष 2026-27 के बजट अनुमान में कुल कर राजस्व के 44.04 लाख करोड़ रुपये रहने का अनुमान है। यह 2025-26 के संशो धत अनुमानों से 8 प्रतिशत की वृद् ध दर्शाता है। प्रत्यक्ष कर 26.97 लाख करोड़ रुपये का जीटीआर (जीटीआर का 61.2 प्रतिशत) में मुख्य योगदान है। प्रत्यक्ष करो का अनुमान 17.07 लाख करोड़ रुपये है। वत्त वर्ष 2026-27 के बजट अनुमानों में जीटीआर और जीडीपी का अनुपात 11.2 प्रतिशत रहने का अनुमान है।

2026-27 का बजट 16वें वत्त आयोग (एसएफसी) 16वें वत्त आयोग के पहले वर्ष के लए पुरस्कार समय भी है। एसएफसी ने राज्यों के वकेन्द्रीयकरण के लए अलग हिस्से का 41 प्रतिशत बरकरार रहने का सलाह दी है। कर राजस्व (एनटीआर-केन्द्र के लए कुल) 28.67 लाख करोड़ रुपये अनुमानित कया गया है। 2026-27 बजट अनुमानों में केन्द्र सरकार के लए एनटीआर को 6.66 लाख करोड़ रुपये अनुमानित कया गया है। केन्द्र सरकार की [कर राजस्व (एनटीआर) और गैर कर राजस्व (एनटीआर)] का अनुमान 35.33 लाख करोड़ रुपये है। 2025-26 के संशो धत अनुमानों से राजस्व प्राप्ति अनुमान ने 5.7 प्रतिशत की वृद् ध हुई है।

व्यय

बजट अनुमान 2026-27 में केन्द्र सरकार का कुल व्यय 53.47 लाख करोड़ रुपये (जीडीपी का 13.6 प्रतिशत) रखा गया है जो 2025-26 के 49.65 लाख करोड़ रुपये के संशो धत अनुमानों से 7.7 प्रतिशत की वृद् ध दर्शाता है। वत्त वर्ष 2026-27 के बजट में पूंजीगत व्यय के लए 12.22 लाख करोड़ रुपये (जीडीपी का 3.1 प्रतिशत) रखा गया है। इसमें एसएएससीआई (पूंजीगत व्यय के लए राज्यों को वशेष सहायता ऋण) के माध्यम से पूंजीगत सहायता शा मल है। केन्द्र सरकार के प्रभावी पूंजीगत व्यय में भारत सरकार का पूंजीगत व्यय और पूंजीगत परिसंप त्त हा सल करने के लए अनुदान सहायता रा श शा मल है। यह दोनों मलकर निवेश करते हैं जो अर्थव्यवस्था की क्षमता को बढ़ाता है। 2026-27 के बजट अनुमानों में अनुदान सहायता रा श के अंतर्गत पूंजीगत संप त्त बनाने के लए 4.93 लाख करोड़ रुपये (जीडीपी का 1.3 प्रतिशत) रखे गए हैं। इस प्रकार वत्त वर्ष 2026-27 में प्रभावी पूंजीगत व्यय 17.15 लाख करोड़ रुपये (जीडीपी का 4.4 प्रतिशत) रहने का अनुमान है।

राज्य के लए कर वकेन्द्रीयकरण और वत्त आयोग द्वारा सहायता

वत्त आयोग के परामर्श पर आधारित केन्द्र सरकार ने वत्त आयोग चरण के दौरान राज्यों के लए कर वकेन्द्रीयकरण कया है। जैसा क पहले बताया गया है क राज्यों के लए 41 प्रतिशत की हिस्सेदारी रखी है और सरकार द्वारा इस परामर्श को स्वीकार कर लया गया है। 2026-27 के बजट अनुमान में राज्यों के लए 2025-26 के संशो धत अनुमान 13.93 लाख करोड़ रुपये की तुलना में 15.26 लाख करोड़ रुपये रखे गए हैं, जिसमें 9084.02 करोड़ रुपये का अतिरिक्त धन शा मल है, जो पछलें वर्षों में वकेन्द्रीयकरण के अंतर्गत राज्य सरकार द्वारा केन्द्रों से प्राप्ति पर आधारित है। 2026-27 के बजट अनुसार राज्यों के लए कर वकेन्द्रीयकरण जीडीपी का 3.9 प्रतिशत है और वत्त वर्ष 2025-26 के संशो धत अनुमानों से 1.33 लाख करोड़ रुपये अ धक है। 2026-27 बजट अनुमानों में वत्त आयोग ने 1.4 लाख करोड़ रुपये के अनुदान अनुमानित कए हैं। इस प्रकार वत्त आयोग के माध्यम से राज्यों के साथ कुल संसाधनों की हिस्सेदारी जैसे कर वकेन्द्रीयकरण और वत्त आयोग अनुदान, 2026-27 के बजट के अनुमानों में 16.56 लाख करोड़ रुपये अनुमानित कया गया है।

2026-27 के लए राजकोषीय नीति रणनीति

वत्त वर्ष 2026-27 के लए राजकोषीय नीति रणनीति 2025-26 के बजट में दर्शाते हुए ऋण के द्वारा निर्धारित रहेगी। मध्यम अव ध का उद्देश्य वत्त वर्ष 2030-31 तक ऋण और जीडीपी का अनुपात लगभग 50 प्रतिशत रहने का उद्देश्य है। जिसमें राजकोषीय घाटा मुख्य भू मका निभाएगा। 2026-27 के बजट अनुमानों में उपरोक्त लक्ष्यों के अनुरूप यह अनुमान लगाया गया है क केन्द्र सरकार के ऋण और जीडीपी का अनुपात 55.6 प्रतिशत रहेगा, जिसमें जीडीपी के 4.3 प्रतिशत राजकोषीय घाटे का लक्ष्य शा मल है। राजकोषीय रणनीति के अन्य प्रावधानों में पूंजीगत व्यय पर लगातार ध्यान देने के माध्यम से आ र्थक वृद् ध को सहायता, वैश्विक आ र्थक घटनाओं तथा देश के वक सत भारत की ओर अग्रसर होने और संवृद् ध सुनिश्चित करना शा मल है। अन्य प्रावधानों में कर नीति में सुधार, व्यय नीति, सरकार उधारी, देनदारी और निवेश शा मल है।

केंद्रीय बजट 2026-27

15

पत्र सूचना कार्यालय

भारत सरकार

***

सभी सीमा-शुल्क प्रक्रयाओं के लए एकल, एकीकृत और मापनीय प्लेटफॉर्म के रूप में सीमा शुल्क एकीकृत प्रणाली दो वर्ष में शुरू की जाएगी

***

वशष्ट आर्थक क्षेत्र (ईईजेड) अथवा गहरे समुद्र में मछली पकड़ने वाली भारतीय नौकाओं द्वारा पकड़ी गई मछली को शुल्क मुक्त कया जाएगा

***

नई दिल्ली...

01 फरवरी, 2026

सरकार द्वारा सभी सीमा-शुल्क प्रक्रयाओं के लए एकल, एकीकृत और मापनीय प्लेटफॉर्म के रूप में सीमा शुल्क एकीकृत प्रणाली (सीआईएस) दो वर्ष में शुरू की जाएगी।

केंद्रीय वत्त एवं कॉरपोरेट कार्य मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण द्वारा संसद में आज वत्त वर्ष 2026-27 का केंद्रीय बजट प्रस्तुत करते हुए यह घोषणा की गई। वत्त मंत्री ने कहा क नॉन इंट्रूसव स्कैनिंग और उन्नत इमेजिंग तथा जोखम आकलन हेतु आर्टिफशयल इंटेलजेंस प्रौद्योगकी का उपयोग सभी प्रमुख पत्तनों में प्रत्येक कंनेटर को स्कैन करने के उद्देश्य से चरणबद्ध तरीके से कया जाएगा।

केंद्रीय वत्त मंत्री ने आगे कहा क वभन्न सरकारी एजेंसयों से कार्गो अनुमति के लए अपेक्षत अनुमोदनों की प्रक्रया को इस वत्त वर्ष के अंत तक एकल और परस्पर जुड़े हुए डजिटल वंडों के माध्यम से निर्बाध बनाया जाएगा। उन्होंने कहा क खाद्य, औषध, पौध, पशु और वन्य जीव उत्पादों जो निषद्ध कार्गो का 70 प्रतिशत होता है, की अनुमति में शामल प्रक्रयाओं को अप्रैल 2026 तक लागू कर दिया जाएगा।
वत्त मंत्री ने आगे कहा क जिन वस्तुओं के लए कोई अनुपालन लागू नहीं है उन वस्तुओं को आयातक द्वारा ऑनलाइन पंजीकरण पूरा करने के तत्काल बाद सीमा-शुल्क द्वारा, शुल्क के भुगतान के बाद अनुमति दी जाएगी।

निर्यात के नए अवसर: वत्त मंत्री ने कहा क हमारे जलीय क्षेत्र के बाहर समुद्री संसाधनों के आर्थक मूल्य का पूर्ण रूप से दोहन करने के लए भारतीय मछुआरों की सहायता के लए निम्नलखत उपाय कए जाएंगे:

क. वशेष आर्थक क्षेत्र (ईईजेड) अथवा गहरे समुद्र में मछली पकड़ने वाली भारतीय नौकाओं द्वारा पकड़ी गई मछलयों को शुल्क मुक्त कया जाएगा।
ख. वदेशी पत्तन पर ऐसी मछलयों को भेजने को निर्यात की गई वस्तुओं की श्रेणी में रखा जाएगा।

उन्होंने कहा क मछली पकड़ने और ढुलाई के दौरान दुरुपयोग को रोकने के लए सुरक्षा उपाय कए जाएंगे।

वत्त मंत्री ने ई-कॉमर्स के माध्यम से वैश्विक बाजारों में पहुंच के लए भारत के छोटे व्यवसायों, कारीगरों और स्टार्टअप की आकांक्षाओं को सहायता प्रदान करने के लए कुरियर निर्यातों पर प्रति खेप 10 लाख रुपये की वर्तमान मूल्य सीमा को पूरी तरह हटाने की घोषणा की। इसके अलावा ऐसी खेपों की पहचान के लए प्रौद्योगकी के प्रभावी उपयोग के माध्यम से अस्वीकृत और वापस लौटाई गई खेपों के प्रबंध में सुधार कया जाएगा।

वत्त मंत्री ने आगे कहा क ऐसे ईमानदार करदाता हैं, जो अपने सभी बकायों का भुगतान करके ववादों का निपटान करने के इच्छुक होते हैं। कंतु वे दंड से जुड़ी नकारात्मक बातों के कारण ऐसा नहीं कर पाते। अब वे दंड की जगह अतिरिक्त राश का भुगतान करके अपने मामले खत्म करने में सक्षम होंगे।

***

एनबी /एमजी /केसी /हिन्दी इकाई-14

बजट 2025-26

पत्र सूचना कार्यालय
भारत सरकार

सीमा शुल्क तथा केंद्रीय उत्पाद शुल्क के लए बजट प्रस्तावों का उद्देश्य प्रशुल्क संरचना को और सरल करना, घरेलू वनिर्माण को समर्थन देना है: केंद्रीय वत्त मंत्री

***

केंद्रीय बजट 2026-27 ऊर्जा परिवर्तन तथा सुरक्षा सुनिश्चित करने हेतु सीमा-शुल्क में कई बुनियादी छूटों का प्रस्ताव करता है

***

नागरिक तथा रक्षा वमानन में वनिर्माण तथा एमआरओ आवश्यकताओं के लए बीसीडी छूटों का प्रस्ताव कया गया

***

बजट सेज़ में पात्र वा□□निर्माण इकाइयों द्वारा रियायती शुल्क दरों पर घरेलू प्रशुल्क क्षेत्र को बिक्री की सुगमता प्रदान करने का प्रस्ताव करता है

***

1 फरवरी,2026

नई दिल्ली.....

केन्द्रीय वत्त एवं कॉरपोरेट कार्य मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण ने आज संसद में केन्द्रीय बजट 2026-27 पेश करते हुए कहा क सीमा-शुल्क और केंद्रीय उत्पाद शुल्क के लए कए गए प्रस्तावों का लक्ष्य प्रशुल्क संरचना को और सरल बनाना, घरेलू वनिर्माण को सहायता देना, निर्यात प्रतिस्पर्धात्मकता को प्रोत्साहित करना और शुल्क में प्रतिलोम को ठीक करना है।

लम्बे समय से चली आ रही सीमा-शुल्क छूटों की समाप्ति को जारी रखते हुए, बजट भारत में बनाई जा रही वस्तुओं या जिन वस्तुओं का उत्पादन नगण्य है, उन पर कुछ छूटों का प्रस्ताव करता है। इसी प्रकार, कसी वशेष वस्तु पर लागू शुल्क की दर का निर्धारण करने की प्रक्रया को और सरल करने के लए, बजट प्रशुल्क अनुसूची में ही वभन्न सीमा-शुल्क अधसूचनाओं में कुछ प्रभावी दरों को शामल करने का प्रस्ताव करता है।
निर्यात को बढ़ावा देने के उद्देश्य से वत्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण ने निर्यात हेतु समुद्री खाद्य उत्पादों के प्रसंस्करण के लए उपयोग में आने वाली वशष्ट निवष्टियों के शुल्क-मुक्त आयात की सीमा को वर्तमान 1 प्रतिशत से बढ़ाकर पछले वर्ष के निर्यात कारोबार के एफ़ओबी मूल्य का 3 प्रतिशत करने की सफारिश की। बजट में निर्दिष्ट निवष्टियों के शुल्क-मुक्त आयात की अनुमति जूतों के ऊपरी हिस्सों के निर्यात के लए देने का भी प्रस्ताव है, जो वर्तमान में चमड़े या कृत्रिम जूते-चप्पलों के निर्यात के लए उपलब्ध है। माननीय वत्त मंत्री ने चमड़े या वस्त्र परिधानों, चमड़े या कृत्रिम जूते-चप्पलों और चमड़े के अन्य उत्पादों के निर्यातकों के लए अंतिम उत्पाद के निर्यात हेतु समयावध को मौजूदा 6 महीने से बढ़ाकर 1 वर्ष करने का भी प्रस्ताव कया है।

बजट में ऊर्जा परिवर्तन और सुरक्षा सुनिश्चित करने के लए कई प्रस्ताव कए गए हैं। पहला, बैट्रियों के लए लथयम-आयन सेल वनिर्माण के लए प्रयुक्त पूंजीगत वस्तुओं को दी जाने वाली मूल सीमा-शुल्क छूट को बैटरी ऊर्जा भंडारण प्रणालयों में लथयम-आयन सेल वनिर्माण का उपयोग करने वाली पूंजीगत वस्तुओं तक वस्तृत करने का प्रस्ताव है।

सौर ऊर्जा के संदर्भ में माननीय वत्त मंत्री ने सोलर ग्लास के वनिर्माण में उपयोग हेतु सोडयम एंटीमोनेट के आयात पर मूल सीमा-शुल्क पर छूट का भी प्रस्ताव कया है।

नाभकीय ऊर्जा क्षेत्र को संवर्द्धन देते हुए, श्रीमती निर्मला सीतारमण ने नाभकीय ऊर्जा परियोजनाओं के लए अपेक्षत वस्तुओं के आयात पर वर्तमान मूल सीमा-शुल्क छूट को वर्ष 2035 तक बढ़ाने और इसे उनकी क्षमता पर ध्यान दिए बिना सभी नाभकीय संयंत्रों पर लागू करने का प्रस्ताव कया है। भारत में महत्वपूर्ण खनिजों के प्रसंस्करण हेतु आवश्यक पूंजीगत वस्तुओं के आयात के लए मूल सीमा-शुल्क में छूट प्रदान करने के लए भी इस बजट में प्रस्ताव कया गया है। सीएनजी में बायोगैस मलाए जाने को बढ़ावा देने के उद्देश्य से, बजट में बायोगैस मश्रत सीएनजी पर देय केन्द्रीय सीमा शुल्क की गणना करते समय बायोगैस के सम्पूर्ण मूल्य को बाहर रखने का प्रस्ताव कया गया है।

माननीय वत्त मंत्री ने नागरिक, प्रशक्षण और अन्य वमानों के वनिर्माण के लए अपेक्षत घटकों और पुर्जों पर मूल सीमा-शुल्क में छूट का प्रस्ताव भी कया है। बजट में रक्षा क्षेत्र में इकाइयों द्वारा अनुरक्षण, मरम्मत अथवा ओवरर हॉल जरूरतों में प्रयोग कए जाने वाले वमानों के पुर्जों के वनिर्माण के लए आयतित कच्चे माल पर मूल सीमा-शुल्क में छूट प्रदान करने का प्रस्ताव भी कया गया है।

उपभोक्ता इलैक्ट्रॉनिक्स क्षेत्र में मूल्यवर्धन को अधक मजबूत करने के लए माइक्रोवेव ओवन के वनिर्माण में प्रयुक्त वशष्ट पुर्जों पर मूल सीमा-शुल्क में छूट का भी प्रस्ताव है।

यह बजट वैश्विक व्यापार वघटन के कारण वशेष आर्थक क्षेत्रों में वनिर्माण इकाइयों द्वारा क्षमताओं के उपयोग के बारे में उभरती चन्ताओं का समाधान करता है। इसके लए, माननीय वत्त मंत्री ने वशेष एक-बारगी उपाय के रूप में, सेज़ में पात्र वनिर्माण इकाइयों द्वारा कफायती शुल्क दरों पर घरेलू प्रशुल्क क्षेत्र (डीटीए) को बिक्री की सुगमता प्रदान करने का प्रस्ताव कया है। इस तरह से की गई बिक्री की मात्रा उनके निर्यात के एक निर्धारित अनुपात तक सीमत की जाएगी। श्रीमती निर्मला सीतारमण ने कहा क डीटीए में कार्यरत इकाइयों के लए समान अवसर सुनिश्चित करते हुए इन उपायों को प्रचालनात्मक बनाने के लए आवश्यक वनियामक संशोधन कए जाएंगे।

****

एनबी /एमजी /केसी / हिन्दी इकाई - 13

पत्र सूचना कार्यालय

भारत सरकार

***

देश में चकत्सा पर्यटन को बढ़ावा देने के उद्देश्य से पांच क्षेत्रीय चकत्सा केन्द्रों की स्थापना हेतु राज्यों की सहायता के लए केंद्रीय बजट 2026-27 में एक योजना प्रस्तावत

***

मौजूदा नेशनल काउंसल फॉर होटल मैनेजमेंट एंड कैटरिंग टेक्नॉलाजी को उन्नत बनाने के साथ राष्ट्रीय आतिथ्य संस्थान की स्थापना का प्रस्ताव

***

वशष्ट और उच्च गुणवत्ता वाले 12 सप्ताह के प्रशक्षण कार्यक्रम के माध्यम से 20 प्रमुख पर्यटन स्थलों पर 10 हजार गाइडों को कौशलयुक्त बनाने के उद्देश्य से प्रायोगक योजना प्रस्तावत

***

15 पुरातत्व स्थलों को वकसत करने के लए चुना गया, खोजे गए प्राकृतिक परिश्य स्थलों को वॉक-वे के माध्यम से दर्शनों के लए आम जनता हेतु खोला जाएगा

***

अरुणाचल प्रदेश, सक्किम, असम, मणपुर, मजोरम और त्रिपुरा में बुद्ध सर्कट के वकास के लए बजट में योजना का प्रस्ताव कया गया

***

नई दिल्ली ...

01 फरवरी, 2026

केंद्रीय वत्त एवं कॉरपोरेट कार्य मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण ने आज संसद में केंद्रीय बजट 2026-27 पेश करते हुए कहा क भारत को चकत्सा पर्यटन के एक प्रमुख केन्द्र के रूप में स्थापत करने के उद्देश्य से मैं देश में निजी क्षेत्र की भागीदारी के साथ पांच क्षेत्रीय चकत्सा केन्द्रों की स्थापना हेतु राज्यों की सहायता के लए केंद्रीय बजट 2026-27 में एक योजना का प्रस्ताव करती हूं।

श्रीमती निर्मला सीतारमण ने कहा क ये केन्द्र ऐसे एकीकृत स्वास्थ्य सेवा सुवधा प्रदान करने वाले कॉप्लेक्स के रूप में कार्य करेंगे, जो संयुक्त रूप से चकत्सा, शक्षा और अनुसंधान सुवधाएं प्रदान करेंगे। उन्होंने कहा क ऐसे संस्थानों में आयुष केन्द्र, चकत्सा पर्यटन सेवा केन्द्र और जांच, उपचार के बाद की देखभाल तथा पुनर्वास की सुवधा भी उपलब्ध होगी। ये केन्द्र चकत्सकों और संबद्ध स्वास्थ्य पेशेवरों सहित स्वास्थ्य सेवा क्षेत्र में कार्य करने वाले अलग-अलग तरह के पेशेवरों को भन्न-भन्न क्षेत्रों में रोजगार के अवसर उपलब्ध कराएंगे।

<u>पर्यटन</u>

वत्त मंत्री ने कहा क देश में रोजगार के अवसरों के सृजन, वदेशी मुद्रा में आमदनी और स्थानीय अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने के लए पर्यटन क्षेत्र में अपार संभावनाएं निहित हैं। उन्होंने कहा क मैं मौजूदा नेशनल काउंसल फॉर होटल मैनेजमेंट एंड कैटरिंग टेक्नॉलजी को उन्नत बनाने के साथ राष्ट्रीय आतिथ्य संस्थान की स्थापना का प्रस्ताव करती हूं। यह अकादमक और औद्योगक निकायों तथा सरकार के बीच एक सेतु की तरह कार्य करेगी।

वत्त एवं कॉरपोरेट कार्य मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण ने कहा क भारतीय प्रबंधन संस्थान के सहयोग से हाईब्रिड मोड में वशष्ट एवं उच्च गुणवत्ता वाले 12 सप्ताह के प्रशक्षण कार्यक्रम के माध्यम से 20 प्रमुख पर्यटन स्थलों पर 10 हजार गाइडों को कौशलयुक्त बनाने के उद्देश्य से एक प्रायोगक योजना भी प्रस्तावत की गई है।

वत्त मंत्री ने कहा क सांस्कृतिक, आध्यात्मिक और वरासत के महत्व वाले सभी प्रमुख स्थलों के डजिटल दस्तावेजों को तैयार करने के उद्देश्य से एक नेशनल डेस्टिनेशन डजिटल नॉलेज ग्रड की स्थापना की जाएगी। यह पहल स्थानीय शोधार्थयों, इतिहासवदों, कंटेंट क्रयेटर और प्रौद्योगकी हितधारकों के लए रोजगार उपलब्ध कराने के एक नए इकोसस्टम का निर्माण करेगी।

वत्त मंत्री ने कहा क भारत के पास वश्व स्तरीय ट्रैकंग और हैकंग का अनुभव प्रदान करने वाली क्षमताएं तथा अनेक अवसर उपलब्ध हैं। हम सतत पारिस्थितिकी तंत्र वकसत करेंगे, जिसमें (1) हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड व जम्मू-कश्मीर; ईस्टर्न घाट में अराकू घाटी तथा वेस्टर्न घाट में पोढ़ीगई मलाई के पहाड़ों पर चढ़ाई (2) केरल, कर्नाटक एवं ओडशा में 14 तटीय इलाकों के प्रमुख दर्शनीय स्थलों के साथ टर्टल ट्रेल और (3) तमलनाडु तथा आंध्रप्रदेश में पुलकट झील के साथ पक्षी वहार स्थल शामल हैं।

वत्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा क माननीय प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के व्यापक नेतृत्व में वर्ष 2024 में बड़ी बिल्लियों के लए इंटरनेशन बिग कैट एलायंस की स्थापना की गई। इस वर्ष भारत वैश्विक बिग कैट शखर सम्मेलन का आयोजन कर रहा है, जहां पर 95 देशों की सरकारों के प्रमुख और मंत्रीगण संयुक्त रणनीति बनाने तथा भवष्य की योजनाओं पर वचार-वमर्श करेंगे।

<u>वरासत और संस्कृति पर्यटन</u>

श्रीमती निर्मला सीतारमण ने वरासत और संस्कृति पर्यटन के बारे में उल्लेख करते हुए बताया क धौलावीरा, राखीगढी, अदिचनाल्लुर, सारनाथ, हस्तिनापुर और लेह पैलेस जैसे 15 पुरातात्विक स्थलों को जीवंत तथा अनुभवजन्य सांस्कृतिक गंतव्य के रूप में वकसत करने का प्रस्ताव कया है।

वत्त मंत्री ने कहा क उत्खनित स्थलों को वशेष वॉक-वे के माध्यम से आम जनता के दर्शनों के लए खोल दिया जाएगा। उन्होंने कहा क संरक्षण प्रयोगशालाओं, व्याख्यान केन्द्रों और गाईडों की सहायता के लए उन सभी को तल्लीन करने वाले कहानी कहने के कौशल तथा प्रौद्योगकी से परिचत कराया जाएगा।

पूर्वोदय राज्यों और पूर्वोत्तर क्षेत्र पर वशेष ध्यान

पूर्वोदय पर अपने वचार रखते हुए श्रीमती सीतारमण ने कहा क मैं एकीकृत पूर्व तटीय औद्योगक कॉरिडोर के वकास का प्रस्ताव करती हूं, जो अब दुर्गापुर से काफी अच्छे तरीके से जुड़ जाएगा। इस पहल के अंतर्गत पांच पूर्वोदय राज्यों में पांच पर्यटन स्थलों की स्थापना की जाएगी और 4000 ई-बसों का संचालन भी कया जाएगा।

वत्त मंत्री ने पूर्वोत्तर क्षेत्र में बुद्ध स्थलों के बारे में कहा क इन इलाकों में थेरावाड़ा और 18 महायान /वज्रयान परम्पराओं का अद्भुत संगम है।

श्रीमती सीतारमण ने अरुणाचल प्रदेश, सक्किम, असम, मणपुर, मजोरम और त्रिपुरा में बुद्ध सर्कट के वकास के लए एक योजना शुरू करने का प्रस्ताव रखा। उन्होंने कहा क यह योजना मंदिरों और मठों के संरक्षण, तीर्थ स्थलों पर द्वीभाषी केन्द्र की स्थापना संपर्क तथा तीर्थ से जुड़ी मूलभुत सुवधाओं को उपलब्ध कराने में सहायक सद्ध होगी।

**.*

एनबी /एमजी /केसी /हिन्दी इकाई -12

केंद्रीय बजट 2026-27

पत्र सूचना कार्यालय

भारत सरकार

***

दिव्यांग कौशल योजना दिव्यांगजनों को आईटी, एवीजीसी और आतिथ्य क्षेत्रों में अनुकूल वशष्ट प्रशक्षण प्रदान करेगी

***

दिव्यांग सहारा योजना दिव्यांगजनों के लए आधुनिक रिटेल-स्टाइल केंद्रों के रूप में सहायक प्रौद्योगकी मार्ट की स्थापना करेगी

***

नई दिल्ली...

01 फरवरी, 2026

केंद्रीय वत्त एवं कॉरपोरेट कार्य मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण ने आज संसद में केंद्रीय बजट 2026-27 पेश करते हुए कहा क सबका साथ सबका वकास का हमारा वजन प्रत्येक परिवार, समुदाय, प्रांत और क्षेत्र को सार्थक प्रतिभागता के लए संसाधनों, सुवधाओं और अवसरों तक पहुंच सुनिश्चित कराना है। इस लक्ष्य को हासल करने के लए वत्त मंत्री ने दिव्यांगजनों के लए निम्नलखत घोषणा की:

दिव्यांग कौशल योजना: आईटी, एवीजीसी क्षेत्र, आतिथ्य और खाद्य एवं पेय क्षेत्र कार्योन्मुखी और प्रक्रया आधारित भूमका प्रदान करते हैं जो दिव्यांगजनों के लए उपयुक्त है। यह दिव्यांग समूहों के लए उद्योग संगत और अनुकूल वशष्ट प्रशक्षण के माध्यम से सम्मानजनक आजीवका के अवसर प्रस्तुत करेंगे।

दिव्यांग सहारा योजना :सभी पात्र दिव्यांगजनों के लए उच्च गुणवत्ता वाले सहायक उपकरणों तक समय से पहुंच एक मूलभूत आवश्यकता है। बजट (i) सहायक उपकरणों का उत्पादन बढ़ाने, अनुसंधान और वकास तथा एआई एकीकरण में निवेश के लए भारतीय कृत्रिम अंग निर्माण निगम (एएलआईएमसीओ) को सहायता उपलब्ध कराने, (ii) पीएम दिव्याशा केंद्रों को मजबूत करने और आधुनिक रिटेल स्टाइल केंद्रों के रूप में सहायक प्रौद्योगकी मार्ट की स्थापना में सहायता का प्रस्ताव करता है, जहां दिव्यांगजन और वरिष्ठ नागरिक सहायक उत्पादों को देख, परख और खरीद सकें।

***

एनबी /एमजी /केसी /हिन्दी इकाई-11

केंद्रीय बजट 2026-27

पत्र सूचना कार्यालय

भारत सरकार

***

केंद्रीय बजट 2026-27 में सतत आर्थिक विकास, क्षमता के विकास और 'सबका साथ, सबका विकास' पर जोर

***

बजट 2026-27 युवा शक्ति पर आधारित एक अनूठा बजट हैः वित्त मंत्री

***

नई दिल्ली...
01 फरवरी, 2026

केंद्रीय वित्त एवं कॉरपोरेट कार्य मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण ने आज संसद में केंद्रीय बजट 2026-27 पेश करते हुए वकसत भारत की दिशा में सुधारों की गति को तेज करने हेतु तीन कर्तव्यों का प्रस्ताव कया। वत्त मंत्री ने कहा क पहला कर्तव्य उत्पादकता एवं प्रतिस्पर्धात्मकता को बढ़ाकर तथा अस्थिर वैश्विक परि श्य में सु ढ़ता का निर्माण कर आर्थक वकास की गति को तेज करना और उसे बनाए रखना है। उन्होंने कहा क दूसरा कर्तव्य लोगों की आकांक्षाओं को पूरा करना और उनकी क्षमता का वकास कर भारत की समृद्ध की राह में उन्हें एक सशक्त साझेदार बनाना है। 'सबका साथ, सबका वकास' के ष्टिकोण के अनुरूप तीसरा कर्तव्य सार्थक भागीदारी हेतु प्रत्येक परिवार, समुदाय, क्षेत्र एवं सेक्टर के लए संसाधनों, सुवधाओं और अवसरों को सुलभ बनाना है।

वत्त मंत्री ने कहा क इस तीन-सूत्री ष्टिकोण के लये एक सहयोगी इकोसस्टम की आवश्यकता है। पहली जरूरत संरचात्मक सुधारों – निरंतर, अनुकूल एवं भवष्योन्मुखी – की गति को बनाए रखना है। दूसरा, बचत को बढ़ावा देने, वत्त के कुशल आवंटन और जोखमों के प्रबंधन हेतु एक मजबूत एवं सु ढ वत्तीय क्षेत्र अहम है। तीसरा, एआई के अनुप्रयोगों सहित अत्याधुनिक प्रौद्योगकयां बेहतर शासन के गुणक के तौर कार्य कर सकती हैं।

श्रीमती निर्मला सीतारमण ने कहा क कर्तव्य भवन में तैयार कया गया यह पहला बजट युवा शक्ति पर आधारित एक ऐसा अनूठा बजट है, जो उन रचनात्मक वचारों से प्रेरित है जिन्हें वकसत भारत यंग लीडर्स डायलॉग 2026 के दौरान माननीय प्रधानमंत्री के साथ साझा कया गया था।

वत्त मंत्री ने कहा क पछले 12 वर्षों के दौरान भारत की आर्थक प्रगति की राह स्थिरता, राजकोषीय अनुशासन, सतत वकास और कम मुद्रास्फीति से प्रभावत रही है। सरकार ने सार्वजनिक निवेश पर मजबूत जोर को कायम रखते हुए दूरगामी संरचनात्मक सुधारों, राजकोषीय मतव्ययिता और मौद्रिक स्थिरता को निरंतर बढ़ावा दिया है। उन्होंने कहा क आत्मनिर्भरता को केंद्र में रखते हुए, सरकार ने घरेलू उत्पादन क्षमता एवं ऊर्जा सुरक्षा का निर्माण कया है और आयात पर निर्भरता में कमी लाई है। इसके साथ-साथ नागरिक-आधारित वकास को सुनिश्चित कया गया है और रोजगार सृजन, कृषगत उत्पादकता, परिवारों की क्रय शक्ति और लोगों को सार्वभौमक सेवाएं प्रदान करने हेतु वभन्न सुधारों को अपनाया गया है। उन्होंने केहा क इन उपायों ने लगभग सात प्रतिशत की उच्च वृद्ध दर सुनिश्चित की है और गरीबी घटाने एवं लोगों के जीवन को बेहतर बनाने के हमारे उल्लेखनीय प्रयासों में मदद दी है।

श्रीमती निर्मला सीतारमण ने कहा क एक ऐसे बाहरी वातावरण में जहां व्यापार तथा बहुपक्षवाद खतरे में है और संसाधनों की सुलभता एवं आपूर्ति श्रृंखलाएं बाधत हुई हैं, नई प्रौद्योगकयां पानी, ऊर्जा एवं दुर्लभ खनिजों की मांग तेजी से बढ़ाते हुए उत्पादन प्रणालयों में महत्वपूर्ण बदलाव ला रही हैं। भारत महत्वाकांक्षाओं एवं समावेशन के बीच संतुलन बिठाते हुए वकसत भारत की दिशा में आत्मवश्वास के साथ कदम बढ़ाना और अधक निर्यात एवं स्थिर दीर्घकालक निवेश को आकर्षत करते हुए वैश्विक बाजारों के साथ गहराई से जुड़ना जारी रखेगा। वत्त मंत्री ने सरकार के साथ ढ़ता से खड़े होने और मलकर दुनिया की बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में से एक बनने की राह तैयार करने के लए लोगों का आभार व्यक्त कया।

आकांक्षाओं को उपलब्धियों में और क्षमताओं को प्रदर्शन में बदलने के सरकार के लक्ष्य पर प्रकाश डालते हुए वत्तमंत्री ने कहा क सरकार वकास के लाभों को प्रत्येक कसान, अनुसूचत जाति, अनुसूचत जनजाति, घुमंतू समुदाय, युवा, गरीब और महिला तक पहुंचाना सुनिश्चित कर रही है।

वत्त मंत्री ने कहा क रोजगार सृजन, उत्पादकता को बढ़ाने और वकास को गति देने की दिशा में व्यापक आर्थक सुधार कये हैं। वर्ष 2025 में स्वतंत्रता दिवस पर प्रधानमंत्री जी की घोषणा के पश्चात, 350 से अधक सुधारों को शुरू कया गया है। इसमें जीएसटी का सरलीकरण, श्रम संहिताओं को अधसूचत करना तथा अनिवार्य गुणवत्ता नियंत्रण आदेशों को युक्तिसंगत बनाना शामल है। उच्चस्तरीय समतियां गठित की गई हैं और इसके साथसाथ केंद्र- सरकार, राज्य सरकारों के साथ मलकर वनियमन हटाने

तथा अनुपालन संबंधी अपेक्षाओं में कमी लाने की दिशा में काम कर रही है। सुधार एक्सप्रेस अपने मार्ग पर चल पडा है और यह हमारे कर्तव्य को पूरा करने में मदद के लए अपनी गति बनाए रखेगा ।

श्रीमती निर्मला सीतारमण ने आर्थक वकास में तेजी लाने और उसे बनाए रखने के पहले कर्तव्य के तहत छह क्षेत्रों में वभन्न पहलों का प्रस्ताव कयाः i) 7 रणनीतिक एवं अग्रणी क्षेत्रों में वनिर्माण को तेज करना; ii) वरासत के औद्योगक क्षेत्रों का कायाकल्प करना; iii) "चैंपयन एमएसएमई" का निर्माण करना; iv) अवसंरचना को सशक्त प्रोत्साहन प्रदान करना; v) दीघिकालक ऊजा सुरक्षा और स्थिरता सुनिश्चिच करना; और vi) शहरी आर्थक क्षेत्र वकसत करना।

वत्त मंत्री ने कहा क दूसरा कर्तव्य आकांक्षाओं को पूरा करना और समता का वकास करना है। उन्होंने कहा क हमारी सरकार के दशकों के निरंतर और सुधार आधारित प्रयासों के माध्यम से 25 करोड़ लोग बहुआयामी गरीबी से बाहर आए हैं। उन्होंने कहा क सरकार ने युवा भारत की आकांक्षाओं को पूरा करने हेतु सेवा क्षेत्र पर नये सरे से जोर देने का निर्णय लया है। इसके लए 'शक्षा से रोजगार एवं उद्यम' से संबंधत एक उच्चाधकार प्राप्त स्थायी समति गठित करने जैसे उपाय कये जाएंगे, जो वकसत भारत के मुख्य वाहक के रूप में सेवा क्षेत्र पर ध्यान देने के लए तरीके सुझाएगा। यह समति वकास, रोजगार और निर्यात क्षमता का अधकतम दोहन करने को प्राथमकता देगी। यह समति एआई सहित वभन्न उभरती हुई प्रौद्योगकयों के रोजगार एवं कौशल संबंधी जरूरतों का आकलन करेगी और उसके लए उपाय सुझाएगी। उन्होंने कहा क यह कदम भारत को सेवा क्षेत्र में वैश्विक स्तर पर अग्रणी बनाएगा और 2047 तक दस प्रतिशत की वैश्विक हिस्सेदारी सुनिश्चित करेगा।

श्रीमती निर्मला सीतारमण ने 'सबका साथ सबका वकास' के ष्टिकोण के अनुरूप तीसरे कर्तव्य का प्रस्ताव कया, जिसके लए क) छोटे एवं सीमांत कसानों पर ध्यान देते हुए उत्पादकता में वृद्ध एवं उद्यमता के जरिये कसानों की आय में बढ़ोतरी करने, ख) आजीवका संबंधी अवसरों, प्रशक्षण एवं उच्च गुणवत्ता वाले सहयोगी उपकरणों को सुलभ बनाकर दिव्यांगजनों का सशक्तिकरण करने, ग) कमजोर व्यक्तियों को मानसक स्वास्थ्य एवं ट्रॉमा संबंधी देखभाल हासल करने के लए सशक्त बनाने और घ) वकास की गति एवं रोजगार के अवसरों को बढ़ाने हेतु पूर्वोदय राज्यों तथा पूर्वोत्तर क्षेत्र पर ध्यान देने हेतु लक्षत प्रयासों की जरूरत होगी।

***

एनबी /एमजी /केसी /हिन्दी इकाई-10

केन्द्रीय बजट 2026-27

पत्र सूचना कार्यालय
भारत सरकार

***

केन्द्रीय बजट 2026-27 में सात रणनीतिक और अग्रम क्षेत्रों में वनिर्माण बढ़ाने पर जोर दिया गया है

***

भारत को वैश्विक बायोफार्मा वनिर्माण केन्द्र के रूप में वकसत करने के लए बजट में अगले पांच वर्षों में 10 हजार करोड़ रुपये परिव्यय के साथ बायोफार्मा शक्ति का प्रस्ताव

***

उपकरण और सामग्री उत्पादन, भारतीय आईपी का पूरी तरह डजाइन करने और आपूर्ति श्रृंखला को मजबूत करने के लए भारत सेमीकंडक्टर मशन 2.0 की घोषणा

***

इलेक्ट्रॉनिकी कल-पुर्जा निर्माण योजना का परिव्यय बढाकर 40 हजार करोड़ रुपये कर दिया गया

***

खनिज समृद्ध राज्यों ओडशा, केरल, आंध्र प्रदेश और तमलनाडु की मदद के लए समर्पत रेयर अर्थ कॉरिडोर की स्थापना की जाएगी ताक खनन, प्रसंस्करण, अनुसंधान और वनिर्माण को बढ़ावा मले

***

राज्यों को चैलेंज रूट के जरिए कलस्टर आधारित प्लग एंड प्ले मॉडल पर तीन समर्पत रसायन पार्कों की स्थापना में मदद के लए एक योजना का प्रस्ताव

***

अगले पांच वर्षों की अवध में 10 हजार करोड़ रुपये के बजटीय आवंटन के साथ वैश्विक स्तर पर प्रतिस्पर्धी कंटेनर वनिर्माण परिवेश के निर्माण के लए योजना

***

वस्त्र उद्योग को वकसत करने के लए पांच घटकों के साथ एक एकीकृत कार्यक्रम की घोषणा

***

चुनौती मोड में वृहद वस्त्र पार्कों की स्थापना की जाएगी

***

खादी, हथकरघा और हस्तशल्प को मजबूत करने और वैश्विक बाजार से जुड़ने तथा ब्राडंग के लए 'महात्मा गांधी ग्राम स्वराज' पहल की शुरूआत

***

खेल सामग्री के वनिर्माण, अनुसंधान और उपकरण डजाइन के साथ ही सामग्री वज्ञान में नवाचार को बढ़ावा देने के लए एक समर्पत पहल

***

नई दिल्ली
01 फरवरी, 2026

केन्द्रीय बजट 2026-27 में सात रणनीतिक और अग्रम क्षेत्रों में वनिर्माण को तेज करने पर जोर दिया गया है। केन्द्रीय वत्त एवं कॉरपोरेट कार्य मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण ने आज संसद में बजट 2026-27 पेश करते हुए कहा क प्रस्तावत कार्यक्रम बजट में 'पहला कर्तव्य' के तहत छह क्षेत्रों का हिस्सा होगा।

भारत को वैश्विक बायोफार्मा वनिर्माण केन्द्र के रूप में वकसत करने के लए केन्द्रीय बजट में अगले पांच वर्षों के लए 10 हजार करोड़ रुपये के परिव्यय के साथ 'बायोफार्मा शक्ति' का प्रस्ताव कया गया है। इस प्रस्ताव से बायोलॉजिक्स और बायोसमलर्स के घरेलू उत्पादन के लए उचत प्रणाली का निर्माण होगा। इसके लए बजट में अभकल्पित कार्यनीति में तीन नए राष्ट्रीय फार्मास्यूटिकल शक्षा और अनुसंधान संस्थानों के साथ बायोफार्मा केन्द्रित नेटवर्क और सात मौजूदा संस्थानों का अपग्रेडेशन शामल है। इसमें एक हजार से अधक प्रत्यायित भारत क्लीनिकल ट्रायल्स केन्द्रों का नेटवर्क तैयार कया जाएगा। केन्द्रीय बजट में वैश्विक मानकों को पूरा करने के लए केन्द्रीय ड्रग्स मानक नियंत्रण संगठन को मजबूत करने और एक समर्पत वैज्ञानिक समीक्षा कैडर तथा वशेषज्ञों के जरिए समय से अनुमोदन के लए प्रस्ताव कया गया है।

देश के सेमीकंडक्टर क्षेत्र की क्षमता में वस्तार करने और भारत सेमीकंडक्टर मशन (1.0) को आधार मानकर केन्द्रीय बजट में उपकरण एवं सामग्री निर्माण, भारतीय आईपी का पूरी तरह से डजाइन करने और आपूर्ति श्रृंखला को मजबूत करने के लए भारत सेमीकंडक्टर मशन (2.0) शुरू करने का प्रस्ताव कया गया है। श्रीमती सीतारमण ने कहा क प्रौद्योगकी और कुशल कार्यबल वकसत करने के लए सरकार का ध्यान उद्योग आधारित अनुसंधान और प्रशक्षण केन्द्रों पर रहेगा।

अप्रैल 2025 में शुरू की गई इलेक्ट्रॉनिकी घटक वनिर्माण योजना का परिव्यय 22 हजार 919 करोड़ रुपये था। बजट 2026-27 में इस राश को बढ़ाकर 40 हजार करोड़ रुपये करने का प्रस्ताव है।

केन्द्रीय बजट में खनिज समृद्ध राज्यों ओडशा, केरल, आंध्र प्रदेश और तमलनाडु में समर्पत रेयर अर्थ कॉरिडोर की स्थापना में मदद करने का प्रस्ताव है। इसका उद्देश्य खनन, प्रसंस्करण, अनुसंधान और वनिर्माण को बढ़ावा देना है।

घरेलू रसायन उत्पादन को बढ़ावा देने और आयात पर निर्भरता को कम करने के लए केन्द्रीय वत्त मंत्री ने चैलेंज रूट के जरिए कलस्टर आधारित प्लग एंड प्ले मॉडल पर तीन रसायन पार्कों की स्थापना में राज्यों को मदद करने के लए एक योजना का शुभारंभ करने की घोषणा की।

श्रीमती निर्मला सीतारमण ने अपने बजट भाषण में कहा क मजबूत पूंजीगत वस्तु सामर्थ्य वभन्न क्षेत्रों में उत्पादकता और गुणवत्ता का निर्धारक है। केन्द्रीय बजट में दो स्थानों पर उच्च प्रौद्योगकी टूल रूम स्थापत कए जाएंगे। इसकी स्थापना सीपीएसई डजिटल रूप से समर्थत ऑटोमेटिड सर्वस ब्यूरो के रूप में करेगी। जो स्थानीय स्तर पर बड़े पैमाने और कम लागत पर उच्च परिशुद्धता वाले घटकों के डजाइन, परीक्षण और वनिर्माण करेंगे। निर्माण और अवसंरचना उपकरण (सीआईई) को बढ़ावा देने के लए एक योजना का शुभारंभ कया जाएगा। इसका उद्देश्य उच्च घरेलू वनिर्माण और प्रौद्योगकी के स्तर पर उन्नत सीआईई को मजबूत करना है। यह बहुमंजली इमारत में लफ्ट, अग्निशमन उपकरण, बड़ी और छोटी से लेकर मेट्रो और ऊंचाई वाले स्थानों पर सड़कों के लए सुरंग संबंधी उपकरण हो सकते हैं। बजट में वैश्विक प्रतिस्पर्धी कंटेनर वनिर्माण परिवेश के निर्माण के लए एक योजना का प्रस्ताव कया गया है। इसके लए, पांच वर्ष की अवध में 10 हजार करोड़ रुपये का बजटीय आवंटन है।

श्रम गहनन वस्त्र उद्योग के लए, बजट में पांच उपभागों वाले एक एकीकृत कार्यक्रम का प्रस्ताव कया गया है। पहला, रेशम, ऊन और जूट जैसे प्राकृतिक फाइबर, मानव निर्मत फाइबर और आधुनिक फाइबरों में आत्म-निर्भरता हेतु राष्ट्रीय फाइबर योजना; दूसरा, मशीनरी प्रौद्योगकी उन्नयन और सामान्य परीक्षण एवं प्रमाणन केन्द्रों के लए पूंजीगत सहायता के साथ पारंपरिक कलस्टरों के आधुनिकीकरण के लए वस्त्र वस्तार एवं रोजगार योजना; तीसरा, मौजूदा योजनाओं को एकीकृत एवं मजबूत करने और बुनकरों एवं कारीगरों के लए लक्षत सहायता सुनिश्चित करने के लए राष्ट्रीय हथकरघा एवं हस्तशल्प कार्यक्रम; चौथा, वैश्विक रूप से प्रतिस्पर्धी और धारणीय वस्त्र तथा परिधानों को बढावा देने के लए टैक्स इको पहल; पांचवां, उद्योग जगत और

शैक्षणक संस्थानों के सहयोग से वस्त्र कौशल परिवेश के आधुनिकीकरण और उन्नयन के लए समर्थ 2.0 ।

तकनीकी वस्त्रों के मूल्यवर्धन पर ध्यान देते हुए बजट में चुनौती मूड में वृहद वस्त्र उत्पाद स्थापत करने का प्रस्ताव कया गया है।

इसके अलावा, खादी हथकरघा और हस्तशल्प को सुढ बनाने के लए महात्मा गांधी ग्राम स्वराज योजना का शुभारंभ करने का प्रस्ताव कया गया है। इससे वैश्विक बाजार में जगह बनाने और ब्राडंग में मदद मलेगी। बजट में कहा गया है क इससे प्रशक्षण, कौशल, प्रक्रया और उत्पादन गुणवत्ता को सुसंगत बनाया जाएगा और सहायता भी मलेगी। इस पहल से हमारे बुनकरों, ग्रामीण उद्योगों, एक जिला एक पहल और ग्रामीण युवाओं को लाभ मलेगा।

बजट पेश करने के दौरान श्रीमती सीतारमण ने कहा क भारत में उच्च गुणवत्ता वाले खेलकूद के कफायती सामानों के लए एक वैश्विक केन्द्र के रूप में उभरने की संभावना है। बजट में उपकरण डजाइन के साथ-साथ सामग्री वज्ञान में वनिर्माण, अनुसंधान और नवाचार को बढ़ावा देने के लए खेलकूद के सामानों के लए एक समर्पत पहल का प्रस्ताव कया गया है।

***

एनबी /एमजी /केसी /हिन्दी इकाई -08

□□□□□□□□ □□□

2026-27

पत्र सूचना कार्यालय

भारत सरकार

***

प्रत्यक्ष कर में सुधारों द्वारा जीवन जीने की सरलता : केंद्रीय बजट 2026-27

***

मोटर दुर्घटना दावा अधकरण द्वारा कसी साधारण व्यक्ति को अधनिर्णत ब्जाज को आयकर से छूट दी जाएगी

**

छोटे करदाताओं को एक निम्न अथवा शून्य कटौती प्रमाणपत्र प्राप्त करने में सक्षम बनाने के लए एक नियम आधारित स्वचालत प्रक्रया की योजना

***

एक मामूली शुल्क पर रिटर्न में संशोधन के लए समय 31 दिसंबर से 31 मार्च तक उपलब्ध

***

छोटे करदाताओं के लए आय अथवा परिसंपत्त को प्रकट करने के लए 6 माह की वदेशी परिसंपत्त प्रकटीकरण योजना

***

नई दिल्ली ...

01 फरवरी, 2026

केंद्रीय वत्त एवं कॉरपोरेट कार्य मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण ने आज संसद में केंद्रीय बजट 2026-27 पेश करते हुए कहा क करदाताओं के लए जीवन जीने की सुगमता सुनिश्चित करने हेतु प्रत्यक्ष करों पर अनेक प्रस्ताव कए गए हैं।

जीवन जीने क सुगमता

श्रीमती निर्मला सीतारमण ने कहा क कसी साधारण व्यक्ति को मोटर दुर्घटना दावा अधकरण द्वारा अधनिर्णत ब्याज को आयकर से छूट दी जाएगी और इस मद में कोई स्रोत पर काटा गया कर नहीं होगा। उन्होंने कहा क वदेश यात्रा कार्यक्रम पैकेज की बिक्री पर टीसीएस दर को बिना कसी राश निर्धारण के मौजूदा 5 प्रतिशत और 20 प्रतिशत से कम करते हुए 2 प्रतिशत करने का प्रस्ताव कया गया है।

वत्तमंत्री ने कहा क शक्षा प्राप्त करने और चकत्सा उद्देश्यों के लए उदारीकृत धनप्रेशन योजना (एलआरएस) के अंतर्गत टीसीएस दर को 5 प्रतिशत से कम करके 2 प्रतिशत करने का प्रस्ताव कया गया है। उन्होंने कहा क कार्यबल सेवाओं की आपूर्ति को टीडीएस के प्रयोजनार्थ वशष्ट रूप से संवदाकारों को भुगतान के दायरे में लाने का प्रस्ताव है, ताक अस्पष्टता से बचा जा सके। इस प्रकार इन सेवाओं पर टीडीएस की दर 1 प्रतिशत अथवा 2 प्रतिशत मात्र होगी।

करदाताओं के लए आसानी

श्रीमती निर्मला सीतारमण ने कहा क छोटे करदाताओं के लए एक योजना का प्रस्ताव कया जा रहा है, जिसमें नियम आधारित स्वचालत प्रक्रया से कर निर्धारण अधकारी के समक्ष आवेदन दाखल करने के स्थान पर कम अथवा शून्य कटौती प्रमाणपत्र प्राप्त करना संभव हो सकेगा। उन्होंने कहा क अलग-अलग कंपनियों में प्रतिभूतियां धारित करने वाले करदाताओं की सुवधा के लए डपोजिट्री, निवेशक के प्रपत्र 15जी अथवा प्रपत्र 15एच स्वीकार करने तथा इसे सीधे वभन्न संबद्ध कंपनियों को उपलब्ध कराने का प्रस्ताव कया गया है। एक सांकेतिक शुल्क के भुगतान पर ववरणयों को संशोधत करने के लए उपलब्ध समय को 31 दिसंबर से 31 मार्च तक बढ़ाने का प्रस्ताव कया गया है।

कर ववरणी के लए आरामदायक समय-सीमा

वत्तमंत्री ने कहा क कर ववरणयों को दाखल करने के लए अलग-अलग समय-सीमा रखने का प्रस्ताव कया जा रहा है। आईटीआर 1 और आईटीआर 2 ववरणयों वाले व्यक्तियों द्वारा इसे 31 जुलाई तक दाखल करना जारी रहेगा और गैर लेखा परीक्षा व्यापार मामलों या नयासों को 31 अगस्त तक समय की अनुमति देने के लए प्रस्ताव कया गया है। उन्होंने कहा क कसी अनिवासी द्वारा अचल संपत्त की बिक्री पर टीडीएस की कटौती कए जाने और टैन की आवश्यकता के बजाए निवासी क्रेता के पैन आधारित चालान के माध्यम से जमा कए जाने का प्रस्ताव कया गया है।

छोटे करदाताओं पर वशेष ध्यान

संसद में बजट पेश करते हुए वत्तमंत्री ने कहा क छात्रों, युवा पेशेवरों, तकनीकी कर्मचारियों, अन्यत्र चले गए अनिवासी भारतीयों और ऐसे अन्य छोटे करदाताओं की व्यवहारिक समस्याओं को दूर करने के लए, इन करदाताओं के लए एक निश्चित आकार के नीचे आय अथवा परिसंपत्त को प्रकट करने के लए 6 माह की वदेशी परिसंपत्त प्रकटीकरण योजना शुरू करने का प्रस्ताव कया जा रहा है। उन्होंने कहा क कर योजना करदाताओं की दो श्रेणयों पर लागू होगा :

(ए) जिन्होंने अपनी वदेशी आय या परिसंपत्त प्रकट नहीं की है, और

(बी) जिन्होंने अपनी वदेशी आय प्रकट की है और/या देयकर का भुगतान कया है, कंतु अपेक्षत परिसंपत्त की घोषणा नहीं कर सके हैं।

उन्होंने कहा क श्रेणी-ए के लए अप्रकट आय/परिसंपत्त की सीमा 1 करोड़ रुपए तक करने का प्रस्ताव है। उन्हें कर के रूप में परिसंपत्त के उचत बाजार मूल्य का 30 प्रतिशत या अप्रकट आय का 30 प्रतिशत और दंड के स्थान पर अतिरिक्त आयकर के रूप में 30 प्रतिशत का भुगतान करना होगा एवं इससे अभयोजन से उन्मुक्ति होगी।

उन्होंने कहा क श्रेणी-बी के लए परिसंपत्त मूल्य 5 करोड़ रुपए तक करने का प्रस्ताव है। इसमें एक लाख रुपए के शुल्क के भुगतान पर दंड और अभयोजन दोनों से उन्मुक्ति होगी।

***

एनबी /एमजी /केसी /हिन्दी इकाई -07

केंद्रीय बजट 2026-27

पत्र सूचना कार्यालय

भारत सरकार

***

केन्द्रीय बजट 2026-27 में प्रस्ताव रखा गया है क भारत वस्तार-एक बहुभाषीय एआई टूल कसानों की खेती की उत्पादकता बढ़ाएगा, कसानों के निर्णय लेने की क्षमता में सुधार करेगा और परामर्श सहायता के माध्यम से जाखम को कम करेगा

***

15000 माध्यमक वद्यालय और 500 महावद्यायलों में एनिमेशन, वीजुअल इफेक्ट, गेमंग और कॉमक (एवीजीसी) कंटेंट क्रएटर प्रयोगशालाएं भारत की ऑरेंज इकोनॉमक को बढ़ावा देंगे

***

केन्द्रीय बजट में नौकरियों और कौशल जरूरतों पर एआई और उभरती तकनीकों के प्रभाव के मूल्यांकन के लए एक उच्च स्तरीय "शक्षा से रोजगार और उद्यम" स्टैंडंग कमेटी का प्रस्ताव

***

एक नया राष्ट्रीय डजाइन संस्थान पूर्वी भारत में डजाइन शक्षा और वकास को बढ़ावा देगा

नई दिल्ली...

01 फरवरी, 2026

केंद्रीय वत्त एवं कॉरपोरेट कार्य मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण ने आज संसद में केंद्रीय बजट 2026-27 पेश करते हुए कहा क बजट में उभारती प्रौद्योगकयों को और एआई को आम नागरिक की आकांक्षाओं को पूरा करने और भारत की समृद्ध के पथ पर उन्हें सशक्त प्रतिभागी बनाने के लए तथा उनके क्षमता निर्माण को दूसरे कर्तव्य को वास्तवकता देने के लए मुख्य घटक के रूप में प्रस्तुत कया गया है।

प्रौद्योगकी के उपयोग को ध्यान में रखते हुए कहा गया क यह सबके लाभ के लए है जैसे- कसानों, महिलाओं में स्टेम, युवाओं की क्षमता बढ़ाना और दिव्यांगजनों को नए अवसर प्रदान करना। केन्द्रीय बजट 2026-27 एआई मशन, नेशनल क्वांटम मशन, अनुसंधान नेशनल रिसर्च फंड और अनुसंधान वकास एवं नवाचार निध के माध्यम से नई प्रौद्योगकों को सहायता प्रदान करना, सरकार की मुख्य पहलों को दर्शाता है।

भारत की ऑरेंज अर्थव्यवस्था में उभरती प्रौद्योगकयों की प्रमुख भूमका के साथ बजट में भारत के एनिमेशन, वीजुअल इफेक्ट, गेमंग और कॉमक (एवीजीसी) क्षेत्र को प्रोत्साहन देते हुए उद्योग के रूप में रेखांकत कया गया है, जिसमें 2030 तक 2 मलयन पेशेवरों की आवश्यकता होगी। केन्द्रीय बजट में मुंबई में भारतीय क्रएटिव टेक्नोलॉजी संस्थान, 15000 माध्यमक स्कूलों और 500 महावद्यालयों में एवीजीसी कंटेंट क्रएटर की स्थापना करना जो भारत की ऑरेंज अर्थव्यवस्था को और बढ़ावा देगा का भी प्रस्ताव रखा गया है।

बजट में भारत के डजाइन उद्योग के तेजी से वस्तार को ध्यान में रखते हुए भारत के पूर्वोत्तर क्षेत्र में डजाइन शक्षा और वकास को बढ़ावा देने के लए एक नए राष्ट्रीय डजाइन संस्थान का प्रस्ताव कया गया है।

केन्द्रीय बजट "भारत-वस्तार" (वर्चुअली इंटीग्रेटेड सस्टम टू एक्सेस एग्रीकल्चरल रिसोर्सस)-एक बहुभाषीय एआई टूल जो कृष प्रथाओं में एआई सस्टम के साथ एग्रीस्टैक पोर्टल और आईसीएआर के पैकेज को एकीकृत करेगा। यह फसल की उत्पादकता बढ़ाएगा, कसानों को निर्णय लेने में मदद करेगा और कसानों को परामर्श सहायता के माध्यम से जोखम को कम करेगा।

एआई के प्रभाव और रोजगार तथा कौशल आवश्यकताओं में एआई और उभरती प्रौद्योगकयों में का हवला देते हुए बजट में मूल्यांकन और उच्च स्तरीय "शक्षा से रोजगार और उद्यम" स्टैंडंग कमेटी का प्रस्ताव रखा गया है।

एनबी /एमजी /केसी /हिन्दी इकाई-06

केंद्रीय बजट 2026-27

पत्र सूचना कार्यालय

भारत सरकार

***

केंद्रीय बजट 2026-27 में बॉयोफार्मा शक्ति (ज्ञान, प्रौद्योगकी और नवाचार के माध्यम से स्वास्थ्य सेवाओं को आधुनिक बनाने हेतु रणनीति) का प्रस्ताव कया गया

***

वर्तमान में कार्यरत संबद्ध स्वास्थ्य पेशेवर (एएचपी) संस्थानों का उन्नयन कया जाएगा और अगले पांच वर्षों में एक लाख नए एएचपी जोड़े जाएंगे

***

निजी क्षेत्र की भागीदारी के साथ वृद्धजनों के लए स्वास्थ्य सेवा इकोसस्टम और संबद्ध देखभाल सेवा केन्द्रों का निर्माण कया जाएगा, डेढ़ लाख देखभाल सेवा प्रदाताओं को अगले कुछ वर्षों में प्रशक्षत कया जाएगा

***

तीन नए अखल भारतीय आयुर्वेद संस्थान स्थापत कए जाएंगे

***

आयुष फॉर्मेसी और औषध प्रशक्षण प्रयोगशाओं को उन्नत बनाया जाएगा

***

जामनगर में वश्व स्वास्थ्य संगठन पारम्परिक औषध केन्द्र का आधुनिकीकरण होगा

***

प्रमुख क्षेत्रीय संस्थानों के रूप में वकसत करने के लए रांची और तेजपुर में राष्ट्रीय स्वास्थ्य सेवा संस्थानों का उन्नयन

***

जिला अस्पतालों में आपाकालीन सेवा क्षमताओं को 50 प्रतिशत तक बढ़ाने के लए आपातकालीन और ट्रॉमा केयर सेंटर की स्थापना की जाएगी

***

नई दिल्ली ...

01 फरवरी, 2026

केंद्रीय वत्त एवं कॉरपोरेट कार्य मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण ने आज संसद में केंद्रीय बजट 2026-27 पेश करते हुए कहा क सरकार तीन कर्तव्यों: (1) आर्थक वकास को गति देने और स्थायी बनाये रखने; (2) लोगों की आकांक्षाओं को पूरा करने और क्षमता निर्माण करने; (3) प्रत्येक परिवार, समुदाय और क्षेत्र के लोगों के लए सभी संसाधनों की सुलभता सुनिश्चित करने हेतु, से प्रोत्साहित हुई है। केंद्रीय बजट के सभी तीन प्रमुख कर्तव्यों में स्वास्थ्य एक महत्वपूर्ण घटक है।

भारत को वैश्विक बायोफॉर्मा वनिर्माण केन्द्र के रूप में वकसत करने के उद्देश्य से केंद्रीय बजट में बायोफॉर्मा शक्ति (ज्ञान, प्रौद्योगकी और नवाचार के माध्यम से स्वास्थ्य सेवाओं को आधुनिक बनाने हेतु रणनीति) कार्यक्रम का प्रस्ताव कया गया है। इसके अंतर्गत अगले पांच वर्षों के लए 10 हजार करोड़ रुपये निर्धारित कए गए हैं। यह कार्यक्रम घरेलू स्तर पर जैवक घटकों, उत्पादों और जैवक दवाओं का उत्पादन के लए एक इकोसस्टम तैयार करेगा।

वत्त मंत्री ने सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवाओं सहित अलग-अलग तरह के क्षेत्रों में युवाओं के लए रोजगारपरक और कैरियर की ष्टि से महत्वपूर्ण कौशल गतिवधयों की एक नई श्रृंखला के निर्माण के उद्देश्य से कुछ उपायों की घोषणा की है। ये इस प्रकार हैं:

(1) संबद्ध स्वास्थ्य पेशेवरों (एएचपी) के लए मौजूदा संस्थानों को सरकारी और निजी क्षेत्रों में नए एएचपी संस्थानों के तौर पर स्थापत कया जाएगा। इसके अंतर्गत ऑप्टोमैट्री, रेडयोलॉजी, एनेस्थीसया, ओटी टेक्नॉलाजी, प्रायोगक मनोवज्ञान और मानसक स्वास्थ्य सहित 10 प्रमुख चकत्सीय वधाओं को कवर कया जाएगा। साथ ही अगले पांच वर्षों में एक लाख एएचपी को जोड़ा जाएगा।

(2) वत्त मंत्री ने अपने भाषण में कहा क बुजुर्गों और वशष्ट देखभाल सेवा को कवर करते हुए एक सशक्त केयर इकोसस्टम तैयार कया जाएगा। कल्याण, देखभाल, योग और चकत्सा तथा सहायक उपकरणों के उपयोग व कार्यान्वयन के साथ बहुकौशल सेवा प्रदाताओं को तैयार करने के लए एनएसक्यूएफ-संरेखत कार्यक्रमों की श्रृंखला का वकास कया जाएगा। इसके परिणामस्वरूप अगले कुछ वर्षों में लगभग डेढ़ लाख देखभाल सेवा प्रदाता प्रशक्षत होंगे।

(3) भारत को चकत्सा पर्यटन सेवाओं के केन्द्र के रूप में वस्तार देने के लए केंद्रीय बजट में राज्यों की सहायता हेतु वशेष कार्यक्रम का प्रस्ताव कया गया है, जिसके अंतर्गत निजी क्षेत्र की भागीदारी के साथ पांच क्षेत्रीय चकत्सा केन्द्र स्थापत कए जाएंगे। ये केन्द्र चकत्सा, शक्षा और शोध की सुवधाओं को एक स्थान पर प्रदान करने वाले एकीकृत स्वास्थ्य देखभाल सेवा प्रदाता कॉम्पलेक्स के रूप में अपनी सेवाएं देंगे। इन स्थानों पर आयुष केन्द्र, चकत्सा पर्यटन सुवधा केन्द्र और जांच, उपचार के बाद की देखभाल तथा नशे की लत से छुटकारा पाने के लए वशेष केन्द्र भी स्थापत कए

जाएंगे। ये सभी केन्द्र चकत्सा के पेशेवरों को अलग-अलग रोजगार के अवसर उपलब्ध कराएंगे, जिनमें चकत्सक और संबद्ध स्वास्थ्य सेवा पेशेवर भी शामल हैं।

वत्त मंत्री ने कहा क पुरातन भारतीय योग वश्व के कई हिस्सों में प्रमुखता से दैनिक जीवनचर्या का हिस्सा बन चुका है और इसे वैश्विक स्तर पर पहचान दिलाने का कार्य माननीय प्रधानमंत्री ने कया था, जब उन्होंने संयुक्त राष्ट्र में इसका प्रस्ताव रखा। कोवड महामारी के बाद आयुर्वेद ने वैश्विक स्तर पर अपनी पहचान बनाई है और वस्तृत स्वीकृति प्राप्त की है। उन्होंने कहा क वर्तमान समय में बढ़ती हुई वैश्विक आवश्यकताओं की पूर्ति के लए कई महत्वपूर्ण कदम उठाये गए हैं।

वत्त मंत्री ने बताया क इनमें (1) तीन नये अखल भारतीय आयुर्वेद संस्थान की स्थापना; (2) आयुष फॉर्मेसी और औषध परीक्षण प्रयोगशालाओं को उच्च मानकों के साथ प्रमाणत करने के इकोसस्टम को तैयार करने के लए उन्नत बनाना तथा अधक कुशल लोगों को इस क्षेत्र में अवसर उपलब्ध कराना; (3) पारम्परिक चकत्सा व औषध के लए जागरूकता बढ़ाने तथा साक्ष्य आधारित शोध कार्य का वस्तार करने के उद्देश्य से जामनगर में वश्व स्वास्थ्य संगठन वैश्विक पारम्परिक औषध केन्द्र का उन्नयन करना शामल है।

वत्त मंत्री ने यह भी कहा क उत्तर भारत में मानसक स्वास्थ्य सेवाओं के लए राष्ट्रीय स्तर के संस्थानों की कमी है। इसलए केन्द्रीय बजट में निमहंस-2 की स्थापना प्रस्तावत की जा रही है। इसके अलावा रांची और तेजपुर में क्षेत्रीय स्तर के प्रमुख स्थान के रूप में वकसत करने के लक्ष्य के साथ राष्ट्रीय स्वास्थ्य सेवा संस्थानों को आधुनिक बनाने की योजना बनाई गई है। इसके साथ ही जिला अस्पतालों में आपातकालीन सेवाओं की क्षमता बढ़ाने तथा आपातकालीन सेवा केन्द्रों और ट्रॉमा केयर सेंटर को लगभग 50 प्रतिशत बढ़ाने का प्रावधान कया गया है।

***

एनबी /एमजी /केसी /हिन्दी इकाई -05

केंद्रीय बजट 2026-27

पत्र सूचना कार्यालय

भारत सरकार

***

वत्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने उद्यमों के वकास के लए 10,000 करोड़ रुपए की समर्पत एसएमई निध का प्रस्ताव रखा है, इसका उद्देश्य चुनिंदा मानकों पर भवष्य में उत्कृष्ट उद्यमों का सृजन करना है

****

एमएसएमई के लए वत्तीय मदद मुहैया कराने के लए केन्द्रीय बजट में चार उपायों का प्रस्ताव

***

नई दिल्ली...

01 फरवरी, 2026

केंद्रीय वत्त एवं कॉरपोरेट कार्य मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण ने कहा है क प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की अगुवाई वाली सरकार ने हमेशा निर्णायक रूप से अस्पष्टता की जगह काम को, बातों की जगह सुधार को और लोक-लुभावन नीतियों की जगह लोगों को प्राथमकता दी है।

आज संसद में केंद्रीय बजट 2026-27 पेश करते हुए उन्होंने कहा क सरकार तीन कर्तव्यों से प्रेरित है। इनमें से पहला कर्तव्य- आर्थक वकास को गति देते हुए इसे निरंतर कायम रखना है तथा उत्पादकता व प्रतिस्पर्धा बढ़ाते हुए अस्थिर वैश्विक स्थिति के इस दौर में मजबूती कायम रखना है।

सूक्ष्म, लघु तथा मध्यम उद्यम (एमएसएमई) को वकास का मत्वपूर्ण इंजन करार देते हुए वत्त मंत्री ने इसके वकास के लए तीन सूत्रीय ष्टिकोण का प्रस्ताव रखा।

इनमें पहला इक्विटि समर्थन है जिसमें उन्होंने लघु तथा मध्यम उद्यम के वकास के लए 10,000 करोड़ रुपए का एक समर्पत निध का प्रस्ताव रखा है। इसके अंतर्गत चुनिंदा मानकों

पर भवष्य में उत्कृष्ट उद्यमों का सृजन करना है। वत्त मंत्री ने वर्ष 2021 में स्थापत आत्मनिर्भर भारत कोष में बढ़ोतरी के लए 2,000 करोड़ रुपए का प्रस्ताव रखा है, जिसका उद्देश्य सूक्ष्म उद्यमों को मदद पहुंचाना और जोखम पूंजी तक उनकी पहुंच बनाए रखना है।

वत्तीय उपलब्धता सुनिश्चित कए जाने के दूसरे ष्टिकोण पर वत्त मंत्री ने कहा क सूक्ष्म, लघु तथा मध्यम उद्यम (एमएसएमई) के लए 7 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा रकम की व्यवस्था की गई है। इसकी क्षमता का पूरा फायदा उठाने के लए उन्होंने चार उपायों का प्रस्ताव रखा है- (i) एमएसएमई से सावर्जनिक क्षेत्र के उद्यमों द्वारा समस्त खरीदों के लए ट्रेड्स को लेन-देन निपटान प्लेटफॉर्म के रूप में उपयोग करने का अधदेश करना, (ii) ट्रेड्स प्लेटफॉर्म पर बीजक छूट के लए सीजीटीएमएसई के जरिये ऋण गारंटी सहायता तंत्र की शुरुआत करना, (iii) एमएसएमई से सरकारी खरीदों के बारे में फाइनेंसर्स तक जानकारी साझा करने के लए जीईएम को टीआरईडीएस को जोड़ना, (iv) ट्रेड्स प्राप्तियों को आस्ति-समर्थत प्रतिभूतियों के रूप में प्रस्तुत करना। इसका उद्देश्य नगदी एवं लेनदेनों के निपटान करते हुए एक दूसरा बाजार वकसत करना है।

व्यवसायगत सहायता पर बोलते हुए श्रीमती निर्मला सीतारमण ने कहा क खासकर टियर-2 और टियर-3 नगरों में 'कॉर्पोरेट मत्रों' के समूह का वकास के लए के लए अल्पावध की मॉड्यूलर पाठ्यक्रमों और व्यवहारिक टूल्स की डजाइन के लए सरकार आईसीएआई, आईसीएसआई, आईसीएमएआई जैसे संस्थानों की मदद करेगी। ये यह प्रणाणत अर्ध-पेशेवर एमएसएमई को कम लागत पर अनुपालन आवश्यकताओं को पूरा करने में मदद करेंगे।

***

एनबी /एमजी /केसी /हिन्दी इकाई-04

केंद्रीय बजट 2026-27

पत्र सूचना कार्यालय

भारत सरकार

***

केंद्रीय बजट 2026-27 में सहकारिता क्षेत्र के लए कई प्रोत्साहनों का प्रस्ताव

***

प्राथमक सहकारी समति द्वारा उत्पादित पशुचारा और कपास के बीज की आपूर्ति के लए कटौती की अनुमति

***

नई कर व्यवस्था के तहत अंतर-सहकारी समति लाभांश आय को कटौती के रूप में अनुमति

***

नई दिल्ली...

01 फरवरी, 2026

केंद्रीय बजट 2026-27 में प्राथमक सहकारी समतियों के लए कई प्रोत्साहनों का प्रस्ताव कया गया है। आज संसद में केंद्रीय बजट पेश करते हुए, केंद्रीय वत्त एवं कॉरपोरेट कार्य मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण ने प्राथमक सहकारी समतियों को अनुमति प्राप्त कटौती में उनके सदस्यों द्वारा उत्पादित पशुचारा और कपास के बीज की आपूर्ति को शामल करने का प्रस्ताव कया। वर्तमान में इस कटौती की अनुमति दूध, तिलहन, फल और सब्जियों की आपूर्ति में संलग्न प्राथमक सहकारी समतियों को प्राप्त है।

वत्त मंत्री ने नई कर व्यवस्था के तहत अंतर-सहकारी समति लाभांश आय को इसके सदस्यों में आगे संवतरण की सीमा तक कटौती के रूप में अनुमति दिये जाने का भी प्रस्ताव कया।

राष्ट्रीय सहकारी संघों को सहायता प्रदान करने के एक अतिरिक्त उपाय के तौर पर, श्रीमती निर्मला सीतारमण ने एक अधसूचत राष्ट्रीय सहकारी संघ द्वारा 31.01.2026 तक कंपनियों में कये गये उनके निवेश पर प्राप्त लाभांश आय पर तीन वर्षों की अवध के लए छूट देने का भी प्रस्ताव कया। यह छूट केवल तभी प्रदान की जाएगी जब उक्त लाभांश को इसके सदस्य सहकारी समतियों में आगे वतरित कया जाएगा।

***

एनबी /एमजी /केसी /हिन्दी इकाई-03

केंद्रीय बजट 2026-27

पत्र सूचना कार्यालय

भारत सरकार

****

केंद्रीय बजट 2026-27 वक सत भारत की ओर 'सबका साथ सबका वकास' के कर्तव्य की रूपरेखा प्रस्तुत करता है

****

कसानों की आमदनी बढ़ाने, दिव्यांगजनों को सशक्त बनाने, कमजोरों को अ धकार संपन्न बनाने की दिशा में ल क्षत प्रयास पूर्वोदय राज्यों और पूर्वोत्तर क्षेत्र पर ध्यान केंद्रित करते हैं

****

नारियल संवर्धन योजना भारतीय काजू और कोको के लए सम र्पत कार्यक्रम, चंदन की खेती को बढ़ावा देने तथा अखरोट, बादाम और खुमानी के बारे में सम र्पत कार्यक्रम की घोषणा

****

नई दिल्ली...

01 फरवरी, 2026

केंद्रीय वत्त एवं कॉरपोरेट कार्य मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण ने आज संसद में केंद्रीय बजट 2026-27 पेश करते हुए कहा क तीसरा कर्तव्य प्रत्येक परिवार, समुदाय, क्षेत्र और सेक्टर को सार्थक प्रतिभागता

के लए संसाधनों, सुवधाओं और अवसरों की पहुंच सुनिश्चित कराने के सरकार के सबका साथ, सबका वकास के वजन के साथ संबद्ध है।

वत्त मंत्री ने तीसरे कर्तव्य को हासल करने का मोटेतौर पर खाका प्रस्तुत कया। श्रीमती निर्मला सीतारमण ने कहा, "इसे हासल करने के लए क) छोटे और सीमांत कसानों को वशेष पहुंच उपलब्ध कराने पर ध्यान केंद्रित करते हुए उत्पादकता बढ़ाने और उद्यमता के जरिए कसानों की आमदनी बढ़ाने, ख) आजीवका के अवसरों, प्रशक्षण और कुछ गुणवत्ता वाले उपकरणों के जरिए दिव्यांगजनों को सशक्त बनाने, ग) मानसक स्वास्थ्य और ट्रॉमा देखभाल तक पहुंच कायम कर कमजोरों को अधकार संपन्न बनाने, घ) वकास और रोजगार के अवसरों में तेजी लाने के लए पूर्वोदय राज्यों तथा पूर्वोत्तर क्षेत्र पर ध्यान केंद्रित करने" की दिशा में लक्षत प्रयास करने की आवश्यकता है।

कसानों की आमदनी बढ़ाना

कसानों की आमदनी बढ़ाने के व्यापक उद्देश्य के अंतर्गत बजट में 500 जलाशयों और अमृत सरोवरों का एकीकृत वकास करने, तटीय क्षेत्रों में मत्स्य मूल्य श्रृंखला को मजबूती प्रदान करने तथा स्टार्ट अप और महिला प्रेरित समूहों को मत्स्य कृषक उत्पादक संगठनों के साथ शामल करते हुए बाजार से जोड़ना सक्षम बनाने के प्रावधान कए गए हैं।

श्रीमती निर्मला सीतारमण ने कहा क पशुपालन कसानों की आमदनी बढ़ाने के प्रमुख क्षेत्रों में से एक हैं। ग्रामीण और अर्ध शहरी क्षेत्रों में गुणवत्तापूर्ण रोजगार के अवसर प्रदान करने के लए सरकार उद्यमता वकास के तहत पशुपालन क्षेत्र को सहायता प्रदान करने के लए निम्न कदम उठाएगी : (क) ऋण आधारित सब्सिडी कार्यक्रम (ख) पशुधन उद्यमों का संवर्धन और आधुनिकीकरण (ग) पशुधन. डेयरी और मुर्गीपालन के लए संकेंद्रित मूल्य श्रृंखला का सृजन को संवर्धत करना और (घ) पशुधन कृषक उत्पादक संगठनों की स्थापना को प्रोत्साहन देना।

केंद्रीय वत्त मंत्री ने तटीय क्षेत्रों में नारियल, चंदन, कोको और काजू जैसी उच्च मूल्य वाली फसलों में सहायता प्रदान कर उच्च मूल्य वाली खेतीबाड़ी पर जोर दिया। पूर्वोत्तर में अगर वृ क्षों और पर्वतीय क्षेत्रों में बादाम, काजू और खुमानी जैसे गरीदार फलों को भी सहायता प्रदान करेगा।

श्रीमती सीतारमण ने कहा, "भारत दुनिया का सबसे बड़ा नारियल उत्पादक है। लगभग 10 मलयन कसानों सहित लगभग 30 मलयन लोग अपनी आजीवका के लए नारियल पर निर्भर हैं।

नारियल उगाने वाले प्रमुख राज्यों में नारियल उत्पादन में प्रतिस्पर्धात्मकता को बढ़ावा देने के लए पुराने और गैर-उत्पादक पेड़ों को नए सैपलंग/ पौधों /कस्मों से बदलने सहित वभन्न कदमों के माध्यम से उत्पादन बढ़ाने और उत्पादकता को संवर्धत करने के जरिए मैं नारियल संवर्धन योजना की पेशकश करती हूं।"

कसानों की आमदनी बढ़ाने के उद्देश्य की दिशा में एक और कदम उठाते हुए केंद्रीय बजट 2026-27 में भारत को कच्चे काजू और कोको उत्पादन व प्रसंस्करण के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाने तथा निर्यात प्रतिस्पर्धात्मकता बढ़ाने और भारतीय काजू और भारतीय कोको को वर्ष 2030 तक प्रीमयम वैश्विक ब्रांड में प्रवर्तित करने के लए भारतीय काजू और कोको हेतु एक समर्पत कार्यक्रम की भी पेशकश की गई है।

भारतीय चंदन इकोसस्टम के गौरव को बहाल करने हेतु केंद्र सरकार केंद्रित खेती और कटाई के पश्चात प्रसंस्करण को बढ़ावा देने के लए राज्य सरकारों के साथ भी भागीदारी करेगी।

पुराने और कम उपज देने वाले उद्यानों को फर हरा-भरा बनाने तथा अखरोट, बादाम और खुमानीकी उच्च घनत्व वाली खेती का वस्तार करने के लए बजट में कसानों की आमदनी बढ़ाने और युवाओं की सहभागता से मूल्यवर्धन करने के लए एक समर्पत कार्यक्रम की पेशकश की गई है।

भारत-वस्तार (कृष संसाधनों तक पहुंच के लए आभासी एकीकृत प्रणाली)

केंद्रीय वत्त एवं कॉरपोरेट कार्य मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण ने भारत-वस्तार (कृष संसाधनों तक पहुंच के लए आभासी एकीकृत प्रणाली) लॉन्च करने के प्रस्ताव की घोषणा की। वस्तार की परिकल्पना एक बहुभाषी एआई टूल के रूप में की गई है, जिसे एआई प्रणाली सहित कृष प्रणालयों के लए आईसीएआर पैकेज सहित एग्रीस्टेक पोर्टल के रूप में एकीकृत कया गया है। इससे कृष उत्पादककता बढ़ेगी, कसानों के लए बेहतर नतीजे संभव होंगे और अनुकूल परामर्श सहायता प्रदान करते हुए जोखम में कमी लाई जाएगी।

***

एनबी/एमजी/केसी/हिन्दी इकाई-02

□□□□□□□□ □□□

2026-27

पत्र सूचना कार्यालय

भारत सरकार

***

सरकार ने 41 प्रतिशत हस्तांतरण के वर्टिकल शेयर को बनाए रखने के लए 16वें वत्त आयोग की संस्तुतियों को स्वीकार कया

***

राज्यों को वत्त वर्ष 2026-27 के लए वत्त आयोग के अनुदान के रूप में 1.4 लाख करोड़ रुपए दिए जाएंगे

***

नई दिल्ली ...

01 फरवरी, 2026

केंद्रीय वत्त एवं कॉरपोरेट कार्य मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण ने आज संसद में केंद्रीय बजट 2026-27 पेश करते हुए कहा क सरकार ने 41 प्रतिशत हस्तांतरण के वर्टिकल शेयर को बनाए रखने के लए 16वें वत्त आयोग की संस्तुतियों को स्वीकार कया है।

केंद्रीय वत्त मंत्री ने कहा, " सरकार ने 41 प्रतिशत हस्तांतरण के वर्टिकल शेयर को बनाए रखने के लए 16वें वत्त आयोग की संस्तुतियों को स्वीकार कया है। आयोग की संस्तुतियों के अनुसार मैंने वत्त आयोग के अनुदान के रूप में वत्त वर्ष 2026-27 के लए राज्यों को 1.4 लाख करोड़ रुपए का प्रावधान कया है।"

इसके बाद, श्रीमती निर्मला सीतारमण ने कहा क आयोग ने 17 नवंबर, 2025 को राष्ट्रपति को अपनी रिपोर्ट दाखल की थी और सरकार संवधान की धारा 281 के तहत अधदेश के अनुसार

संसद में आयोग की संस्तुतियों पर कार्रवाई रिपोर्ट पर आधारित वर्णन सहित ज्ञापन रिपोर्ट को प्रस्तुत करेगी।

***

एनबी/एमजी/केसी/हिन्दी इकाई -01